सत्यमेव जयते

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

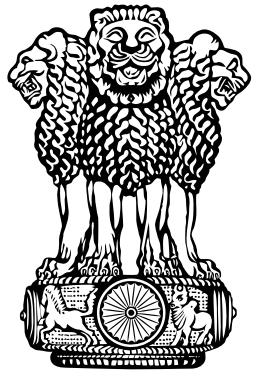

सत्यमेव जयते

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भाविपप्रा)

वार्षिक रिपोर्ट

2021-22

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
बंगला साहिब रोड, गोल मार्केट
नई दिल्ली - 110001

अस्वीकरण:

प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी लिखित वार्षिक रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है।
यदि इसमें कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी लिखित रिपोर्ट ही मान्य होगी।

भाविपप्रा ©2022

यह रिपोर्ट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है।

अनुप्रेषण पत्र

माननीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत सरकार के लिए अनुप्रेषित।

मुझे वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की इस वार्षिक रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित करने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट में आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 27 के उपबंधों के अंतर्गत भारत सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना को शामिल किया गया है।

इस रिपोर्ट में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का अवलोकन और इसे आधार अधिनियम, 2016 के द्वारा समनुदेशित प्रकार्य समाविष्ट हैं। यूआईडीएआई का लेखा लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण भी इस रिपोर्ट का भाग है।

सौरभ गर्ग

डॉ. सौरभ गर्ग
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संदेश - सदस्य
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना सम्मान का विषय है। कोविड-19 महामारी द्वारा दैनिक जीवन को बाधित करने के कारण यह वित्त वर्ष भी चुनौतीपूर्ण रहा। महामारी ने ऐसा स्वास्थ्य संकट पैदा कर दिया जो एक चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिवेश में बदल गया। हम भारतीय अपने साहस और सहनशीलता के लिए जाने जाते हैं और हमने महामारी के दौरान इसे फिर से साबित कर दिया। हमने विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए नये समाधान ढूंढे हैं। इस दौरान सभी वर्गों एवं क्षेत्रों के लोग एक-दूसरे का सहयोग एवं सहायता करने के लिए एक साथ आगे आये। सरकार और नागरिकों ने अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के निर्माण में निवेश किया है, जो हमारी जनसंख्या को इस महामारी से दूर ले जाने में सहायता करेगा।

इस कठिन समय में उत्कृष्ट कार्य और अनुकरणीय सेवा के लिए, मैं देश भर के डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और आवश्यक सेवा प्रदाताओं को आदर के साथ नमन करता हूं। ये सब इस महामारी में अग्रिम पंक्ति के यौद्धा थे, और इन्होंने अपनी व्यक्तिगत परवाह किए बगैर बहादुरी से जरूरतमंदों की हर प्रकार से सेवा एवं सहायता की।

चुनौतियों से हमेशा अवसरों का सृजन होता है, और यह देखना सुखद था कि देश में हम सभी ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए किस प्रकार मिलकर काम किया।

हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जनवरी 2021 में वैक्सीन का वितरण किया और सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए शानदार काम किया कि वैक्सीन की सौ करोड़ से अधिक खुराक पूरी आबादी को एक

कुशल और प्रभावी तरीके से पहुंचाई जाए। टीकाकरण ने हमें महामारी का प्रबंधन करने और वायरस के उपरांत उसके प्रभाव को कम करने में सहायता की।

महामारी के दौरान डिजिटल प्रौद्योगिकी सबसे आगे रही है। कई व्यवसायों ने घर से काम करने का सहारा लिया, और महामारी के दौरान गृह-आधारित वाणिज्य और वितरण सेवाओं ने विकास एवं विस्तार किया। सरकार की डिजिटल अवसंरचना ने रफ्तार पकड़ी। विश्व में यूपीआई सबसे प्रभावी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म बन गया, और कोविन पोर्टल ने पूरे देश में टीकों के वितरण और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि टीकाकरण प्रक्रिया के दौरान, निवासियों द्वारा टीकाकरण केंद्रों पर अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार सबसे पसंदीदा पहचान थी। आधार पहचान का सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय रूप बन गया है और निवासियों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग न केवल टीकाकरण प्रक्रिया के लिए बल्कि अन्य ऐसी सेवाओं के संबंध में भी किया गया, जिनमें पहचान की आवश्यकता है।

वित्त वर्ष 2021-22 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है। प्राधिकरण ने आधार के उपयोग को निर्बाध और किफायती बनाने के लिए ई-केवाईसी और प्रमाणीकरण के शुल्क को काफी कम करने का निर्णय लिया। प्राधिकरण ने ऑफलाइन केवाईसी भी शुरू की, जो मेरी राय में, भविष्य में आधार के उपयोग के तरीके को सार्थक रूप से बदल सकती है।

इस वार्षिक रिपोर्ट में प्राधिकरण के वर्ष के लिए वित्तीय और लेखा संबंधी विवरण शामिल हैं। रिपोर्ट आधार ईको-सिस्टम की कार्यप्रणाली में अंतर्दृष्टि भी साझा करती है, महत्वपूर्ण उपलब्धियों और की गई नई पहलों को साझा करती है, तथा वर्ष के दौरान हमारे द्वारा की गई गतिविधियों की एक अद्यतन जानकारी प्रदान करती है। हमने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के भावी लक्ष्यों पर भी प्रकाश डाला है।

अंत में, मैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संपूर्ण परिवार के प्रत्येक कर्मचारी, साझेदार, सहायक कर्मचारी, विक्रेता आदि को उनके कठिन समय के दौरान किए गए अथक परिश्रम के लिए धन्यवाद देता हूँ।

डॉ. आनंद देशपांडे, पीएच. डी.

संदेश - मुख्य कार्यकारी अधिकारी
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

मैं आपके सामने वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। इस वर्ष की शुरूआत अप्रैल-जून की तिमाही में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कठिन दौर से हुई, हालांकि, हम टीकाकरण, मास्क के उपयोग और सामाजिक दूरी रखने के नियम, जो महामारी से लड़ने के लिए सबसे प्रभावी उपाय रहे, के कारण इससे मजबूती से बाहर निकल आए। मैं अपने वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सा पेशेवरों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी आबादी के बड़े हिस्से का टीकाकरण हुआ और हमने इस वित्त वर्ष के अंत तक 175 करोड़ टीकाकरण को पार कर लिया। लॉकडाउन को धीरे-धीरे हटा लिया गया और अर्थव्यवस्था में भी सुधार के उत्साहजनक संकेत दिखाई दिए।

यूआईडीएआई में कार्यभार ग्रहण होने के बाद, मैंने सिस्टम में नई पहल करने, संगठन द्वारा सम्मुख की जा रही समस्याओं एवं मुद्दों की पहचान करने और उन्हें समयबद्ध तरीके से सामूहिक रूप से हल करने पर जोर दिया। मैंने विभिन्न प्रभागों के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालयों के बीच खुली बातचीत और विचारों को साझा करने की संस्कृति विकसित करने का भी प्रयास किया। साथ ही, मेरे सभी सहयोगियों को अपने संपूर्ण कौशल में सुधार करने के संबंध में प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे उन्हें और संगठन को सहायता मिलेगी।

वर्ष के दौरान हमने आधार सेवाएं प्राप्त करने में निवासियों द्वारा सम्मुख की जा रही चुनौतियों का आसानी से निवारण करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए। हमने देशभर में विभिन्न नये आधार सेवा केंद्रों (एएसके) को खोला और दूरवर्ती क्षेत्रों में आधार संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए डाक और रेलवे विभाग ने काम किया।

हमने निवासियों के लिए आधार पोर्टल को भी अपग्रेड किया है और आधार अपडेट सेवाओं की पेशकश करने के लिए नागरिक सेवा केंद्रों (सीएससी) में शामिल हो गए हैं। प्रमाणीकरण शुल्क ₹20 से घटाकर ₹3 प्रति लेनदेन कर दिया गया, जिससे आधार के उपयोग में बढ़ोतरी हुई है।

हमने इस वर्ष पूर्वोत्तर राज्यों में संतृप्ति दर में लगातार वृद्धि देखी, जो देश के बाकी क्षेत्रों की तुलना में थोड़ा पीछे थे। यूआईडीएआई ने 15 अक्तूबर 2021 को चेहरा प्रमाणीकरण विधि की भी शुरूआत की।

यूआईडीएआई ने पहली बार, 23 से 25 नवंबर, 2021 के दौरान विज्ञान भवन, नई दिल्ली में - आधार 2.0 - डिजिटल पहचान और स्मार्ट शासन के अगले युग की शुरूआत, विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय रेल, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा किया गया। इस 3 दिवसीय कार्यशाला में भारत और विदेशों में सरकार और उद्योग जगत के नेताओं, प्रख्यात शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों, डिजिटल पहचान पर काम करने वाले नवप्रवर्तकों और चिकित्सकों की भागीदारी देखी गई। कार्यशाला में अभिनव डिजिटल समाधान प्रदान करने, सेवा वितरण को सदृढ़ एवं सरल बनाने और सामाजिक समावेशन पर अधिक संकेंद्रित दृष्टिकोण में आधार के भावी कार्यों पर विचार करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया। हम इसमें भागीदारी करने के लिए सभी प्रतिभागियों के बहुत आभारी हैं।

आधार हैकथॉन को लेकर भी हमें बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, जिसमें देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों की प्रतिभावान प्रतिभाओं ने आधार की वास्तविक समस्याओं का निदान करने में भाग लिया।

यह अवधि ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और इसने हमें यह एहसास कराया है कि डिजिटल अवसंरचना कितनी महत्वपूर्ण है और बदलते समय के साथ इस अवसंरचना को मजबूत और अद्यतन रखना कितना महत्वपूर्ण है। इसमें यूआईडीएआई की अवसंरचना ने प्रमुख भूमिका निभाई है तथा इसने लोगों और देश के हित के लिए इसे लगातार सुधारने और अद्यतन रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत किया है।

डॉ. सौरभ गर्ग, भा.प्र.से.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की संरचना

डॉ. आनंद देशपांडे
सदस्य (अंशकालिक), भाविपप्रा

डॉ. आनंद देशपांडे 8 सितम्बर 2016 से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के अंशकालिक सदस्य हैं।

परसिस्टेंट सिस्टम्स के संस्थापक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. आनंद देशपांडे आईआईटी, खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बी.टेक (ऑनर्स) और इंडियाना यूनिवर्सिटी, ब्लूमिंगटन, इंडियाना, यूएसए से कंप्यूटर साइंस एम.एस. और पीएच.डी. हैं। वह 1990 में परसिस्टेंट सिस्टम्स की स्थापना के बाद से ही इसे विकसित करने में एक प्रेरक शक्ति रहे हैं और आज यह सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली वैश्विक कंपनी के रूप में उभर गई है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की संरचना

डॉ. सौरभ गर्ग
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भाविपप्रा

डॉ. सौरभ गर्ग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इससे पहले वे ओडिशा में प्रधान सचिव थे, जहां उन्होंने कृषि को डिजिटल बनाने और किसानों के लिए प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण योजना विकसित करने पर काम किया। डॉ. सौरभ गर्ग भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में कार्यरत रहे थे। उन्होंने शहरी और औद्योगिक अवसंरचना के विकास के क्षेत्रों में भी काम किया है।

डॉ. गर्ग ओडिशा कैडर के एक आईएएस अधिकारी हैं और उन्हें सरकार के विभिन्न स्तरों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों का कार्यानुभव है। उन्होंने वाशिंगटन डीसी में भारत के कार्यकारी निदेशक के कार्यालय में विश्व बैंक के सलाहकार के रूप में भी काम किया है। वे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक रह चुके हैं।

डॉ. गर्ग ने जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी, अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और विकास में पी.एच.डी. की है। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद से एमबीए किया है, जहां उन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया और उन्होंने बी.टेक. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली से की है। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, लंदन में शेवनिंग गुरुकुल के अध्येता भी रहे।

डॉ सौरभ गर्ग ने अनेक लेख प्रकाशित किए हैं और प्रशासन, बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण और वित्तीय समावेशन में नवाचारों सहित विभिन्न विषयों में पुस्तकों के लिए लेखों का योगदान दिया है।

विषय सूची

1. अवलोकन 1–10

1.1 वर्ष 2021-22 1
1.2 सबसे विश्वसनीय पहचान 1
1.3 भाविपप्रा का सृजन 2
1.4 भाविपप्रा का अधिदेश 4
1.5 भाविपप्रा का सफर 4
1.6 विजन, मिशन और मूल मंत्र 6
1.7 भाविपप्रा के उद्देश्य 9
1.8 भाविपप्रा को सौंपे गए कार्य 9

2. संगठनात्मक संरचना 11–16

2.1 प्राधिकरण की संरचना 12
2.2 मुख्यालय की संरचना 12
2.3 क्षेत्रीय कार्यालय की संरचना 14

3. भाविपप्रा की कार्यप्रणाली 17–42

3.1 अवलोकन 17
3.2 नामांकन एवं अद्यतन ईकोसिस्टम 18
3.3 नामांकन भागीदार 20
3.4 नामांकन प्रक्रिया 20
3.5 आधार नामांकन प्रगति 22
3.6 आधार डाटा अद्यतन 24
3.7 आधार सेवा केंद्र 27
3.8 आधार सेवाओं के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट 27
3.9 अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम 28
3.10 अधिप्रमाणन भागीदार 28
3.11 आधार अधिप्रमाणन सेवाएं 31
3.12 अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम में प्रमुख विकास 35
3.13 संभारिकी ईकोसिस्टम 37
3.14 आधार पत्र मुद्रण और वितरण 37
3.15 ई-आधार 37
3.16 आर्डर आधार पीवीसी कार्ड (ओएसी) सेवा 37
3.17 प्रशिक्षण, परीक्षण एवं प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम 38
3.18 ग्राहक संबंध प्रबंधन 40
3.19 आधार सहायक सेवाएं - आधार संपर्क केंद्र 40
3.20 चैटबॉट सेवाएं 42

4. डाटा सुरक्षा एवं निजता 43–46

4.1 आधार डाटा द्वारा सुरक्षा एवं निजता 43
4.2 डिजाइन द्वारा सुरक्षा एवं निजता 43
4.3 सुरक्षित प्रक्रिया के द्वारा आधार नामांकन 44
4.4 सुरक्षित प्रक्रिया के द्वारा आधार अधिप्रमाणन 44
4.5 संयोजन रहित न्यूनतम डाटा 44
4.6 डाटा का कोई एकीकरण नहीं 45
4.7 इष्टतम अनभिज्ञता 45

4.8 स्थान की जानकारी नहीं 45
4.9 संघबद्ध डेटा मॉडल तथा एक-मार्गी संयोजन 45
4.10 आधार डाटा की सुरक्षा 46
4.11 भाविपप्रा आईएसओ 27001:2013 द्वारा प्रमाणित 46
4.12 भाविपप्रा आईएसओ/आईईसी 29100:2011 एवं आईएसओ/आईईसी 27701:2019 द्वारा प्रमाणित 46
4.13 'संरक्षित प्रणाली' के रूप में सीआईडीआर अवसंरचना की घोषणा 46
4.14 सुशासन जोखिम अनुपालन एवं निष्पादन सेवा प्रदाता (जीआरसीपीएसपी) 46
4.15 बाह्य ईकोसिस्टम भागीदारों की सूचना सुरक्षा का मूल्यांकन 46
4.16 भाविपप्रा में धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली 46

5. आधार - सुशासन में उपयोग 47-52

5.1 आधार - शासन में सुधार हेतु एक उपकरण 47
5.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में आधार 50
5.3 डीबीटी योजनाओं के लिए आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत आधार का उपयोग 51
5.4 आधार अधिनियम 2016 (संशोधित) की धारा 4 के तहत राष्ट्र के हित में निर्धारित उद्देश्यों के लिए आधार का उपयोग 52

6. भाविपप्रा के संगठनात्मक मामले 53-58

6.1 यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी 53
6.2 भाविपप्रा में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन 53
6.3 नागरिक चार्टर 54
6.4 इंट्रानेट एवं ज्ञान प्रबंधन पोर्टल 54
6.5 नोडल आरटीआई प्रकोष्ठ 55
6.6 भाविपप्रा की वेबसाइट 55
6.7 एकीकृत मोबाइल ऐप 57
6.8 ई-ऑफिस कार्यान्वयन 58

7. 2021-22 की प्रमुख विशेषताएं और पहल 59-70

7.1 अवलोकन 59
7.2 आधार यूसेज का विस्तार 59
7.3 निवासी केंद्रीयता की निरंतरता 60
7.4 प्रौद्योगिकी विकास और नवीनीकरण 61
7.5 घरेलू और वैश्विक आउटरीच 63
7.6 अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियां 69

8. भावी योजनाएं 71-76

8.1 नामांकन एवं अद्यतन प्रभाग 71
8.2 अधिप्रमाणन प्रभाग 71
8.3 सीआरएम एवं संभारिकी प्रभाग 73
8.4 सूचना सुरक्षा 74
8.5 प्रौद्योगिकी विकास 74
8.6 मानव संसाधन और प्रशासन 75

9. वित्तीय कार्य-निष्पादन 77-80

9.1 भाविपप्रा निधि 77
9.2 बजट एवं व्यय 77
9.3 सेवाओं से आय 80

10. वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का लेखापरीक्षित विवरण 81-134

11. अनुलग्नक 135-144

11.1 अनुलग्नक 1:आधार अधिनियम, 2016 135
11.2 अनुलग्नक 2: आधार विनियम 137
11.3 अनुलग्नक 3: सत्यापन हेतु स्वीकार्य समर्थित दस्तावेजों की सूची 139
11.4 अनुलग्नक 4: 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार परिपूर्णता रिपोर्ट 142

12. लघुरूपण 145-152

तालिकाओं की सूची

तालिका 1 - वर्तमान संरचना 12
तालिका 2 - भाविपप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना 14
तालिका 3 - राज्य स्तरीय कार्यालय और उनके क्षेत्राधिकार..... 15
तालिका 4 - माहवार आधार सृजन (2021-22)..... 24
तालिका 5 - वर्षवार और संचयी अधिप्रमाणन संव्यवहार 30
तालिका 6 - माहवार अधिप्रमाणन संव्यवहार (2021-22) 31
तालिका 7 - वर्षवार और संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार 33
तालिका 8 - माहवार ई-केवाईसी संव्यवहार (2021-22)..... 34
तालिका 9 - प्रदान किए गए प्रशिक्षकों का विवरण (01.04.2021-31.03.2022)..... 39
तालिका 10 - कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (2021-22) 53
तालिका 11 - बीई/आरई 2009 -10 से 2021 -22 के लिए बुक किये गए व्यय का विवरण..... 78
तालिका 12 - वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट और व्यय का सारांश 78
तालिका 13 - वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सेवाओं से हुई आय का विवरण..... 80
तालिका 14 - विनियमों की सूची 137

आकृतियों की सूची

आकृति 1 - संगठनात्मक संरचना..... 11
आकृति 2 - भाविपप्रा मुख्यालय का ऑर्गेनोग्राम 13
आकृति 3 - भाविपप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों का ऑर्गेनोग्राम..... 16
आकृति 4 - राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में आधार संतृप्ति (31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार)..... 19
आकृति 5 - विभिन्न आधार सेवाओं के लिए किसी निवासी द्वारा सदेय प्रभार (31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार) 26

ग्राफों की सूची

ग्राफ 1 - वर्षवार आधार सृजन (सितंबर 2010 से मार्च 2022) 23
ग्राफ 2 - संचयी आधार सृजन (सितंबर 2010 से मार्च 2022)..... 23
ग्राफ 3 - वर्षवार आधार अद्यतन 26
ग्राफ 4 - वर्षवार आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार 29
ग्राफ 5 - संचयी अधिप्रमाणन संव्यवहार 30
ग्राफ 6 - वर्षवार ई-केवाईसी संव्यवहार..... 32
ग्राफ 7 - संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार 33
ग्राफ 8 - बैंक खातों से विशिष्ट रूप से जुड़े आधारों की प्रगति 47
ग्राफ 9 - एईपीएस संव्यवहार की प्रगति मई 2014 से..... 48
ग्राफ 10 - आधार भुगतान ब्रिज से संव्यवहार की प्रगति 49
ग्राफ 11 - आधार भुगतान ब्रिज से मूल्य संव्यवहार की प्रगति 50
ग्राफ 12 - बीई/आरई 2015 -16 से 2021 -22 तक बुक किये गए व्यय का विवरण 79
ग्राफ 13 - वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सेवाओं से हुई आय का विवरण..... 80

1. अवलोकन

1.1 वर्ष 2021-22

1.1.1 वर्ष 2021-22 की शुरूआत कोरोना वायरस की दूसरी लहर के साथ हुई जिसने देश के लिए एक नई चुनौती पेश की। हमने अप्रैल-जून 2021 के दौरान कठिन समय देखा, जिसमें हमारी चिकित्सा प्रणाली को इस महामारी ने गंभीर चुनौती दी थी और इसके साथ आर्थिक मंदी भी आई थी। हालांकि, इस अवधि के दौरान टीकाकरण की प्रक्रिया में भी तेजी आई और देश मार्च, 2022 तक अपनी जनसंख्या को 175 करोड़ से अधिक संख्या में टीकाकरण करने में समर्थ हुआ। इसके फलस्वरूप, देश महामारी से उबर गया और आर्थिक गतिविधियों में पुनः तेजी शुरू हुई। बहुत से संगठनों ने अपने कार्यालय खोल दिए और अपने कर्मचारियों को काम पर वापस बुला लिया। इस अवधि में देश में तेज विकास हुआ और यह विश्व में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था में से एक बना रहा।

1.1.2 टीकाकरण की प्रक्रिया में आधार कार्ड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि यह देश में टीकाकरण के लिए निवासियों की पहचान का सबसे पसंदीदा साधन है। ऑनलाइन आधार सेवाओं ने यह सुनिश्चित किया है कि नागरिक घर पर रहते हुए लॉकडाऊन के दौरान आधार सेवाओं और अन्य हितलाभों को प्राप्त कर सकते हैं। इसने यह सुनिश्चित किया कि महामारी और तत्पश्चात लॉकडाऊन के कारण निवासी आधार सेवाओं से वंचित नहीं हुए।

1.2 सबसे विश्वसनीय पहचान

1.2.1 आधार, सबसे विश्वसनीय पहचान, के साथ भारत ने व्यक्तिगत रूप से आबादी को सशक्त बनाने के लिए पहचान का एक ऐसा भरोसेमंद परिप्रेक्ष्य दिया है कि कोई भी विकास के रास्ते पर पीछे न रहे। यह उपलब्ध सीमित संसाधनों के साथ सेवाओं, लाभों और सब्सिडी के पारदर्शी और लक्षित वितरण के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक है। आधार भारत में किसी अन्य पहचान दस्तावेज की तुलना में अधिक आत्मविश्वास और विश्वास को प्रेरित करता है। वर्तमान में, दुनिया का लगभग हर छठा व्यक्ति आधार धारक है।

1.2.2 आधार - 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या - में परिवर्तन लाने की जबरदस्त क्षमता है, क्योंकि यह लोगों को कई तरीकों से सशक्त बनाता है, ताकि बड़े पैमाने पर लोगों के जीवन में सुरक्षा और विश्वास की भावना प्रबल हो सके। यह सब आधार की तकनीक, इसके प्लेटफॉर्म, इसकी प्रमाणीकरण संरचना और सत्यापन योग्य पहचान के रूप में इसके उपयोग के कारण संभव हो पाया है।

1.2.3 आधार से पहले के दिनों में किसी की पहचान को साबित करना सबसे बड़ी चुनौती थी। इस असमर्थता ने न केवल सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदान किए जाने वाले लाभ, सब्सिडी और अन्य अनुदानों को प्राप्त करने और उनका लाभ उठाने में समाज के गरीब और वंचित वर्गों को रोका, बल्कि यह छद्म/जाली और नकली पहचान के लिए संसाधनों की विविधता और लीकेज का भी कारण बनी। विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की एजेंसियों को, निवासियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए पहचान के प्रमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन पहचान के सत्यापन के अभाव, फर्जी अभ्यावेदनों, सुविधाओं के दुरुपयोग और दुर्लभ सरकारी संसाधनों की चोरी का कारण बनते हैं। आधार पूर्व दिनों में, कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर सत्यापित पहचान दस्तावेज/नंबर नहीं था, जिसे निवासियों और सेवा प्रदाता एजेंसियां विश्वास, सहजता और आत्मविश्वास के साथ उपयोग कर सकें।

1.2.4 सितंबर 2010 में इस पृष्ठभूमि के समक्ष, एक बड़े पैमाने पर तकनीकी रूप से जटिल पहचान कार्यक्रम, जिसे तत्समय विशिष्ट पहचान (यूआईडी) कार्यक्रम कहा जाता है, मानवीय इतिहास में अनसुना, को शुरू किया गया था। इसने भारत के प्रत्येक निवासी को न्यूनतम जनसांख्यिकीय डेटा जैसे नाम, जन्म तिथि, पता, लिंग और बायोमैट्रिक के आधार पर विशिष्ट पहचान देने की परिकल्पना की, जिसमें फोटो के साथ दस उंगलियों के निशान और आईरिस शामिल थे। चूंकि आधार बायोमैट्रिक के डि-डुप्लीकेशन पर आधारित है, इसलिए डुप्लिकेट, छद्म और

नकली पहचान, जिन्हें ज्यादातर अन्य कार्यक्रमों में शामिल किया जाता था, यहां लगभग असंभव थी।

1.2.5 विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या, आधार के रूप में विख्यात, की भारत के निवासियों के लिए सार्वभौमिक रूप से यूआईडी नंबर स्थापित करने के उद्देश्य से एक परियोजना के रूप में कल्पना की गई थी, ताकि (क) डुप्लिकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए इसे पर्याप्त रूप से मजबूत बनाया जा सके, और (ख) किफायती तौर पर आसानी से सत्यापित और प्रमाणित हो सके।

1.3 भाविपप्रा का सृजन

1.3.1 विशिष्ट पहचान की अवधारणा पर सर्वप्रथम विचार-विमर्श और उस पर कार्य 2006 में उस समय किया गया था, जब 'बीपीएल परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान' परियोजना के संबंध में 3 मार्च, 2006 को प्रशासनिक अनुमोदन, पूर्ववर्ती सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दिया गया था। इस परियोजना को 12 महीनों की एक अवधि के दौरान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा क्रियान्वित किया जाना था। तत्पश्चात, 3 जुलाई, 2006 को बीपीएल परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान परियोजना के तहत मुख्य डेटाबेस से डेटा फील्ड के अद्यतन, आशोधन, आवर्धन और विलोपन हेतु प्रक्रियाओं पर सुझाव देने के लिए एक प्रक्रिया समिति का गठन किया गया था।

1.3.2 तत्पश्चात, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस (एनआईएसजी) और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) के संरक्षण में एक 'कार्यनीतिक दृष्टिकोण - निवासियों की विशिष्ट पहचान' को तैयार किया गया और उसे प्रक्रिया समिति को प्रस्तुत किया गया। इसने करीबी संयोजन की यह परिकल्पना की थी कि विशिष्ट पहचान निर्वाचन संबंधी डेटाबेस के लिए होगा। समिति ने तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के संरक्षण में एक कार्यकारी आदेश द्वारा एक विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन किए जाने की आवश्यकता का मूल्यांकन किया ताकि, प्राधिकरण के लिए एक अखिल-विभागीय और तटस्थ पहचान सुनिश्चित की जा सके और साथ-साथ एक 11वीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में संक्रेंद्रित दृष्टिकोण समर्थित हो सके। प्रक्रिया समिति ने 30 अगस्त, 2007 को आयोजित अपनी 7वीं बैठक में तत्कालीन योजना आयोग को 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए संसाधन मॉडल पर आधारित एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

1.3.3 उसी दौरान, भारत के महापंजीयक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के सृजन और भारत के नागरिकों के लिए बहु-उद्देश्यीय राष्ट्रीय पहचान पत्र बनाने में कार्यरत थे। इसलिए, तत्कालीन प्रधान मंत्री के अनुमोदन से दो योजनाओं - नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) की विशिष्ट पहचान नंबर परियोजना को मिलाने के लिए मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) के गठन करने का निर्णय लिया गया।

1.3.4 सचिवों की समिति की सिफारिशों और मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) के निर्णय उपरांत, प्राधिकरण यूआईडीएआई का गठन किया गया और उसे जनवरी 2009 में अधिसूचना संख्या ए-43011/02/2009-प्रशा.। दिनांक 28 जनवरी, 2009 में निर्धारित कार्यों और उत्तरदायित्वों के साथ तत्कालीन योजना आयोग के संबद्ध कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया गया। प्रारंभ में पांच वर्षों के कार्यकाल के लिए श्री नंदन एम नीलेकणि को मंत्रिमंडल सचिव के रैंक एवं दर्जे में दिनांक 2 जुलाई, 2009 की अधिसूचना संख्या (ए-43011/02/2009-प्रशा.। (खंड-।।) के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसी वर्ष जुलाई में श्री राम सेवक शर्मा, भा.प्र.से. ने पहले महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

1.3.5 28 जनवरी, 2009 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना के उपरांत, कार्यक्रम, कार्यप्रणाली और कार्यान्वयन पर यूआईडीएआई को सुझाव देने के लिए 30 जुलाई, 2009 को यूआईडीएआई पर प्रधान मंत्री परिषद का गठन किया

गया था ताकि, मंत्रालयों/विभागों, हितधारकों और भागीदारों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। प्रधान मंत्री परिषद ने, 12 अगस्त, 2009 को अपनी पहली बैठक में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत यूआईडी प्रणाली पर विस्तृत कार्यनीति और दृष्टिकोण को अनुमोदित कर दिया।

1.3.6 यूआईडीएआई पर प्रधान मंत्री परिषद ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को जनसांख्यिकीय और बायोमैट्रिक डेटा के लिए मानक स्थापित करने वाले शीर्ष निकाय के रूप में घोषित कर दिया। इस अधिदेश के अनुसरण में, इन मानकों पर संस्तुति करने के लिए यूआईडीएआई ने दो समितियों अर्थात, (i) जनसांख्यिकीय डेटा मानक और सत्यापन प्रक्रिया संबंधी समिति और, (ii) बायोमैट्रिक मानक संबंधी समिति का गठन किया। श्री एन विट्ठल की अध्यक्षता में, जनसांख्यिकीय डेटा मानक और सत्यापन प्रक्रिया संबंधी समिति द्वारा 9 दिसंबर, 2019 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को बाद में यूआईडीएआई द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जबकि विभिन्न बायोमैट्रिक विशेषताओं के लिए मानकों पर बायोमैट्रिक मानक संबंधी समिति द्वारा रिपोर्ट को, एनआईसी के तत्कालीन महानिदेशक डॉ. बी. के. गैरोला की अध्यक्षता में 07 जनवरी 2010 को प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट को भी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

1.3.7 प्रधानमंत्री परिषद को भाविपप्रा पर मंत्रिमंडल समिति से प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस समिति का गठन भारत सरकार के दिनांक 22 अक्तूबर, 2009 के आदेश संख्या 1/11/6/2009 द्वारा किया गया था। इस अधिसूचना के अनुसार, इस समिति के प्रकार्यों में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संगठन, योजना, नीतियों, कार्यक्रमों, स्कीमों, वित्तपोषण और भाविपप्रा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली सहित प्राधिकरण से संबंधित सभी मुद्दें शामिल हैं।

1.3.8 मंत्रिमंडल के अनुमोदनों के अनुसार, आधार नामांकन को भौगोलिक रूप से यूआईडीएआई और आरजीआई के बीच विभाजित कर दिया गया। तदनुसार, यूआईडीएआई को 24 राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों (यूटी) में आधार का नामांकन करने और आरजीआई को 12 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में नामांकन करने का कार्य सौंपा गया। हालांकि, गृह मंत्रालय ने दिनांक 5 मई, 2016 के अर्ध शासकीय पत्र सं. आरजी(पी)/एनपीआर/आरजीआई के द्वारा यूआईडीएआई को उन 10 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों नामतः अरूणाचल प्रदेश, दादर और नगर हवेली, जम्मू व कश्मीर, लक्षद्वीप, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल (असम एवं मेघालय को छोड़कर), जिनके नामांकन का कार्य पूर्व में आरजीआई को सौंपा गया था, में नामांकन कार्य शुरू करने के लिए कहा गया।

1.3.9 इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 20 अप्रैल, 2017 के पत्र द्वारा सूचित किया कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) योजना के तहत बायोमैट्रिक नामांकन का कार्य, आधार अधिनियम, 2016 के अधिनियमित होने के फलस्वरूप यूआईडीएआई द्वारा साफ्टवेयर में किए गए परिवर्तन के उपरांत 23 सितंबर, 2016 से बंद पड़ा है। इसलिए, यूआईडीएआई सांविधिक उपबंधों के तहत असम और मेघालय सहित संपूर्ण देश में आधार हेतु नामांकन करने के लिए सक्षम है।

1.3.10 संसद ने 2016 में आधार (वित्तीय एवं अन्य प्रसुविधाओं, लाभों और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 के 18) को लागू करके आधार को विधायी स्तर प्रदान किया और भारत सरकार ने इसे 26 जून 2016 को अधिसूचित किया। तत्पश्चात, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को नई दिल्ली में प्रधान कार्यालय के साथ आठ क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई एवं रांची और केंद्र के लिए केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी ऑपरेशन, हेब्बल (बेंगलुरु) में और मानेसर (गुरुग्राम) में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ.2358 (ई) दिनांक 12 जुलाई, 2016 को आधार अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा एक सांविधिक विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था।

1.3.11 प्राधिकरण ने 14 सितंबर, 2021 को आयोजित अपनी 28वीं बैठक में, भोपाल, अहमदाबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर और तिरूवंतपुरम में 5 राज्य स्तरीय कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया। राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य कार्यालयों को खोला गया था।

1.4 भाविपप्रा का अधिदेश

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को प्रत्येक निवासी को आधार नंबर जारी करने के संबंध में नीति बनाने, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करने तथा प्रमाणन निष्पादन करने के लिए अधिदेशित किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में संचित सूचना को अनधिकृत ऐक्सेस या दुरुपयोग से सुरक्षित एवं संरक्षित करने के संबंध में सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

1.5 भाविपप्रा का सफर

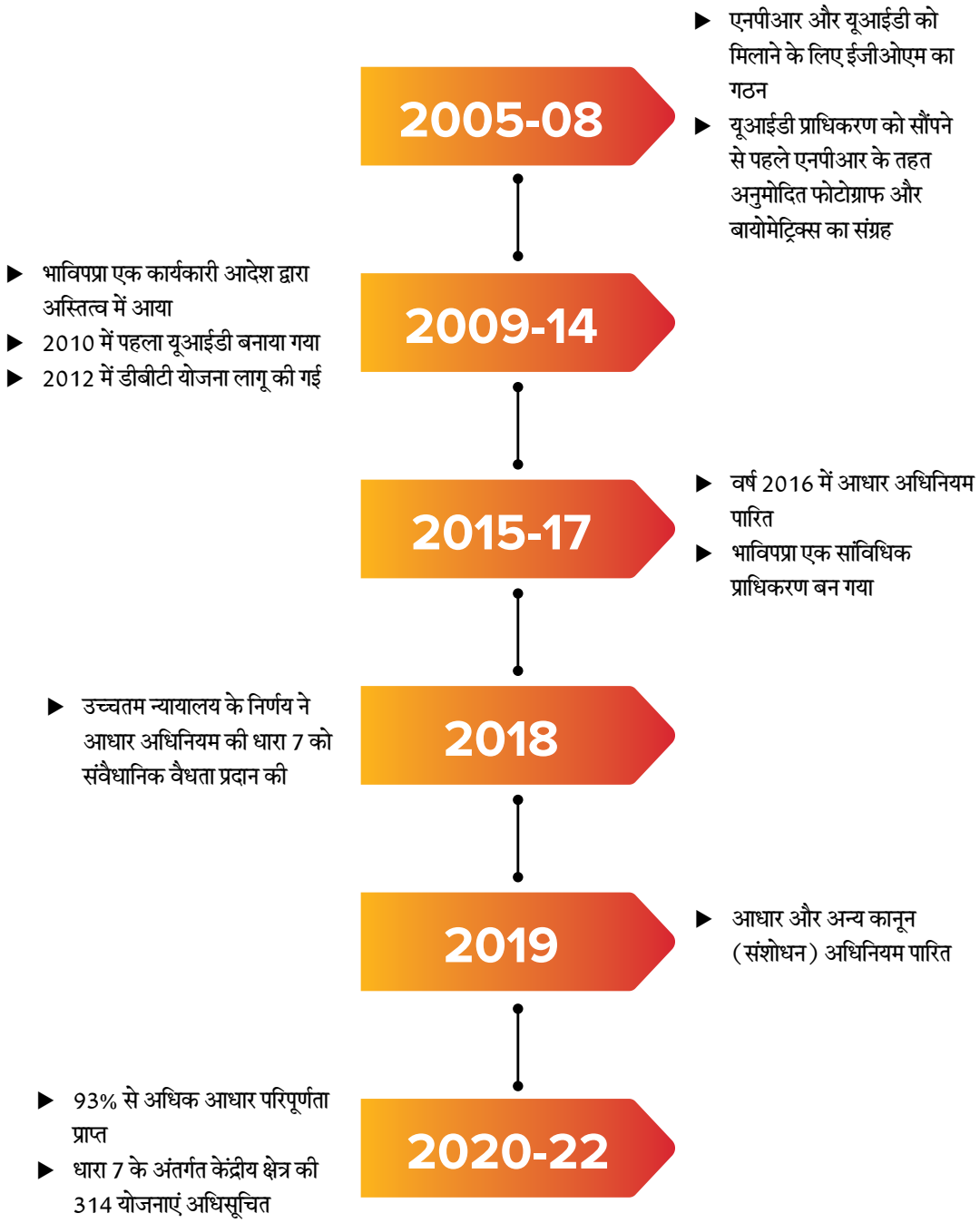

1.5.1 पहली विशिष्ट पहचान (यूआईडी), विख्यात नाम आधार, 29 सितंबर, 2010 को जारी की गई थी। तत्पश्चात 31 मार्च, 2022 तक 132.96 करोड़ से अधिक भारतीय निवासियों को आधार नंबर जारी किए जा चुके हैं। एक विशिष्ट पहचान के तौर पर आधार की निम्न विशेषताएं हैं -

- यह 12 अंकों की एक यादृच्छिक संख्या है।
- यादृच्छिक संख्या में कोई आसूचना या रूपरेखा शामिल नहीं है।
- विशिष्टता का सुनिश्चयन बायोमैट्रिक गुणधर्म से होता है।
- इसमें केवल संख्याएं हैं, यह स्मार्ट कार्ड नहीं है।
- इसका नामांकन व अद्यतन देश में कहीं से भी किया जा सकता है।
- इसका ऑनलाइन अधिप्रमाणन देश में कभी भी, कहीं से भी किया जा सकता है।
- पूरे देश में संवहनीय पहचान है, जो क्षेत्र व भाषा की अड़चनों से परे है।
- एक बार सृजित और निर्गत संख्या फिर कभी भी पुनःसृजित और पुनर्निर्गत नहीं की जा सकती।
- यह नागरिकता, अधिकार एवं पात्रता प्रदान नहीं करता।
- संग्रहित सूचना की निजता एवं सुरक्षा। निवासी की सहमति के बिना कोई डेटा साझा न करना।

1.5.2 नामांकन के संदर्भ में, भाविपप्रा लगभग पूरे देश को कवर कर लिया है। भाविपप्रा की संकल्पना देश के सभी निवासियों के नामांकन की है जिसमें बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों, गरीबों एवं समाज के वंचित वर्गों के प्रति विशेष ध्यान दिया गया है। 31 मार्च 2022 तक 132.96 करोड़ से अधिक आधार सृजित किए गए हैं तथा इसमें प्रतिदिन निरंतर वृद्धि हो रही है। भाविपप्रा अपनी सेवा डिलीवरी में सुधार लाने के निरंतर उपाय कर रहा है, ताकि आम तौर पर लोगों की सुविधा के लिए जीवन सुगमता और व्यवसाय सुगमता का सृजन हो सके। आधार का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं में सब्सिडी, लाभ एवं सेवाए देने में किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप लाभार्थियों को सब्सिडी, लाभ एवं सेवाएं देने में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके अलावा, आधार ने लीकेज पर अंकुश लगाने और विभिन्न डाटाबेसों से छदम/नकली लाभार्थियों पर प्रतिबंध लगाने से राजकोष में महत्वपूर्ण बचत की है।

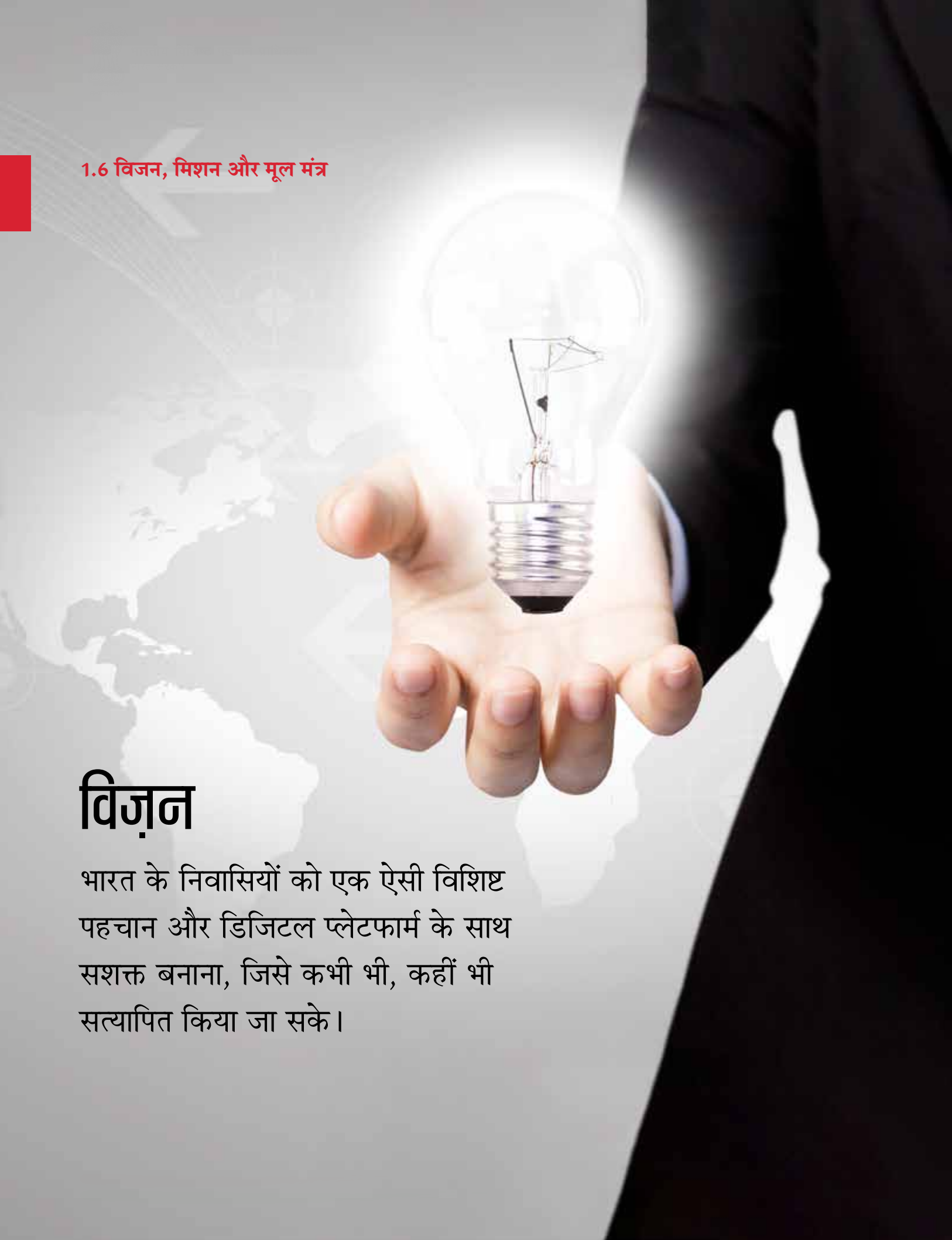

विज़न

भारत के निवासियों को एक ऐसी विशिष्ट पहचान और डिजिटल प्लेटफार्म के साथ सशक्त बनाना, जिसे कभी भी, कहीं भी सत्यापित किया जा सके।

मिशन

- एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने के द्वारा भारत के निवासियों को सुशासन, सहायिकियों, लाभों और सेवाओं का कुशल, पारदर्शी और लक्षित परिदान उपलब्ध कराना, जिनके लिए व्यय भारत की समेकित निधि से किया गया हो।
- भारत के निवासियों को आधार नंबर जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली का विकास करना, ताकि वे नामांकन की प्रक्रिया के दौरान अपनी जनसांख्यिकीय व बायोमेट्रिक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध कर सकें।
- आधार धारकों के लिए उनकी डिजिटल पहचान के अद्यतन और अधिप्रमाणन के संबंध में नीति, प्रक्रिया और प्रणाली का विकास करना।
- प्रौद्योगिकी अवसंरचना की उपलब्धता, मापनीयता और प्रतिरोधक्षमता सुनिश्चित करना।
- भाविपप्रा के दृष्टिकोण व मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए इसे दीर्घकालिक सतत् संगठन बनाना।
- व्यक्तियों की पहचान सूचना एवं अधिप्रमाणन रिकॉर्ड की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना।
- आधार अधिनियम का सभी व्यक्तियों और एजेंसियों से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराना।
- आधार अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए आधार अधिनियम के अनुरूप विनियम और नियम बनाना।

मूल मंत्र

- हम सुशासन को सुविधाजनक बनाने में विश्वास करते हैं
- हम सत्यनिष्ठा को महत्व देते हैं
- हम समावेशी राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं
- हम सहयोगी दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं और अपने भागीदारों को महत्व देते हैं
- हम निवासियों और सेवा प्रदाताओं को प्रदान की जा रही सेवाओं में उत्कृष्टता लाने के लिए प्रयासरत रहेंगे
- हमारा ध्यान हमेशा निरंतर सीखने और गुणवत्ता में सुधार करने पर केंद्रित होगा
- हम नवप्रवर्तन से प्रेरित हैं और अभिनव के लिए अपने भागीदारों को प्लेटफार्म प्रदान करते हैं
- हम एक पारदर्शी और उदार संगठन में विश्वास करते हैं

1.7 भाविपप्रा के उद्देश्य

भाविपप्रा का गठन भारत के निवासियों के लिए सार्वभौमिक रूप से ''आधार'' नामक विशिष्ट पहचान (यूआईडी) नंबर जारी करने सहित निम्नलिखित उद्देश्य के लिया किया गया थाः

- जो इतने पुष्ट हों कि उनसे नकली और छद्म पहचानों को समाप्त किया जा सके, तथा
- जिनका सत्यापन और अधिप्रमाणन कभी भी, कहीं भी सरल एवं किफायती ढ़ंग से हो सके।

1.8 भाविपप्रा को सौंपे गए कार्य

आधार अधिनियम, 2016 की धारा 23 के अनुसार, भाविपप्रा ने व्यक्तियों को आधार नंबर जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया एवं प्रणाली का विकास किया और आधार अधिनियम के अंतर्गत उसका अधिप्रमाणन किया। प्राधिकरण के कार्यों में, अन्य विषयों के सहित निम्नलिखित शामिल हैं-

- नामांकन के लिए अपेक्षित जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक सूचना और उसके संग्रहण एवं सत्यापन की प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से विनियमों में विनिर्दिष्ट करना;
- आधार नंबर चाहने वाले व्यक्ति से जनसांख्यिकीय सूचना एवं बायोमेट्रिक सूचना का संग्रहण विनियमों में विनिर्दिष्ट विधि के अनुरूप करना;
- केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) के प्रचालन हेतु एक अथवा अधिक संस्थाओं की स्थापना करना;
- व्यक्तियों के लिए आधार नंबरों का सृजन एवं निर्धारण करना;
- आधार नंबरों का प्रमाणीकरण निष्पादित करना;
- केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में व्यक्तियों की सूचना का अनुरक्षण एवं अद्यतन विनियमों में विनिर्दिष्ट विधि के अनुरूप करना;
- विनियमों में विनिर्दिष्ट विधि के अनुरूप, एक आधार नंबर व उससे संबद्ध सूचना को निरस्त और निष्क्रिय करना;
- विभिन्न सहायिकियों, लाभों, सेवाओं और अन्य उद्देश्यों, जिसके लिए आधार नंबर का उपयोग किया जा सकता है, को प्रदान करने या प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ आधार नंबर के उपयोग के तरीके को विनिर्दिष्ट करना;
- विनियमों द्वारा रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति करने एवं ऐसी नियुक्तियों को समाप्त करने से संबंधित नियम एवं शर्तों का ब्योरा विनिर्दिष्ट करना;
- केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) की स्थापना, प्रचालन एवं अनुरक्षण करना;
- इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विनियमों में विनिर्दिष्ट के अनुरूप आधार नंबर धारकों से संबद्ध सूचना को साझा करना;
- आधार अधिनियम के अनुपालन में केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी, अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं अन्य एजेंसियों से सूचना व रिकार्ड की मांग करना, उनका निरीक्षण करना तथा प्रचालनों की लेखापरीक्षा करना;
- आधार अधिनियम के अंतर्गत डेटा प्रबंधन, सुरक्षा प्रोटोकॉल एवं अन्य प्रौद्योगिकी सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं को विनियमों में विनिर्दिष्ट करना;
- शुल्क लगाना एवं उसे एकत्रित करना अथवा रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों अथवा अन्य सेवा प्रदाताओं को इस अधिनियम के अंतर्गत उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के संबंध में ऐसे शुल्क की प्राप्ति के लिए अधिकृत करना, जैसा कि विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है;
- इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता देने के लिए यथा आवश्यक समितियां नियुक्त करना;
- आधार नंबर के उपयोग सहित बायोमेट्रिक एवं संबंधित क्षेत्रों के संवर्धन के लिए उपयुक्त प्रणाली के जरिए अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना;

- रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं अन्य सेवा प्रदाताओं के लिए विनियमों, नीतियों एवं व्यवहारों को विकसित एवं विनिर्दिष्ट करना;
- व्यक्तियों, रजिस्ट्रारों, नामांकन एजेंसियों एवं सेवा प्रदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण तंत्र और सुविधा केंद्रों की स्थापना करना;
- आधार अधिनियम के प्रयोजनार्थ सूचना के संग्रहण, भंडारण, सुरक्षण या प्रक्रमण से संबंधित किसी कार्य अथवा व्यक्तियों को आधार नंबर के वितरण अथवा प्रमाणीकरण निष्पादन करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ-राज्य क्षेत्रों अथवा अन्य एजेंसियों के साथ, जैसा भी मामला हो, समझौता ज्ञापन अथवा अनुबंध करना;
- अधिसूचना द्वारा अपेक्षित संख्या में रजिस्ट्रारों की नियुक्ति करना एवं सूचना के संग्रहण, भंडारण, सुरक्षण, प्रक्रमण या प्रमाणीकरण करने या उससे संबद्ध अन्य कार्यों के लिए एजेंसियों की नियुक्ति करना तथा उन्हें प्राधिकृत करना, जैसा आधार अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है;
- इस अधिनियम के अंतर्गत इसके कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए परामर्शदाताओं, सलाहकारों एवं अन्य व्यक्तियों, यथा आवश्यक, को ऐसे भत्तों या पारिश्रमिक तथा नियम एवं शर्तों के अनुसार नियुक्त करना, जैसा अनुबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. संगठनात्मक संरचना

भारतीय विषिष्ट पहचान प्राधिकरण ('प्राधिकरण/भाविपप्रा') का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसके अंतर्गत आठ क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली और रांची में स्थित हैं। भाविपप्रा के दो डेटा केंद्र - एक हेब्बल (बेंगलुरु) कर्नाटक तथा दूसरा मानेसर (गुरूग्राम) हरियाणा में स्थित है। हाल ही में, प्राधिकरण ने दिनांक 14.09.21 को आयोजित अपनी 28वीं बैठक के दौरान राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय के लिए 5 राज्य स्तरीय कार्यालय खोलने को मंजूरी दी। भाविपप्रा की संगठनात्मक संरचना को आकृति 1 में दशार्या गया है।

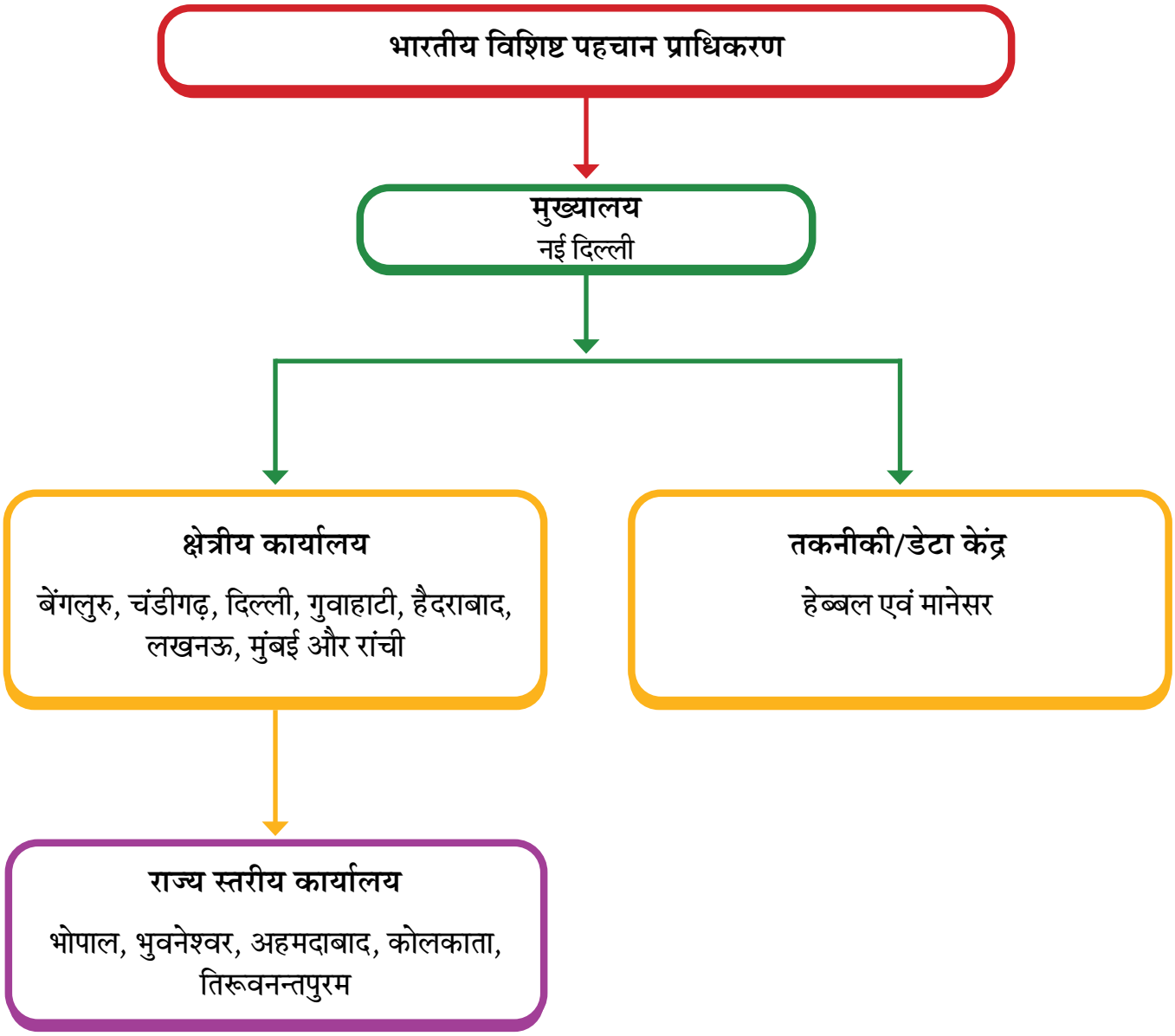

आकृति 1 - संगठनात्मक संरचना

2.1 प्राधिकरण की संरचना

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) एक अध्यक्ष, दो अंशकालिक सदस्यों तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो प्राधिकरण के सदस्य सचिव भी हैं, से युक्त है। 31 मार्च 2022 के अनुसार प्राधिकरण की संरचना को तालिका-1 में दशार्या गया है।

तालिका 1 - वर्तमान संरचना

क्र.सं.	सदस्य का नाम तथा विवरण	पदनाम
1	**डॉ. आनन्द देशपांडे** पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के संस्थापक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	सदस्य (अंशकालिक)
2	**डॉ. सौरभ गर्ग** आईएएस (ओडिशाः1991)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं सदस्य सचिव

अध्यक्ष (अंशकालिक) एवं एक सदस्य (अंशकालिक) का पद रिक्त है।

2.2 मुख्यालय की संरचना

मुख्यालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्य-सहयोग के लिए भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के उपमहानिदेशक कार्यरत हैं, जो भाविपप्रा के विभिन्न कार्य-प्रभागों के प्रभारी हैं। उपमहानिदेशकों के साथ कार्य-सहयोग के लिए निदेशक, उप निदेशक, अनुभाग अधिकारी एवं सहायक अनुभाग अधिकारी नियुक्त हैं। भाविपप्रा मुख्यालय की संगठनात्मक संरचना को आकृति-2 में दशार्या गया है।

भा.वि.प.प्रा. मुख्यालय भवन, नई दिल्ली

ऑर्गेनोग्राम - मुख्यालय*

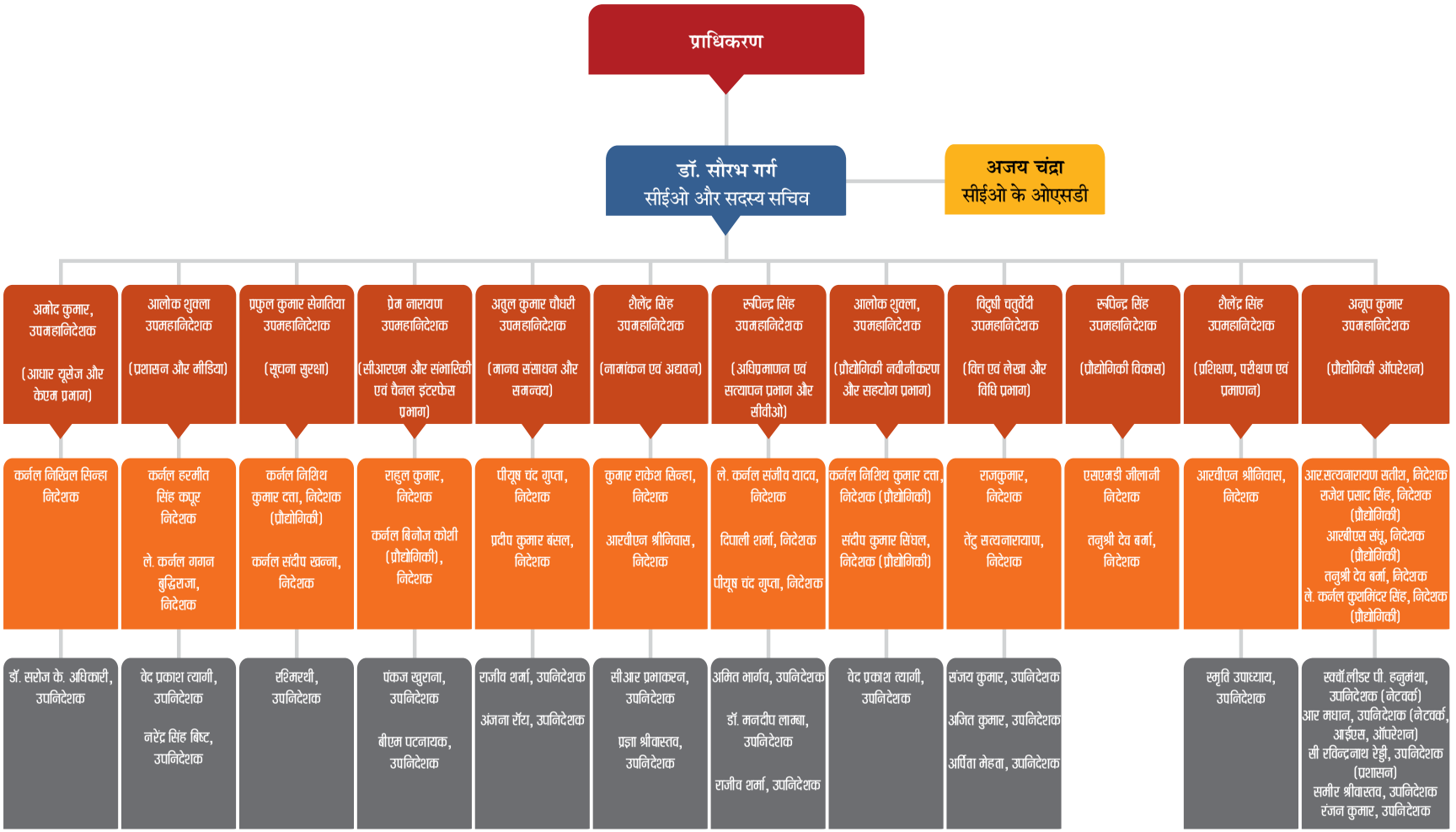

आकृति 2 - भाविपप्रा मुख्यालय का ऑर्गेनोग्राम

**31 मार्च 2022 तक के अनुसार*

मेरा आधार, मेरी पहचान

2.3. क्षेत्रीय कार्यालय की संरचना

भाविपप्रा के आठ क्षेत्रीय कार्यालयों में से प्रत्येक का कार्यालय प्रमुख उपमहानिदेशक (डीडीजी) रैंक का अधिकारी है तथा उनकी सहायता के लिए निदेशक, उप निदेशक, अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखाकार एवं वैयक्तिक कर्मचारी कार्यरत हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों और उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों का विवरण तालिका-2 में दशार्या है। भाविपप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों के आग्रेनोग्राम को आकृति-3 में दशार्या गया है।

तलिका 2 – भाविपप्रा के क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना

क्षेत्रीय कार्यालय	क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र
बेंगलुरु	कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु
चंडीगढ़	चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब
नई दिल्ली	मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड
गुवाहाटी	अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा
हैदराबाद	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना
लखनऊ	उत्तर प्रदेश
मुंबई	दादर व नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र
रांची	बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल

तालिका 3 – राज्य स्तरीय कार्यालय और उनके क्षेत्राधिकार

क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ)	राज्य स्तरीय कार्यालय	क्षेत्राधिकार
क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरू	तिरूवनन्तपुरम	केरल
क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली	भोपाल	मध्यप्रदेश
क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद	भुवनेश्वर	ओडिशा
क्षेत्रीय कार्यालय मुबंई	अहमदाबाद	गुजरात
क्षेत्रीय कार्यालय रांची	कोलकाता	पश्चिम बंगाल

ऑर्गेनोग्राम - क्षेत्रीय कार्यालय*

आकृति 3 - भाविपप्रा क्षेत्रीय कार्यालयों का ऑर्गेनोग्राम

**31 मार्च 2022 तक के अनुसार*

मेरा आधार, मेरी पहचान

3. भाविपप्रा की कार्यप्रणाली

3.1 अवलोकन

3.1.1. आधार का उद्देश्य, केवल 'पहचान प्रमाण' से भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ सशक्त बनाना है। यह 12-अंकीय पहचान संख्या, निवासी को आधार नामांकन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद, अन्य बातों के साथ-साथ, उसकी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी प्रस्तुत करने के उपरांत, जारी की जाती है।

3.1.2. एक बार निवासियों का नामांकन होने पर, वे आधार अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित प्रमाणीकरण के विभिन्न तरीकों से, जैसा भी मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या ऑफलाइन सत्यापन के द्वारा अपनी पहचान प्रमाणित करने और उसे स्थापित करने के लिए आधार नंबर का उपयोग कर सकते हैं और यह निवासी द्वारा अनेक बार सेवाओं, लाभों और सब्सिडी का उपयोग करने पर हर बार पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने संबंधी परेशानी को समाप्त करता है।

3.1.3. भाविपप्रा अपने संपूर्ण डेटाबेस में उपलब्ध निवासियों के जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक विशेषताओं को डी-डुप्लिकेट करने के बाद ही उनको आधार नंबर जारी करता है। आधार प्रमाणीकरण विभिन्न योजनाओं के तहत दोहराव को समाप्त करने में सक्षम बनाता है और इससे सरकारी कोष में पर्याप्त बचत होने की आशा है। यह सरकार को लाभार्थियों के प्रत्यक्ष लाभ संबंधी कार्यक्रम को सफल बनाने के संबंध में सटीक डेटा भी प्रदान करता है और यह सरकारी विभागों/सेवा प्रदाताओं को विभिन्न योजनाओं के समन्वय करने और अनुकूल बनाने में अनुमति प्रदान करता है। आधार कार्यान्वयन एजेंसियों को लाभार्थियों के सत्यापन करने और लाभों का लक्षित वितरण सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है।

3.1.4. सेवा वितरण तंत्र के बारे में सटीक और पारदर्शी जानकारी प्रदान करने वाले आधार प्लेटफॉर्म के साथ, सरकार वितरण प्रणाली में सुधार कर सकती है और सेवा वितरण नेटवर्क में शामिल मानव संसाधन का बेहतर उपयोग करने के साथ-साथ दुर्लभ विकास निधि का इष्टतम उपयोग कर सकती है। इसलिए, प्रभावी और कुशल सेवाओं की उच्च प्रभावकारिता, समावेश और साल भर उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा किसी भी समय और कहीं भी प्रमाणित करने के लिए भाविपप्रा ने कई इकोसिस्टम स्थापित किए हैं और उन्हें निवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आधार अधिनियम और इसके विनियमों के अनुसार संचालित किया है।

3.1.5. आधार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत अधिसूचित विनियम इस प्रकार हैं:

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (प्राधिकरण की बैठकों में कार्य संचालन) विनियम, 2016 (2016 का सं. 1)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 का सं. 2)
- आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 (2016 का सं. 3) [आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 (2021 का सं.2) द्वारा प्रतिस्थापित]।
- आधार (डाटा सुरक्षा) विनियम, 2016 (2016 का सं. 4)
- आधार (सूचना की सहभाजिता) विनियम, 2016 (2016 का सं. 5)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का सं.1)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का सं. 2)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का सं. 3)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2017 (2017 का सं. 5)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का सं. 1)

- आधार (नामांकन और अद्यतन) (छठा संशोधन) विनियम, 2018 (2018 का सं. 2)
- आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) विनियम, 2019 (2019 का सं.1) [आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) विनियम, 2021 (2021 का सं. 1) द्वारा प्रतिस्थापित]।
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (सातवां संशोधन) विनियम, 2019 (2019 का सं. 3)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 (2020 का सं. 1)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2020 (2020 का सं. 2)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (आठवां संशोधन) विनियम, 2020 (2020 का सं.3)
- आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) विनियम, 2021 (2021 का सं.1)
- आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 (2021 का सं. 2)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021(2021 का सं. 3)
- आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का सं.1)
- आधार (नामांकन और अद्यतन) (नौवां संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का सं. 2)
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का सं. 3)

3.1.6. निम्नलिखित यूआईडीएआई के ईकोसिस्टम हैं:

- नामांकन और अद्यतन ईकोसिस्टम
- अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम
- संभारिकी ईकोसिस्टम
- प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणन ईकोसिस्टम
- उपभोक्ता संबंध प्रबंधन

3.2 नामांकन और अद्यतन ईकोसिस्टम

3.2.1 आधार नामांकन भाविपप्रा का प्राथमिक अधिदेश होने के कारण, संगठन का ध्यान निवासियों के नामांकन पर रहा है। आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के अनुसार, आधार की नामांकन प्रक्रिया अर्थात विशिष्ट पहचान (यूआईडी) संख्या, किसी निवासी द्वारा नामांकन केंद्र में नामांकन एजेंसी को नामांकन फॉर्म भरकर सहायक दस्तावेजों के साथ अपनी जानकारी जमा करने, जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा प्राप्त किए जाने, अनुलग्नक-III में निर्धारित दस्तावेजों की सूची के अनुसार पहचान का प्रमाण (पीओआई), पते का प्रमाण (पीओए) और जन्म तिथि का प्रमाण (पीओडीओबी) दस्तावेज जमा करने के साथ शुरू होती है।

3.2.2 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, देश भर में बैंकों, डाकघरों, सीएससी, आधार सेवा केंद्रों (एएसके), बीएसएनएल और राज्य सरकारों द्वारा भाविपप्रा के रजिस्ट्रार के रूप में 53,816 आधार नामांकन और अद्यतन केंद्र चलाए जा रहे हैं। केंद्र में, नामांकन प्रचालक द्वारा सिस्टम में विवरण दर्ज करने के बाद, निवासी नामांकन/अद्यतन के लिए ली गई जानकारी की सटीकता की पुष्टि करता है और प्रक्रिया पूरी होने पर नामांकन आईडी युक्त पावती पर्ची प्राप्त करता है। उपरोक्त के अलावा, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नामांकन की सुविधा के लिए 36,129 बाल नामांकन लाइट किट (सीईएलसी) नामांकन किट भी उपलब्ध हैं।

3.2.3 नामांकन या अद्यतन के लिए ली गई जानकारी को भाविपप्रा के डेटा केंद्रों में संसाधित किया जाता है और क्रमशः आधार या इसका अद्यतन संस्करण को सृजित किया जाता है। भाविपप्रा ने 31 मार्च 2022 तक, 132.96 करोड़ से अधिक

आधार (126.79 करोड़ लाइव आधार) जारी किए हैं। 25 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में आधार का कवरेज 90% से अधिक के संतृप्ति स्तर तक पहुंच गया है, जबकि 6 राज्यों/ संघ राज्य-क्षेत्रों में कवरेज 80% और 90% के बीच है। आकृति-4, 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार राज्यों/ संघ राज्य-क्षेत्रों में आधार कवरेज की स्थिति को दशार्ती है।

3.2.4 चूंकि कई राज्य पहले ही आधार संतृप्ति स्तर तक पहुंच चुके हैं, इसलिए काम की मात्रा 'नामांकन' से 'अद्यतन' में स्थानांतरित हो गई है। आने वाले समय में, आधार और इस विशिष्ट पहचान संख्या का लाभ उठाने वाले विभिन्न सेवाओं की सफलता इसके डेटाबेस की अद्यतन स्थिति पर निर्भर करेगी, इस प्रकार आधार की जानकारी को निरंतर अद्यतन बनाए रखना भाविपप्रा का एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निवासी किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर जाकर आधार में किसी भी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी को अद्यतित करवा सकते हैं।

3.2.5 भाविपप्रा, आधार का लाभ उठाने वाली आधारभूत अवसंरचना और अनुप्रयोगों के विकास के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों के साथ निकट समन्वय से कार्य कर रहा है। भाविपप्रा नामांकन गतिविधियों को अधिकतम बनाने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों को नामांकन किट अधिप्राप्त करने के उद्देश्य से आईसीटी अवसंरचना के लिए सहायता भी प्रदान करता है। तदनुसार, भाविपप्रा परियोजना की शुरूआत से 31 मार्च 2022 तक, 29 राज्यों/8 संघ राज्य-क्षेत्रों /3 विभागों और 2 केंद्रीय मंत्रालयों को 472.99 करोड़ रुपए की राशि की आईसीटी सहायता प्रदान की गई है। यह सहायता उसके अंतर्गत बनाई गई नीति के अनुसार 3 अलग-अलग चरणों में प्रदान की गई थी।

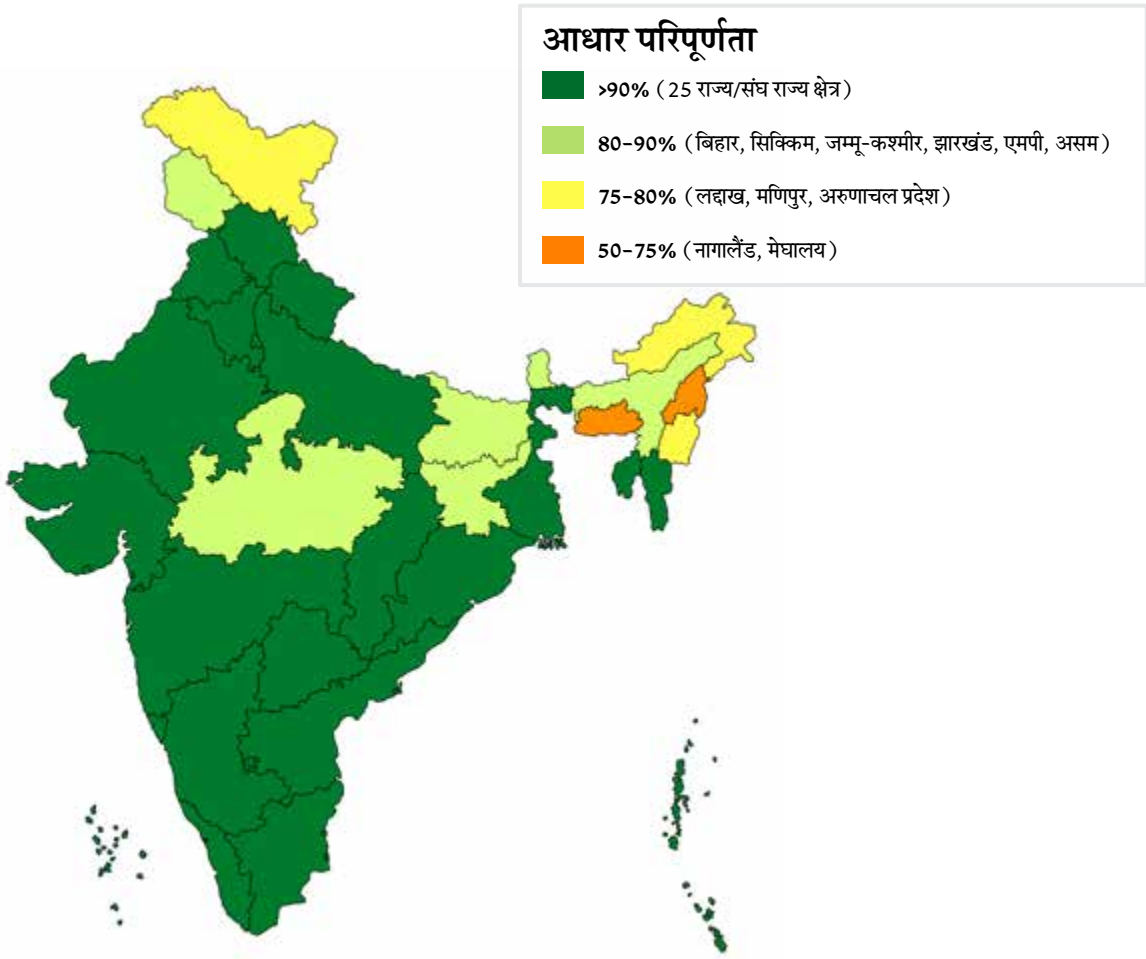

आकृति 4 - राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में आधार संतृप्ति (31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार)

3.2.6 निवासी पोर्टल https://myaadhaar.uidai.gov.in/ (पहले एसएसयूपी) पोर्टल का उपयोग करके ऑनलाइन अपने जनसांख्यिकीय विवरण (नाम (मामूली परिवर्तन), लिंग, जन्म तिथि और पता) को आधार में अद्यतन करवा सकते हैं। अपने डेटा को अपडेट करने के लिए निवासी से 50 रु. प्रति पैकेट की दर से शुल्क लिया जाएगा।

3.3 नामांकन भागीदार

3.3.1. आधार नामांकन और अद्यतन करने के लिए भाविपप्रा के पास एक ईकोसिस्टम विद्यमान है, जिसमें आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार निम्नलिखित भागीदार शामिल हैं:

1. **रजिस्ट्रार:** आधार अधिनियम, 2016 के तहत व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा अधिकृत या मान्यता प्राप्त कोई भी संस्था।
2. **नामांकन एजेंसी:** आधार अधिनियम, 2016 के तहत व्यक्तियों की जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने के लिए प्राधिकरण या रजिस्ट्रार, जैसा भी मामला हो, द्वारा नियुक्त एजेंसी।
3. **नामांकन केंद्र:** निवासियों का नामांकन करने और उनकी जानकारी को अद्यतन करने के लिए एक नामांकन एजेंसी द्वारा स्थापित एक स्थायी या अस्थायी केंद्र।
4. **परिचयकर्ता:** रजिस्ट्रार द्वारा ऐसे निवासियों, जिनके पास कोई निर्धारित सहायक दस्तावेज नहीं है, का परिचय कराने के लिए वैध आधार रखने वाला अधिकृत व्यक्ति।
5. **प्रचालक:** नामांकन केंद्रों पर नामांकन की प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित प्रमाणित कर्मचारी।
6. **पर्यवेक्षक:** नामांकन केंद्रों के संचालन और प्रबंधन के लिए नामांकन एजेंसियों द्वारा नियोजित प्रमाणित कर्मचारी।
7. **सत्यापनकर्ता:** नामांकन केंद्रों पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कार्मिक।

3.4 नामांकन प्रक्रिया

3.4.1 किसी निवासी के लिए आधार नामांकन प्रक्रिया में नामांकन केंद्र पर जाना, नामांकन फॉर्म भरना, जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा प्रदान करना, पहचान का प्रमाण (पीओआई), पते का प्रमाण (पीओए) और जन्म तिथि का प्रमाण (पीओडीओबी) संबंधी दस्तावेज जमा करना, सूचित सहमति देना और नामांकन पूरा होने के बाद नामांकन आईडी युक्त पावती पर्ची प्राप्त करना शामिल है।

3.4.2 नामांकन फॉर्म में भरे गए नामांकन डेटा को सहायक दस्तावेजों के साथ सत्यापित किया जाता है और सिस्टम में अपलोड किया जाता है, जहां डेटा विभिन्न जांच और सत्यापन चरणों से होकर गुजरता है और आधार नंबर सृजित किया जाता है।

3.4.3 भाविपप्रा प्रक्रिया अनुलग्नक-III में उल्लिखित पीओआई, पीओए और पीओडीओबी दस्तावेजों की विस्तृत श्रृंखला को स्वीकार करती है। यदि परिवार के किसी सदस्य के पास वैध दस्तावेज नहीं हैं, तब भी वह आधार के लिए नामांकन कर सकता है, यदि उसका नाम पारिवारिक पात्रता दस्तावेज में मौजूद है। ऐसे मामले में, पात्रता दस्तावेज में दर्ज परिवार के मुखिया (एचओएफ) को पहले वैध पीओआई, पीओए और पीओडीओबी दस्तावेजों के साथ खुद को नामांकित करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद, परिवार का मुखिया संबंध का प्रमाण (पीओआर) दस्तावेज जमा करके परिवार के अन्य सदस्यों का परिचय आधार नामांकन के लिए कर सकता है। भाविपप्रा अनुलग्नक-III में उल्लिखित कई दस्तावेजों को संबंध के प्रमाण (पीओआर) के रूप में स्वीकार करता है। यदि कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो निवासी 'परिचयकर्ता' की मदद ले सकता है, जिसे रजिस्ट्रार द्वारा विधिमान्य किया जाता है।

3.4.4 आधार के लिए नामांकन के दौरान, केवल न्यूनतम जनसांख्यिकीय जानकारी, जैसे नाम, लिंग, आवासीय पता, जन्म तिथि (डीओबी) तथा बायोमेट्रिक जानकारी जैसे सभी दस उंगलियों के निशान, दोनों आईरिस और चेहरे की छवि का स्कैन कैप्चर किया जाता है।

3.4.5 इसके अतिरिक्त, निवासी के पास अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर देने का विकल्प होता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के संबंध में, केवल नाम, लिंग, जन्मतिथि और बच्चे के चेहरे की छवि कैप्चर की जाती है और माता-पिता में से किसी एक का आधार/नामांकन आईडी लिया जाता है।

जांस्कर, लद्दाख में खानाबदोशों के लिए नामांकन शिविर

3.4.6 संक्षेप में, नामांकन के लिए तीन माध्यम मौजूद हैं:

दस्तावेज आधारित	परिवार के मुखिया (एचओएफ) पर आधारित	परिचयकर्ता आधारित
पहचान के वैध प्रमाण के दस्तावेज और पते के वैध प्रमाण के दस्तावेज को प्रस्तुत किया जाना	परिवार का मुखिया ऐसे दस्तावेजों के माध्यम से परिवार के सदस्यों का परिचय करा सकता है, जो उसके साथ उनके संबंध को स्थापित करते हों।	पहचान के वैध प्रमाण (पीओआई) के दस्तावेज और पते के वैध प्रमाण (पीओए) के दस्तावेज न होने की स्थिति में किसी परिचयकर्ता की सहायता प्राप्त की जा सकती है। परिचयकर्ता रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त व्यक्ति है और उसके पास वैध आधार नंबर होना चाहिए।

3.4.7 आधार एक सर्व-समावेशी कार्यक्रम है और इसलिए, भाविपप्रा ने उन व्यक्तियों के नामांकन के लिए भी प्रक्रिया निर्धारित की है, जो किन्हीं कारणों से अपने सभी या कोई बायोमेट्रिक्स प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। इस प्रकार, कोई भी निवासी आधार से बाहर नहीं रह जाता है।

मानसिक रोग अस्पताल बिलासपुर में नामांकन शिविर

3.5 आधार नामांकन प्रगति

3.5.1 सितंबर 2010 में पहला आधार सृजित किए जाने के बाद से, आधार नामांकन में तेजी से वृद्धि हुई है और 31 मार्च 2022 तक 132.96 करोड़ से अधिक आधार बनाए गए हैं। आधार की यात्रा और वर्ष-वार प्रगति को ग्राफ 1 में चित्रित किया गया है। संचयी आधार सृजन को ग्राफ 2 में दशार्या गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान, माह-वार आधार सृजन डेटा को तालिका 4 में दशार्या गया है।

3.5.2 आधार नामांकन में हुई प्रगति का आकलन करने के लिए जारी किए गए आधार की संख्या को जनसंख्या के प्रतिशत के संदर्भ में भारित करना होगा। आधिकारिक जनगणना के आंकड़े वर्ष 2011 से संबंधित हैं। इसलिए एक उचित मूल्यांकन करने के लिए, अनुमानित जनसंख्या की गणना उपलब्ध जनगणना के आंकड़ों और जन्म और मृत्यु दर पर की जानी चाहिए। इसलिए, 31 मार्च 2022 को अनुमानित जनसंख्या 137.29 करोड़ है।

3.5.3 आधार नंबर केवल एक बार जारी किया जाता है और इसे कभी भी दोबारा जारी नहीं किया जाता है। तथापि, मृत्यु होने के कारण आधार धारकों की वास्तविक संख्या हमेशा कम ही रहेगी। इसलिए, आधार धारण करने वाले जीवित व्यक्तियों की संख्या को दशार्ने के लिए 'लाइव आधार' की अवधारणा शुरू की गई है। 31 मार्च 2022 तक जारी किए गए लाइव आधार की संख्या अनुमानित रूप से 126.79 करोड़ है। 31 मार्च, 2022 को राज्य-वार लाइव आधार संतृप्ति अनुलग्नक-IV में दी गई है।

ग्राफ 1 – वर्षवार आधार सृजन (सितंबर 2010 से मार्च 2022)

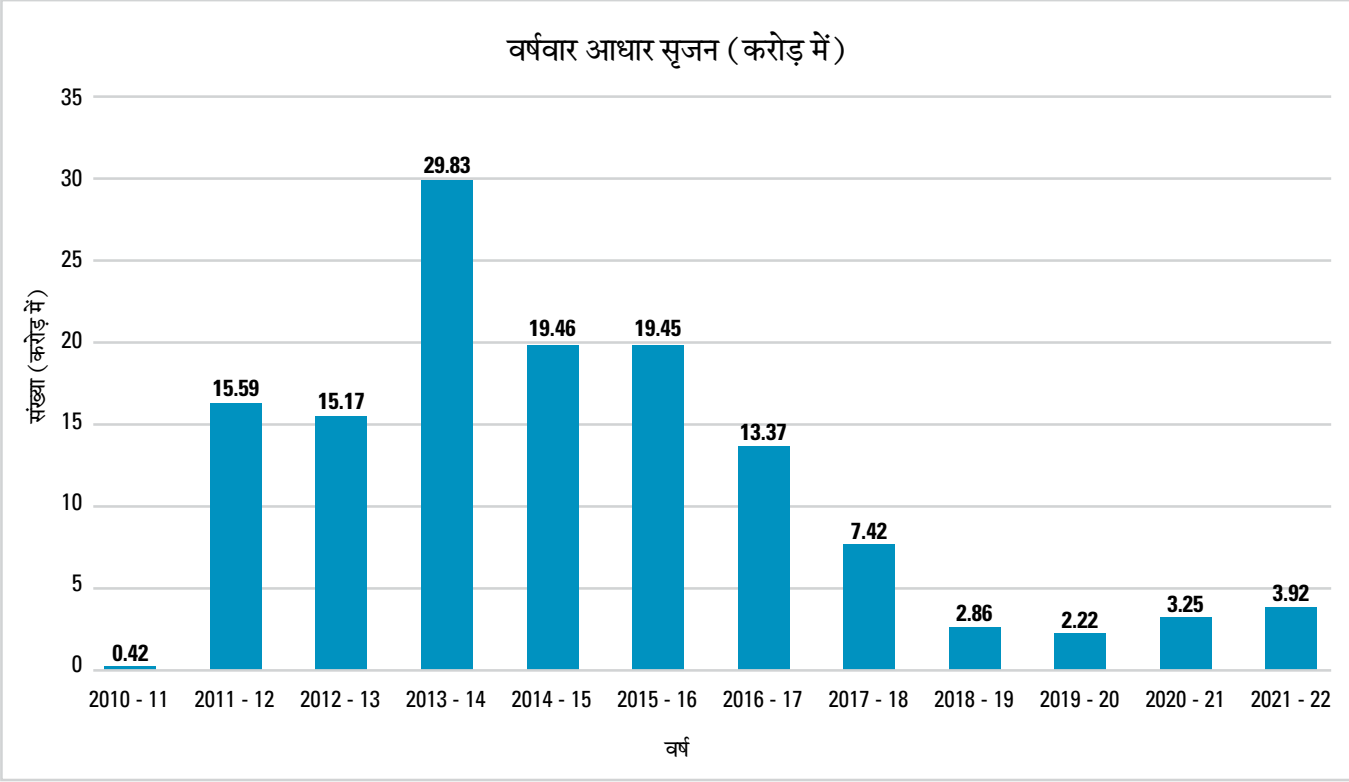

ग्राफ 2 – संचयी आधार सृजन (सितंबर 2010 से मार्च 2022)

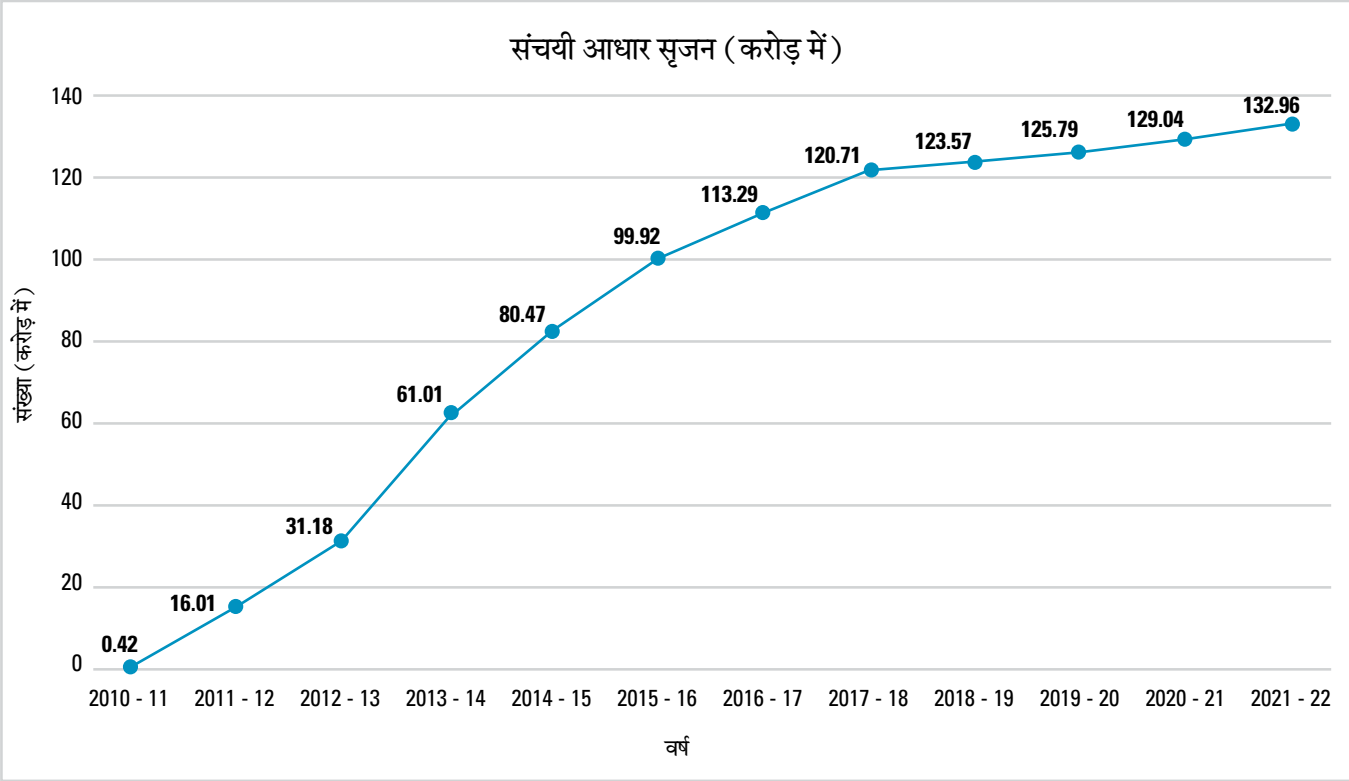

तालिका 4 - माहवार आधार सृजन (2021-22)

माह	माहवार आधार सजन (लाख में)
अप्रैल 2021	22.23
मई 2021	12.02
जून 2021	29.72
जुलाई 2021	39.72
अगस्त 2021	45.74
सितंबर 2021	35.46
अक्तूबर 2021	45.19
नवंबर 2021	28.43
दिसंबर 2021	36.09
जनवरी 2022	29.08
फरवरी 2022	33.15
मार्च 2022	35.84
कुल	**392.67**

3.5.4 वयस्क आबादी के बीच आधार की पहुंच संतृप्ति स्तर तक पहुंच गई है और इसलिए, भाविपप्रा का प्राथमिक ध्यान अब 0-5 और 5-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन पर केंद्रित हो गया है। उपरोक्त आयु वर्ग में शेष आबादी को कवर करने के लिए, भाविपप्रा ने क्रमशः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी) तथा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के साथ क्रमशः आंगनवाड़ियों और स्कूलों में बच्चों के नामांकन के लिए भागीदारी की है।

3.6 आधार डाटा अद्यतन

3.6.1 आधार नंबर निवासी को जारी किया गया एक आजीवन नंबर है। किसी निवासी की बायोमेट्रिक विशेषताओं को रखने के अलावा, जनसांख्यिकीय विवरण जैसे निवासी का नाम, पता, जन्म तिथि (डीओबी), लिंग और मोबाइल नंबर/ईमेल (वैकल्पिक) भाविपप्रा डेटाबेस में संग्रहीत किए जाते हैं। यद्यपि जनसांख्यिकीय विवरणों में आम तौर पर पते, मोबाइल नंबर और विवाह के बाद

नाम के परिवर्तन के कारण निवासी के जीवनकाल के दौरान निरंतर परिवर्तन होते ही रहते हैं, बायोमेट्रिक विशेषताओं को 5 और 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बच्चों द्वारा या उम्र बढ़ने/दुर्घटना के कारण बायोमेट्रिक्स के नुकसान/परिवर्तन के कारण अन्य निवासियो द्वारा अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। तदनुसार, आधार नंबर से जुड़े जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक क्षेत्रों को अद्यतन करने की आवश्यकता रहती है, ताकि डेटाबेस में संग्रहीत जानकारी की सटीकता सुनिश्चित हो और वह प्रमाणीकरण उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हो।

3.6.2 आधार डेटा को अद्यतन बनाने के लिए निवासियों के लिए मोटे तौर पर दो माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं:

- **ऑनलाइन (https://myaadhaar.uidai.gov.in/) पहले स्वयं सेवा अद्यतन पोर्टल (एसएसयूपी पोर्टल) के माध्यम से:** यह एक ऑनलाइन माध्यम है जिसके द्वारा एक निवासी वैध सहायक दस्तावेजों के साथ अपने पते को अद्यतन करवा सकता हैं। वे निवासी जिनके मोबाइल नंबर पहले से आधार में दर्ज हैं, वे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
- **आधार नामांकन और अद्यतन केंद्र पर जाकर:** कोई निवासी किसी भी जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक डेटा को अद्यतन करने के लिए नामित बैंक शाखाओं, डाकघरों, एएसके, सीएससी, यूटीआईआईएसएल या अन्य सरकारी कार्यालयों में स्थित 53,816 आधार नामांकन और अद्यतन केंद्रों में से किसी पर भी जा सकता है। उपरोक्त के अलावा, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नामांकन की सुविधा के लिए 36,129 सीईएलसी नामांकन किट भी उपलब्ध हैं।

3.6.3 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, इसकी स्थापना के बाद से 61.70 करोड़ जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक अद्यतन किए जा चुके हैं। 2012 से वर्षवार आधार अद्यतन को ग्राफ 3 में दशार्या गया है।

3.6.4 निवासियों के लिए आधार नामांकन और बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन निःशुल्क प्रदान कराया जाता है। हालांकि, अन्य सेवाओं के लिए आकृति 5 में दर्शाए अनुसार मामूली शुल्क लिया जाता है।

ग्राफ 3 – वर्षवार आधार अद्यतन

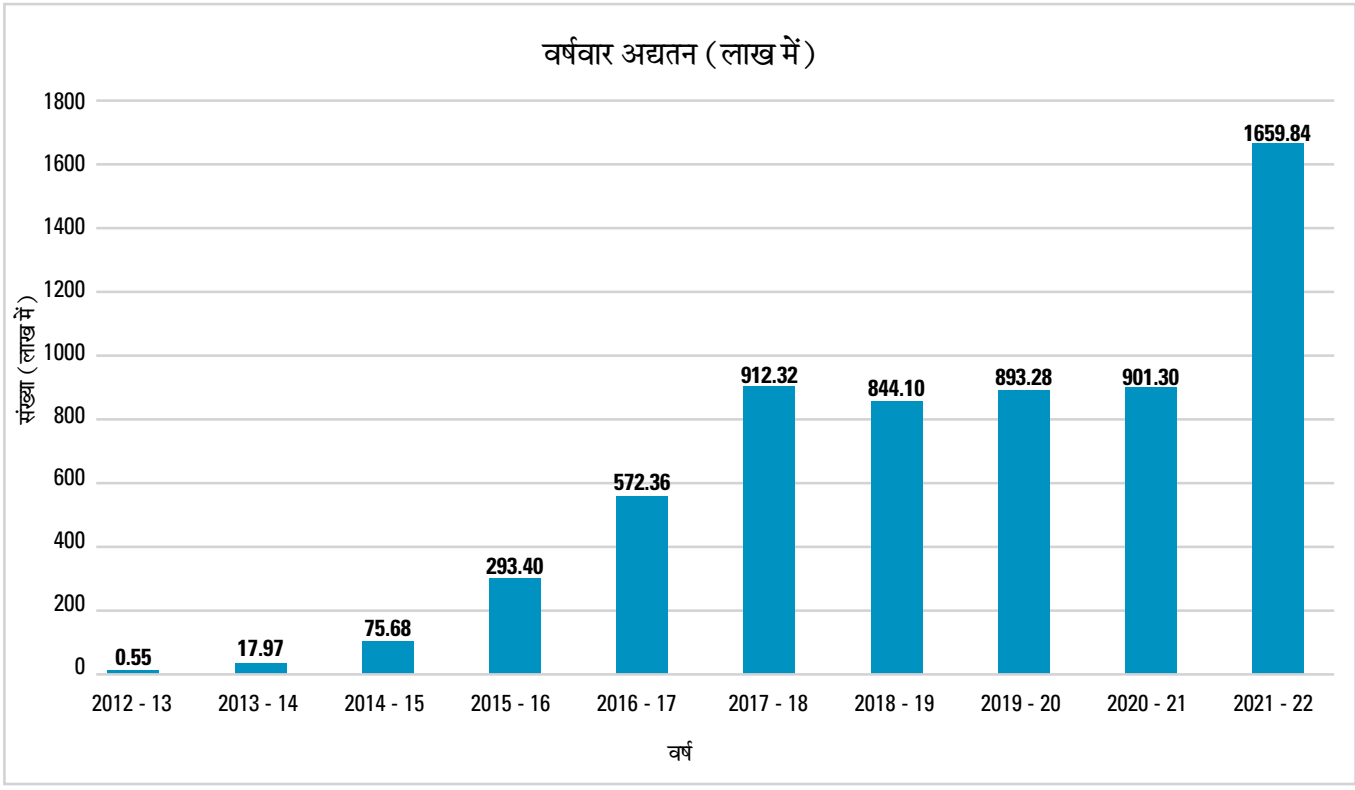

आकृति 5 - विभिन्न आधार सेवाओं के लिए किसी निवासी द्वारा संदेय प्रभार (31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार)

3.7 आधार सेवा केंद्र

3.7.1 भाविपप्रा ने अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत देश भर के 72 शहरों में 88 आधार सेवा केंद्र (एएसके) स्थापित करने की योजना बनाई है, ताकि निवासियों को आधार नामांकन और अद्यतन सेवाओं के संदर्भ में सुरक्षित और पूर्व-अपॉइंटमेंट पर आधारित सुविधाजनक अनुभव प्रदान किया जा सके। इन आधार सेवा केंद्रों को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि ये सप्ताह के सभी 7 दिनों में अन्य सुविधाएं प्रदान करने के अलावा उच्च सेवा क्षमता, वातानुकूलित परिवेश, एक से अधिक नामांकन काउंटर, बैठने की उचित व्यवस्था और इलेक्ट्रॉनिक टोकन सिस्टम प्रदान कर सकें। सभी आधार सेवा केंद्रों में व्हील-चेयर की सुविधा उपलब्ध है तथा इनमें बुजुर्गों या शारीरिक रूप से असमर्थ/ दिव्यांगजनों को सेवा प्रदान करने के लिए यहां विशेष प्रावधान किए गए हैं। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार 79 आधार सेवा केंद्रों को क्रियाशील कर दिया गया है।

3.7.2 देश के 72 शहरों में इन 88 आधार सेवा केंद्रों को स्थापित करने और चलाने के लिए भाविपप्रा ने दो सेवा प्रदाताओं को नियुक्त किया है। अनिवासी भारतीयों सहित निवासी निम्नलिखित सेवाओं के लिए पूर्व-अपॉइंटमेंट प्राप्त करते हुए अपनी सुविधानुसार अपने आस-पास के किसी भी आधार सेवा केंद्र पर जा सकते हैं:

- आधार नामांकन
- उनके आधार में किसी जनसांख्यिकीय जानकारी - नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर अथवा ई-मेल आईडी का अद्यतन
- उनके आधार में बायोमेट्रिक डेटा - फोटो, फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन का अद्यतन
- डाउनलोड और प्रिंट आधार सेवाएं

3.8 आधार सेवाओं के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट

3.8.1 निवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, भाविपप्रा ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग सुविधा शुरू की है। भाविपप्रा द्वारा संचालित सभी आधार सेवा केंद्र ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम का पालन कर रहे हैं, जहां कोई भी निवासी आधार नामांकन के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है या अपनी पसंद के अनुसार आसपास के किसी भी आधार सेवा केंद्र में नामांकन या अद्यतन करा सकता है। निवासी वेबसाइट लिंक https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx के माध्यम से अपने या परिवार के किसी सदस्य के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है।

आधार सेवा केंद्र सेवा प्रक्रिया

आधार सेवा केंद्र, ईटानगर में एक निवासी का आधार नामांकन

3.8.2 यह एक निःशुल्क सेवा है जहां किसी निवासी को आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, कोई भी निवासी एक ही मोबाइल नंबर का प्रयोग करके प्रति माह अधिकतम 5 अप्वाइंटमेंट बुक कर सकता है।

3.9 अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम

3.9.1 भाविपप्रा जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा के उपयोग द्वारा ऑनलाइन अधिप्रमाणन प्रदान करता है। यूआईडी (आधार) नंबर, जो विशिष्ट रूप से किसी निवासी की पहचान करता है, व्यक्तियों को देश भर में सार्वजनिक और/ या निजी एजेंसियों को स्पष्ट रूप से अपनी पहचान स्थापित करने का साधन प्रदान करता है। आधार ऑनलाइन अधिप्रमाणन निवासी के आधार नंबर के सत्यापन की अनुमति देता है और पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है। आधार ने औपचारिक रूप से 7 फरवरी 2012 को फिंगरप्रिंट आधारित ऑनलाइन अधिप्रमाणन, 24 मई 2013 को आईरिस आधारित अधिप्रमाणन, ओटीपी अधिप्रमाणन, ई-केवाईसी सेवाओं को और 15 अक्तूबर, 2021 को चेहरा अधिप्रमाणन को शुरू किया।

3.9.2 इसके उपरांत, विभिन्न योजनाओं जैसे पीडीएस, मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, छात्रवृत्तियां और एलपीजी सब्सिडी को सेवा के लक्षित वितरण के लिए आधार के साथ एकीकृत किया गया है। ई-केवाईसी सेवा का उपयोग विभिन्न सरकारी एप्लीकेशनों द्वारा किया जा रहा है, जैसे आयकर रिटर्न दाखिल करना और पैन कार्ड जारी करना। ई-केवाईसी सेवा प्रदाता, आधार आधारित ई-केवाईसी का उपयोग करते हुए पेपरलेस केवाईसी सेवा प्रदान कर सकते हैं और कागज के रखरखाव, उसके भंडारण और जाली दस्तावेजों के जोखिम से बच सकते हैं। चूंकि आधार ई-केवाईसी वास्तविक-समय पर आधारित है, यह सेवा प्रदाताओं को, निवासियों के लिए सेवाओं का तत्काल वितरण करने में समर्थ बनाता है।

3.10 अधिप्रमाणन भागीदार

भाविपप्रा अधिप्रमाणन उपयोगकर्ता एजेंसी (एयूए), ई-केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसी (केयूए) और अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी (एएसए) नामक एजेंसियों, जिन्हें आधार (अधिप्रमाणन और सत्यापन)

विनियम, 2021 के विनियम 12 के अनुसार नियुक्त किया जाता है, के माध्यम से अधिप्रमाणन और ई-केवाईसी सेवाएं प्रदान करता है।

1. **अधिप्रमाणन उपयोगकर्ता एजेंसी (एयूए):** भाविपप्रा अधिप्रमाणन उपयोगकर्ता एजेंसी (एयूए) नामक अनुरोधकर्ता संस्थाओं के माध्यम से हां/नहीं अधिप्रमाणन सेवाएं प्रदान करता है। एयूए भारत में पंजीकृत कोई भी सरकारी/ सार्वजनिक विधिक संस्था हो सकती है, जो निवासियों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आधार अधिप्रमाणन का प्रयोग करती है। एयूए एक सुरक्षित प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए एएसए (या तो स्वयं एएसए बनकर या किसी मौजूदा एएसए की सेवाएं लेकर) के माध्यम से भाविपप्रा डेटा सेंटर/ केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) से जुड़ा होता है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार 169 एयूए सक्रिय हैं। स्थापना के बाद से, 31 मार्च 2022 तक अनुरोधकर्ता संस्थाओं द्वारा 1147.25 करोड़ ई-केवाईसी संव्यवहारों सहित 7194.51 करोड़ प्रमाणीकरण किए गए हैं।

   वर्षवार संव्यवहारों के साथ-साथ संचयी आधार प्रमाणीकरण संव्यवहारों को तालिका-5, ग्राफ-4 और ग्राफ-5 में चित्रित किया गया है। इसी तरह, 2021-22 के दौरान माह-वार आधार प्रमाणीकरण संव्यवहार तालिका-6 में दर्शाए गए हैं।

2. **ई-केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी (केयूए):** एक एयूए होने के अलावा केयूए एक अनुरोधकर्ता संस्था भी है जो ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करती है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, 160 केयूए संस्थाएं आधार प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं और स्थापना के बाद से, 31 मार्च 2022 तक 1147.25 करोड़ ई-केवाईसी संव्यवहार निष्पादित किए गए हैं।

ग्राफ 4 - वर्षवार आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार

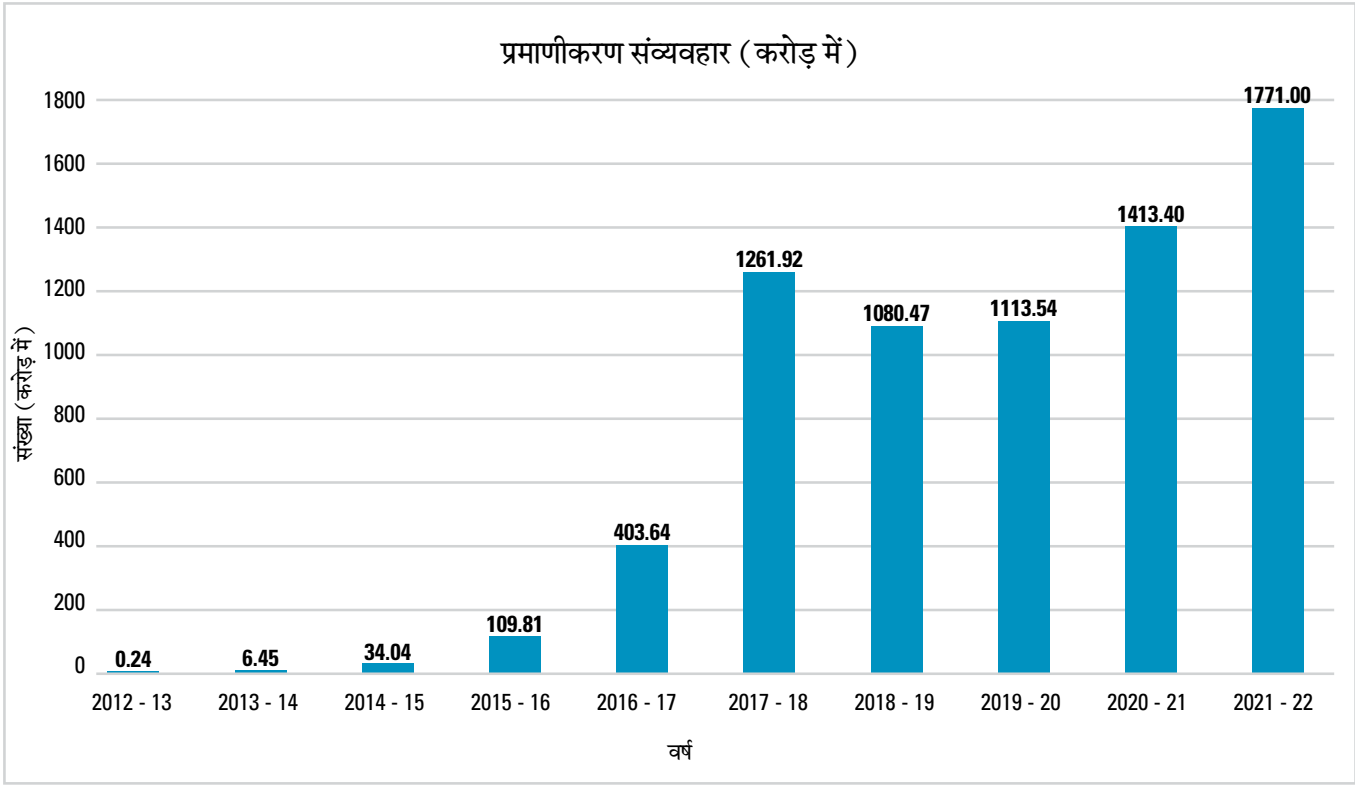

ग्राफ 5 – संचयी अधिप्रमाणन संव्यवहार

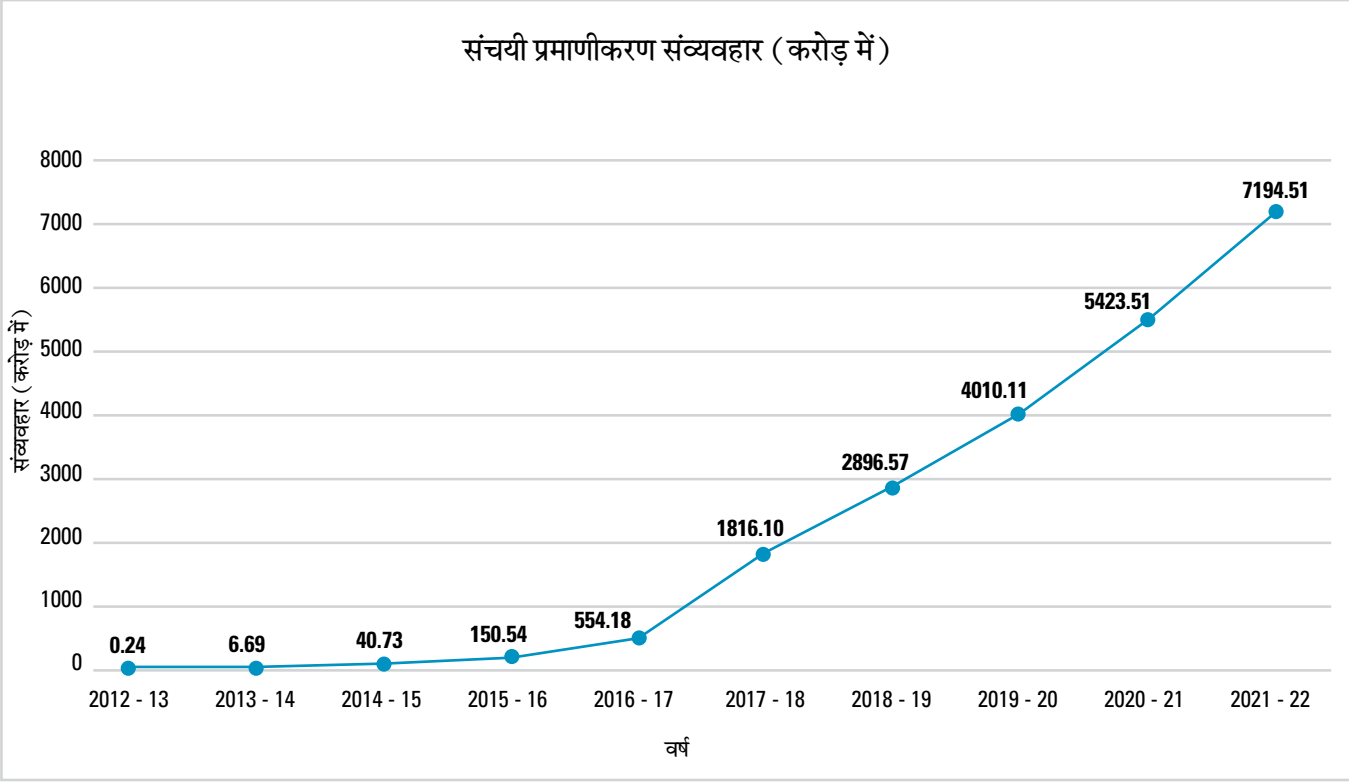

तालिका 5 – वर्षवार और संचयी अधिप्रमाणन संव्यवहार

वर्ष	अधिप्रमाणन संव्यवहार (करोड़ में)	संचयी संव्यवहार (करोड़ में)
2012-13	0.24	0.24
2013-14	6.45	6.69
2014-15	34.04	40.73
2015-16	109.81	150.54
2016-17	403.64	554.18
2017-18	1,261.92	1,816.10
2018-19	1,080.47	2,896.57
2019-20	1,113.54	4,010.11
2020-21	1,413.40	5,423.51
2021-22	1,771.00	7,194.51

तालिका 6 - माहवार अधिप्रमाणन संव्यवहार (2021-22)

माह	अधिप्रमाणन संव्यवहार (करोड़ में)
अप्रैल 2021	99.86
मई 2021	99.00
जून 2021	119.41
जुलाई 2021	142.45
अगस्त 2021	151.36
सितंबर 2021	153.39
अक्तूबर 2021	154.68
नवंबर 2021	153.52
दिसंबर 2021	186.23
जनवरी 2022	186.21
फरवरी 2022	150.12
मार्च 2022	174.77
योग 2022	**1,771.00**

3. **अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी (एएसए):** एएसए एक ऐसी एजेंसी है जिसने सीआईडीआर के साथ लीज लाइन कनेक्टिविटी हासिल की है। ये सीआईडीआर के साथ स्थापित किए गए सुरक्षित कनेक्शन के माध्यम से मध्यवर्ती इकाइयों को समर्थ बनाने की भूमिका निभाती हैं। एएसए एयूए से प्राप्त प्रमाणीकरण अनुरोधों को सीआईडीआर को प्रेषित करती हैं और सीआईडीआर की प्रतिक्रिया को वापस एयूए को भेजती हैं। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार 22 एएसए सक्रिय हैं।

3.11. आधार अधिप्रमाणन सेवाएं

3.11.1 आधार अधिप्रमाणन वह प्रक्रिया है जिसमें आधार नंबर, अन्य विशेषताओं (जनसांख्यिकीय/बायोमेट्रिक्स/ ओटीपी) के साथ सत्यापन के लिए भाविपप्रा के केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में प्रस्तुत की जाती है; सीआईडीआर यह सत्यापित करता है कि प्रस्तुत किया गया डेटा सीआईडीआर में उपलब्ध डेटा से मेल खाता है या नहीं और 'हाँ/नहीं' के साथ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। प्रतिक्रिया के भाग के रूप में

कोई भी व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी नहीं दी जाती है। अधिप्रमाणन का उद्देश्य निवासियों को सेवा प्रदाताओं के लिए अपनी पहचान स्थापित करने में सक्षम बनाना है, ताकि यह पुष्टि की जा सके कि क्या वे वही निवासी हैं जिसका 'वे दावा कर रहे हैं' जिससे कि उन्हें सेवाएं और लाभ प्रदान किए जा सकें। आधार ई-केवाईसी एक अन्य प्रकार की अधिप्रमाणन सेवा है जिसमें भाविपप्रा अपने सीआईडीआर में संग्रहीत डेटा के अनुसार इनपुट मापदंडों को अधिप्रमाणित करता है और एन्क्रिप्टेड ई-केवाईसी डेटा के साथ डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-केवाईसी अधिप्रमाणन प्रतिक्रिया देता है।

3.11.2 अधिप्रमाणन के प्रकार

प्राधिकरण द्वारा दो प्रकार की अधिप्रमाणन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, अर्थात :-

1. **'हाँ/नहीं' अधिप्रमाणन:** भाविपप्रा ने फरवरी 2012 में 'हाँ/नहीं' अधिप्रमाणन सुविधा आरंभ की थी। अनुरोधकर्ता संस्था आधार नंबर धारक से एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में आधार और जनसांख्यिकीय और/या बायोमेट्रिक जानकारी और/या ओटीपी को भेजती है। भाविपप्रा उसके पास संग्रहीत डेटा में से इनपुट मापदंडों को अधिप्रमाणित करता है और 'हाँ' या 'नहीं' प्रतिक्रिया वापस भेजता है।
2. **ई-केवाईसी अधिप्रमाणन:** भाविपप्रा ने मई 2013 में ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा शुरू की। अनुरोधकर्ता संस्था आधार नंबर धारक से एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में आधार और बायोमेट्रिक जानकारी और/या ओटीपी भेजती है। भाविपप्रा उसके पास संग्रहीत डेटा में से इनपुट मापदंडों को अधिप्रमाणित करता है और एन्क्रिप्टेड ई-केवाईसी डेटा के साथ डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-केवाईसी अधिप्रमाणन प्रतिक्रिया वापस भेजता है। वर्षवार और संचयी ई-केवाईसी संव्यवहारों को तालिका-7, ग्राफ-6 और ग्राफ-7 में दशार्या गया है। इसी तरह, 2021-22 के दौरान माह-वार किए गए आधार अधिप्रमाणन संव्यवहार को तालिका 8 में दशार्या गया है।

ग्राफ 6 – वर्षवार ई-केवाईसी संव्यवहार

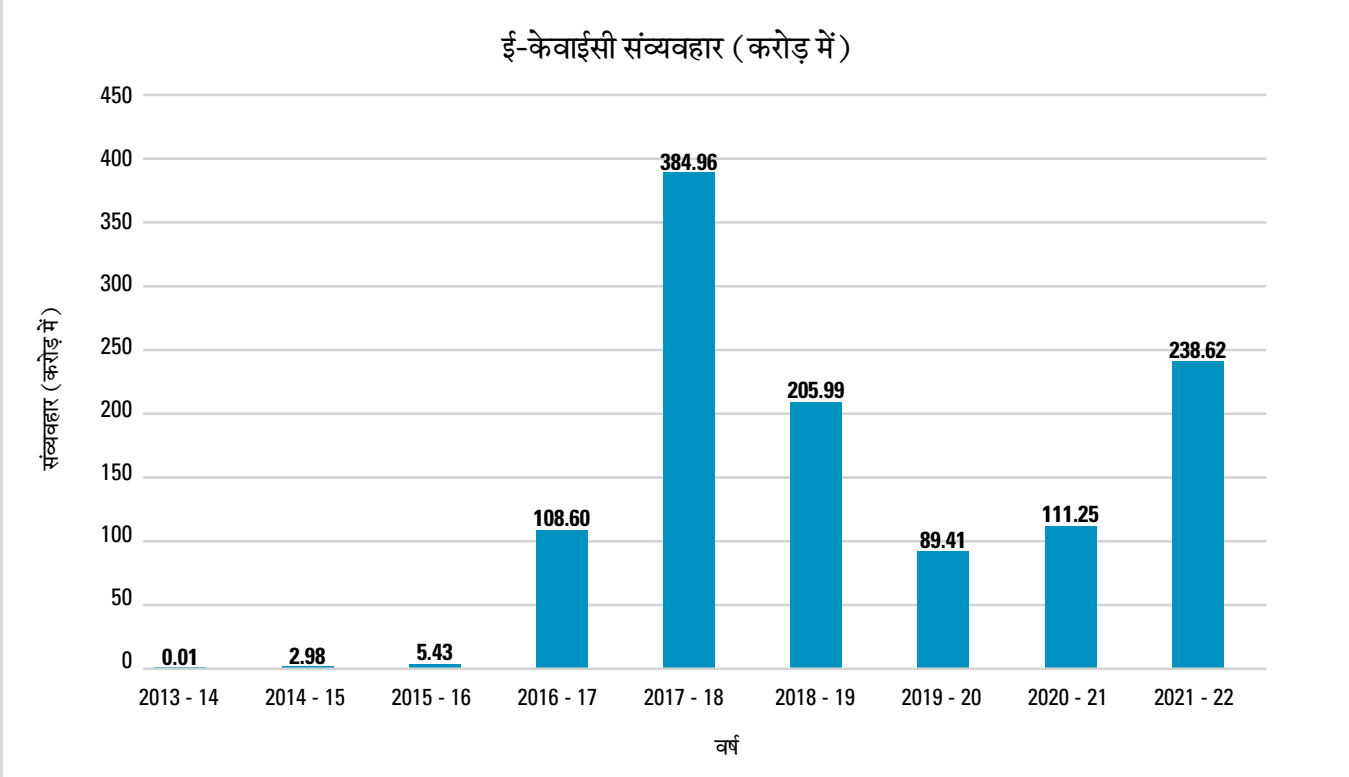

ग्राफ 7 - संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार

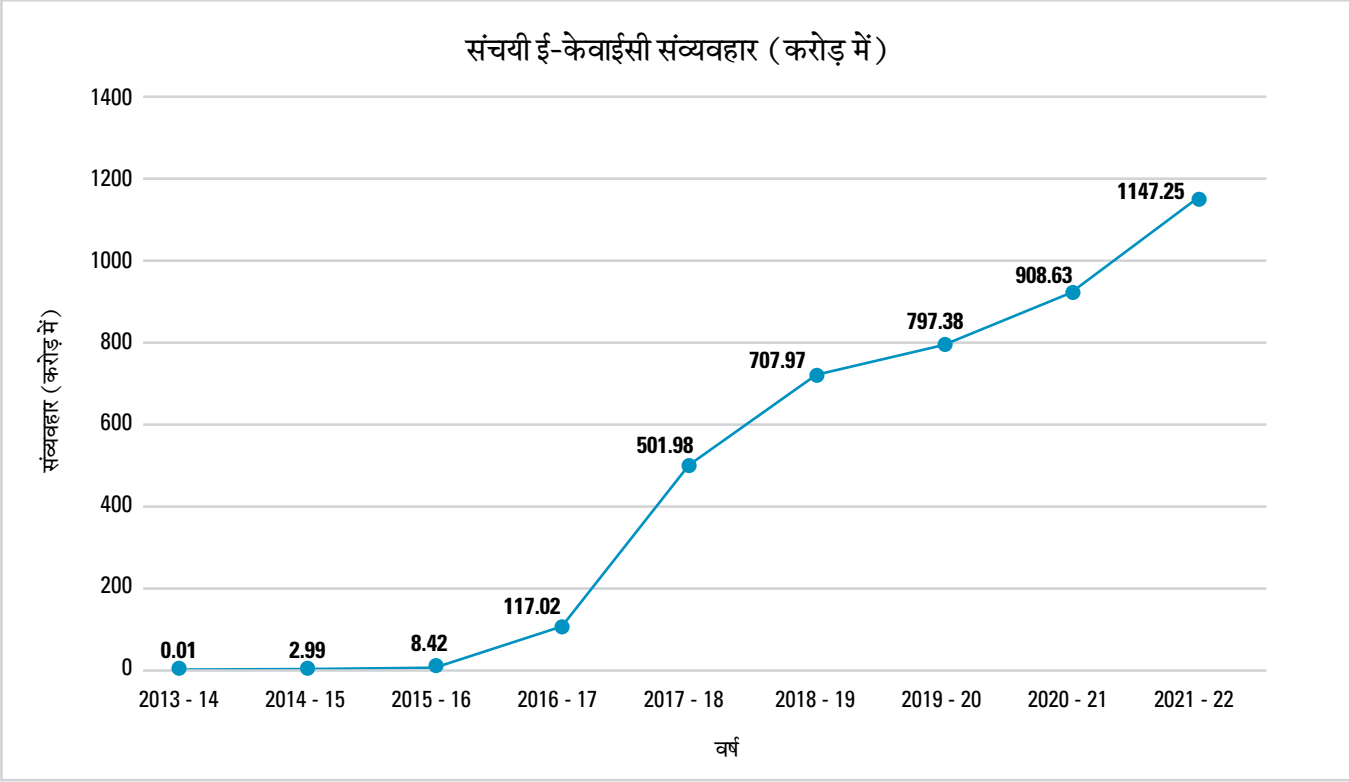

तालिका 7 - वर्षवार और संचयी ई-केवाईसी संव्यवहार

वर्ष	ई-केवाईसी संव्यवहार (करोड़ में)	संचयी संव्यवहार (करोड़ में)
2013-14	0.01	0.01
2014-15	2.98	2.99
2015-16	5.43	8.42
2016-17	108.60	117.02
2017-18	384.96	501.98
2018-19	205.99	707.97
2019-20	89.41	797.38
2020-21	111.25	908.63
2021-22	238.62	1,147.25

तालिका 8 - माहवार ई-केवाईसी संव्यवहार (2021-22)

वर्ष	ई-केवाईसी संव्यवहार (करोड़ में)
अप्रैल 2021	7.76
मई 2021	5.23
जून 2021	13.37
जुलाई 2021	15.45
अगस्त 2021	15.79
सितंबर 2021	21.81
अक्तूबर 2021	25.83
नवंबर 2021	21.84
दिसंबर 2021	33.18
जनवरी 2022	31.23
फरवरी 2022	22.86
मार्च 2022	24.27
योग	**238.62**

3.11.3 अधिप्रमाणन के माध्यम: भाविपप्रा अधिप्रमाणन के विभिन्न माध्यम प्रदान करता है, जैसे जनसांख्यिकीय, बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट, आइरिस और चेहरा), ओटीपी और बहु-कारक अधिप्रमाणन। प्राधिकरण द्वारा अधिप्रमाणन अनुरोध पर केवल आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 के अनुसार अनुरोधकर्ता संस्था द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे गए अनुरोध और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनिदेर्शों के अनुरूप ही विचार किया जाता है। प्रमाणीकरण निम्नलिखित माध्यमों द्वारा किया जा सकता है:

1. **जनसांख्यिकीय अधिप्रमाणन:** आधार नंबर और आधार नंबर धारक की जनसांख्यिकीय जानकारी का मिलान सीआईडीआर में आधार नंबर धारक की जनसांख्यिकीय जानकारी से किया जाता है।
2. **ओटीपी आधारित अधिप्रमाणन:** सीमित समय वैधता के साथ वन टाईम पिन (ओटीपी) आधार नंबर धारक के पंजीकृत मोबाइल नंबर या ई-मेल पते पर भेजा जाता है अथवा उसे अन्य उपयुक्त माध्यमों से सृजित किया जाता है। आधार नंबर धारक अधिप्रमाणन के दौरान अपने आधार नंबर के साथ इस ओटीपी को उपलब्ध कराएगा और इसका भाविपप्रा द्वारा सृजित ओटीपी से मिलान किया जाएगा।
3. **बायोमेट्रिक आधारित अधिप्रमाणन:** आधार नंबर धारक द्वारा प्रस्तुत की गई आधार संख्या और बायोमेट्रिक जानकारी का मिलान सीआईडीआर में संग्रहीत उक्त आधार नंबर धारक की बायोमेट्रिक जानकारी से किया जाता है। यह फिंगरप्रिंट-आधारित

या आइरिस-आधारित अधिप्रमाणन या चेहरा अधिप्रमाणन हो सकता है या सीआईडीआर में संग्रहीत बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर अन्य बायोमेट्रिक तौर-तरीके हो सकते हैं।

4. **बहु-कारक अधिप्रमाणन:** अधिप्रमाणन के लिए ऊपर उल्लिखित माध्यमों में से दो या अधिक संयोजनों का प्रयोग किया जा सकता है।

3.11.4 अनुरोधकर्ता संस्था सुरक्षा में वृद्धि करने के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार बहु-कारक अधिप्रमाणन सहित किसी विशेष सेवा या व्यावसायिक कार्य/संव्यवहार के लिए यथावर्णित उपलब्ध अन्य माध्यमों में से अधिप्रमाणन के किसी भी उपयुक्त माध्यम का चयन कर सकती है।

3.11.5 अपवाद प्रबंधन: आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 के विनियम 14(1)(एक) के अनुसार, सभी अनुरोधकर्ता संस्थाओं को आधार नंबर धारक को अधिप्रमाणन सेवाओं का निर्बाध प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए अपवाद-प्रबंधन तंत्र और बैक-अप पहचान अधिप्रमाणन तंत्र को क्रियान्वित करना आवश्यक है।

3.12 अधिप्रमाणन ईकोसिस्टम में प्रमुख विकास

3.12.1 एल1 (L1) पंजीकृत उपकरण: डेटा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भाविपप्रा ने सभी बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन अनुरोधों के लिए पंजीकृत उपकरणों (आरडी) के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। क्षेत्र में L0 पंजीकृत उपकरणों के सफल रूपांतरण के बाद, भाविपप्रा ने L1 पंजीकृत उपकरणों की अवधारणा पेश की है। L1 पंजीकृत उपकरणों में, हस्ताक्षर और बायोमेट्रिक के एन्क्रिप्शन को विश्वसनीय निष्पादन परिवेश (टीईई) के भीतर कार्यान्वित किया जाता है, जहां मेजबान ऑपरेटिंग सिस्टम (ओएस) में निजी कुंजी प्राप्त करने या बायोमेट्रिक्स इंजेक्ट करने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं होता है। L1 पंजीकृत अधिप्रमाणन उपकरणों के लाभ निम्न प्रकार से हैं:-

- बॉयोमेट्रिक के हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन को हार्डवेयर स्तर पर विश्वसनीय निष्पादन परिवेश (टीईई) के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है।
- टीईई के अंतर्गत निजी कुंजियों का प्रबंधन।
- पीआईडी ब्लॉक अधिक सुरक्षित परिवेश में है।
- पीसीएच (पूर्व-प्रमाणित हार्डवेयर), सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रमाणन/सत्यापन।
- पूर्व-प्रमाणित हार्डवेयर के लिए विशिष्ट पहचान।
- पीआईडी ब्लॉक के आकार में कोई परिवर्तन नहीं।
- 'रिप्ले' विकल्प कम हो गए हैं।
- गणना में कम छेड़छाड़ की जाती है।
- उपकरण केवल-पढ़ने के लिए मेमोरी के साथ एम्बेडेड है।
- चिप स्तर पर अधिक सुरक्षा विशेषताएं।
- बायोमेट्रिक उपकरण की कीमत में मामूली वृद्धि।
- भाविपप्रा में संव्यवहार संचालन क्षमता वही रहेगी।

तीन उपकरण विक्रेता अर्थात मैसर्स थेल्स, मेसर्स एसीपीएल, मेसर्स स्मार्टचिप ने परीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया पूरी कर ली है। अन्य उपकरण विक्रेता परीक्षण चरणों की प्रक्रिया में हैं। आधार प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम में L1 पंजीकृत प्रमाणीकरण उपकरण जल्द ही शुरू किए जाएंगे।

3.12.2 आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी: भाविपप्रा ने बिना अधिप्रमाणन के आधार नंबर धारक की पहचान सत्यापित करने की प्रक्रिया आरंभ की है। आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी एक सुरक्षित डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेज है, जिसमें नाम, पता, फोटो, लिंग, जन्मतिथि, पंजीकृत मोबाइल नंबर का हैश, पंजीकृत ईमेल पते का हैश और संदर्भ आईडी (टाइम स्टैम्प के साथ आधार के अंतिम 4 अंक) जैसे विवरण शामिल होते हैं। आधार नंबर धारक इस दस्तावेज को भाविपप्रा की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे शेयर कोड (4-अंकीय कोड) के साथ परस्पर सुविधा के अनुसार ऑफलाइन आधार अधिप्रमाणन की मांग करने वाली संस्थाओं के साथ साझा कर सकते हैं।

3.12.3 आधार लॉक/अनलॉक: आधार की सुरक्षा में और अधिक वृद्धि करने के लिए, भाविपप्रा ने आधार को लॉक और अनलॉक करने की सुविधा आरंभ की है, जो आधार धारक को अपने आधार को 'लॉक' या 'अनलॉक' करने का विकल्प प्रदान करती है। आधार लॉक होने की स्थिति में, अनुरोधकर्ता संस्थाएं आधार का प्रयोग करते हुए अधिप्रमाणन (बायोमेट्रिक/जनसांख्यिकीय/ओटीपी) करने में सक्षम नहीं हो सकेंगी। तथापि, अनुरोधकर्ता संस्थाएं लॉक किए गए आधार की वर्चुअल आईडी का उपयोग करके अधिप्रमाणन करने में सक्षम होंगी। आधार धारक भाविपप्रा की वेबसाइट, एसएमएस और एम-आधार मोबाइल एप्लिकेशन जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से अपना आधार लॉक कर सकता है।

3.12.4 आधार सुरक्षित क्यूआर कोड: आधार सुरक्षित क्यूआर कोड ऑफलाइन सत्यापन के लिए भाविपप्रा द्वारा प्रदान किया गया एक त्वरित प्रतिक्रिया कोड है, जिसमें डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित जनसांख्यिकीय डेटा शामिल है, जैसे नाम, पता, फोटो, लिंग, जन्मतिथि, पंजीकृत मोबाइल नंबर का हैश, पंजीकृत ई-मेल पते का हैश और संदर्भ आईडी (आधार और टाइम स्टैम्प के अंतिम 4 अंक)। यह नया डिजिटल हस्ताक्षरित क्यूआर कोड ई-आधार, आधार पत्र और एम-आधार पर उपलब्ध है। आधार सुरक्षित क्यूआर कोड को एंड्रॉइड/आईओएस/विंडोज रीडर एप्लिकेशन या क्यूआर कोड स्कैनर उपकरणों का उपयोग करके स्कैन किया जा सकता है।

3.12.5 आइरिस उपकरणों को बढ़ावा देना: आइरिस उपकरण संपर्क-रहित डिवाइस है और अधिप्रमाणन की प्रक्रिया निवासी के साथ किसी भी प्रकार के शारीरिक संपर्क के बिना पूर्ण की जा सकती है। आइरिस उपकरणों का प्रयोग महामारी के समय में एक वरदान के रूप में सिद्ध हुआ है, यह एक ऐसी संपर्क-रहित अधिप्रमाणन विधि है जिससे निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और उन्हें सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी लाभों को प्राप्त करने में सुविधा मिलती है। इसके अलावा, फिंगरप्रिंट उपकरणों की तुलना में आइरिस उपकरणों में अधिप्रमाणन सफलता दर अधिक है। आइरिस डिवाइस सुरक्षित भी है, क्योंकि किसी भी क्लोन आइरिस का प्रयोग करके फर्जी अधिप्रमाणन करना असंभव है। इन कारकों के कारण, भाविपप्रा अनुरोधकर्ता संस्थाओं के मध्य आइरिस उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहित कर रहा है। भाविपप्रा एसटीक्यूसी के साथ मिलकर विभिन्न फॉर्म फैक्टर में आइरिस उपकरण मॉडल को प्रमाणित करने और उन्हें

आरंभ करने की दिशा में काम कर रहा है। आइरिस डिवाइस मॉडल टैबलेट/पीओएस उपकरणों में पृथक या एकीकृत रूप में उपलब्ध हैं, जो अनुरोधकर्ता संस्थाओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार आइरिस उपकरण मॉडल चुनने की सुविधा प्रदान करते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में आइरिस डिवाइस के प्रयोग में जनवरी और फरवरी 2021 के दौरान लगभग 2.4 करोड़ के औसत मासिक संव्यवहार की वृद्धि हुई है।

3.13 संभारिकी ईकोसिस्टम

3.13.1 भाविपप्रा के संभारिकी प्रभाग को निवासियों के आधार पत्रों के मुद्रण और वितरण का काम सौंपा गया है। नए नामांकन, जनसांख्यिकीय अद्यतन (मोबाइल और ईमेल को छोड़कर) और पुनर्मुद्रण के मामले में आधार पत्र मुद्रित किए और निवासियों को भेजे जाते हैं। यूआईडीआई ने 25 सितंबर, 2020 से एक प्रीमियम भुगतान सेवा शुरू की है, जिसका नाम 'ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड (ओएसी)' है।

3.14 आधार पत्र मुद्रण और वितरण

3.14.1 एक बार आधार सृजित हो जाने के बाद, यह सुनिश्चित करना होता है कि इसे मुद्रित किया जाए और स्वीकार्य समय-सीमा के भीतर निवासी को वितरित किया जाए। प्रत्येक आधार पत्र में एक मुद्रित, लैमिनेटेड दस्तावेज होता है जिसमें एक तस्वीर, जन्म तिथि, निवासी की जनसांख्यिकीय जानकारी, आधार नंबर और सुरक्षित (क्यूआर) कोड होता है, जिसमें ऑफलाइन सत्यापन के लिए भाविपप्रा के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ फोटोग्राफ और जनसांख्यिकीय विवरण शामिल होता है।

3.14.2 आधार पत्र 13 अलग-अलग भाषाओं में मुद्रित किए जाते हैं। आधार डेटाबेस में पंजीकृत पते पर निवासियों को आधार पत्रों के वितरण के लिए डाक विभाग भाविपप्रा का वितरण भागीदार है। भाविपप्रा नए नामांकन के साथ-साथ अद्यतन के लिए आधार पत्र भेजता है। स्थापना के बाद से, 31.03.2021 तक, 131.88 करोड़ आधार पत्र मुद्रित किए गए हैं और प्रथम श्रेणी डिजिटली फ्रैंक्ड मदों के रूप में भारतीय डाक के माध्यम से निवासियों को भेजे गए हैं। साथ ही, 31 मार्च 2022 तक भारतीय डाक के माध्यम से प्रथम श्रेणी डिजिटली फ्रैंक्ड आर्टिकल के रूप में निवासियों को 39.67 करोड़ अद्यतन आधार पत्र (ई-मेल/मोबाइल के अपडेट को छोड़कर) भेजे गए हैं।

3.15 ई-आधार

ई-आधार में भाविपप्रा द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित एक सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड निहित है, जो स्कैन किए जाने पर आधार धारक की तस्वीर और जनसांख्यिकीय विवरण प्रदर्शित करता है। आधार प्रणाली में, निवासी के विवरणों को क्यूआर कोड और ऑफलाइन एक्सएमएल की मदद से स्थापित की गई ऑनलाइन प्रमाणीकरण प्रक्रिया या ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। इसलिए, पहचान के वैध प्रमाण के रूप में ई-आधार स्वीकार्य है। 31 मार्च 2022 तक कुल 158.20 करोड़ ई-आधार डाउनलोड किए गए हैं।

3.16 आर्डर आधार पीवीसी कार्ड (ओएसी) सेवा

3.16.1 भाविपप्रा ने 25 सितंबर 2020 से अपनी वेबसाइट www.uidai.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड (ओएसी) सेवा प्रारंभ की, जिसमें स्पीड पोस्ट वितरण प्रभार की लागत सहित 50/- रुपए का मामूली शुल्क शामिल है, जिसके तहत निवासियों को उनका आधार पीवीसी कार्ड उनके पंजीकृत पते पर प्राप्त करने में सुविधा प्रदान की जाती है।

3.16.2 आधार पीवीसी कार्ड में उन्नत सुरक्षा विशेषताएं जैसे क्यूआर कोड, माइक्रो टेक्स्ट, गिलोच पैटर्न, घोस्ट इमेज और होलोग्राम मौजूद हैं। यह आधार पत्र, ई-आधार और एम-आधार के अलावा निवासी के लिए एक और विकल्प उपलब्ध कराता है; ये सभी उपयोग के लिए समान रूप से मान्य हैं। इसके अलावा, यह टिकाऊ और रखने में आसान है। भाविपप्रा ने 31.03.2022 तक लगभग 2.09 करोड़ आधार पीवीसी कार्ड (समुद्री मछुआरों के 0.12 करोड़ कार्ड सहित) मुद्रित और वितरित किए हैं तथा गृह मंत्रालय से प्राप्त निदेशों के अनुसार 28.02.2022 से मछुआरों को आधार पीवीसी कार्ड प्रदान करने की सेवा बंद कर दी है।

3.17 प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम

3.17.1 किसी भी कार्यक्रम, विशेष रूप से भाविपप्रा जैसे व्यापक पैमाने वाले कार्यक्रम, की सफलता के लिए यह अनिवार्य है कि नामांकन के दौरान एकत्र किए गए डेटा की गुणवत्ता पर पर्याप्त बल दिया जाए। इसके अतिरिक्त, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आधार डेटा को कैप्चर करने और उसका प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार लोगों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए, भाविपप्रा ने प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रमाणन ईकोसिस्टम को तैयार करने के लिए अत्यंत परिश्रम से काम किया है। इस इकोसिस्टम में (1) सामग्री विकास एजेंसी और (2) परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी शामिल हैं।

3.17.2 आधार नामांकन या अद्यतन के समय एकत्र किए गए डेटा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, भाविपप्रा केवल प्रमाणित प्रचालकों, पर्यवेक्षकों और चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट (सीईएलसी) प्रचालकों को ही नियुक्त करता है। आधार नामांकन/अद्यतन में शामिल सभी हितधारकों के पर्याप्त और प्रभावी प्रशिक्षण के लिए भाविपप्रा द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण पद्धतियों को अपनाया गया है, जिनमें बृहद प्रशिक्षण और प्रमाणन शिविरों और पुनश्चर्या/अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश राज्यों में सुव्यवस्थित नामांकन हुआ है और लगभग 100% नामांकन स्तर प्राप्त किया गया है।

- **मास्टर ट्रेनिंग (प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण):** यह प्रशिक्षण संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशिक्षकों का एक पूल बनाया जाना सुनिश्चित करता है, जो प्रशिक्षण

प्राप्त करने के बाद अपने क्षेत्राधिकार में नामांकन प्रचालकों (ईसीएमपी और सीईएलसी) को प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार होंगे। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक कुल 121 प्रशिक्षक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिसमें 3,098 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

- **मेगा प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण कैम्प:** भाविपप्रा ने नामांकन की गति में कोई व्यवधान न आना सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित प्रचालकों/पर्यवेक्षकों का एक बृहद पूल तैयार करने के लिए मेगा प्रशिक्षण और प्रमाणन शिविरों के माध्यम से एक अभ्यास करता है। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक आधार नामांकन पर कुल 23 मेगा प्रशिक्षण और प्रमाणन शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 3,067 व्यक्तियों को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया गया।
- **अभिविन्यास कार्यक्रम:** नवनियुक्त नामांकन कर्मचारियों को नामांकन प्रक्रिया से अच्छी तरह से परिचित कराने के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक 174 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें 7,036 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- **पुनश्चर्या कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम सक्रिय/प्रमाणित नामांकन प्रचालकों के ज्ञान को परिपुष्ट करने और प्रक्रिया में नवीनतम नीतिगत परिवर्तनों से उन्हें जागरूक बनाए रखने के लिए आयोजित किया जाता है। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक 1167 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 66,857 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान, लगभग 1.71+ लाख नामांकन प्रचालकों, पर्यवेक्षकों और सीईएलसी प्रचालकों को प्रमाणित किया गया था। इसमें निजी/पीएसयू बैंकों, डाक विभाग, आईपीपीबी, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और अन्य विभागों/मंत्रालयों के उम्मीदवारों का प्रमाणीकरण शामिल है।

तालिका 9 – प्रदान किए गए प्रशिक्षकों का विवरण (01.04.2021–31.03.2022)

क्र. सं.	प्रशिक्षण का प्रकार	प्रतिभागी	सत्रों की संख्या	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1.	मास्टर प्रशिक्षण - प्रशिक्षक का प्रशिक्षण	सरकारी कार्मिक एवं नामांकन स्टाफ जिन्हें प्रशिक्षक बनाने के लिए नामित किया गया है	121	3,098
2.	मेगा प्रशिक्षण -नामांकन स्टाफ	सरकारी कार्मिक जिन्हें प्रशिक्षक बनाने के लिए नामित किया गया है	23	3,067
3.	अभिविन्यास कार्यक्रम - नामांकन स्टाफ	नए/नवीन नामांकन स्टाफ	174	7,036
4.	पुनश्चर्या प्रशिक्षण - नामांकन	विद्यमान नामांकन स्टाफ	1167	66,857
योग			**1,485**	**80,058**

3.17.3 एलएमएस (लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम)-ई-लर्निंग पोर्टल: भाविपप्रा ने एलएमएस पोर्टल विकसित किया है और स्व-अध्ययन/पुनश्चर्या और अभिविन्यास प्रशिक्षण के लिए अपने ऑपरेटरों तक ऐक्सेस प्रदान की है। एलएमएस में भाविपप्रा ईकोसिस्टम के प्रचालकों के प्रमाणन, प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण मॉड्यूल थे। एलएमएस स्वचालित, वास्तविक समय की अधिसूचनाओं का समर्थन करता है, जो शिक्षार्थियों की प्रगति, पाठ्यक्रम पूर्णता, प्रमाणन, उपलब्धियों और निगरानी के लिए टिप्पणियों को दर्शाता है।

एलएमएस पोर्टल में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव को ट्रैक करने और मापने की विशेषताएं हैं। यह अनुकूलन योग्य रिपोर्ट और डैशबोर्ड के माध्यम से सीखने का परिज्ञान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है, जो शिक्षार्थियों की गतिविधि पर मेट्रिक्स प्रदान करता है।

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, एलएमएस को 'नामांकन एवं अद्यतन' और 'प्रमाणीकरण' प्रचालनों पर ई-लर्निंग विषय-वस्तु के 20 घंटों के लिए 80,000 से अधिक कोर्स पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में पोर्टल खुला है, जो केवल भाविपप्रा ईकोसिस्टम से जुड़े और उसके हिस्से के सक्रिय ऑपरेटरों के लिए है। भाविपप्रा आंतरिक उपयोगकताओं से प्राप्त फीडबैक को शामिल करने के बाद आम जनता के लिए पोर्टल को खोलेगा।

3.17.4 नई नीति रोल आऊट: ई एंड यू ऑपरेटर/पर्यवेक्षक प्रमाणीकरण के लिए योग्यता मानदंड डिप्लोमा (10+3) धारक और आईटीआई (10+2 व्यावसायिक पाठ्यक्रम) धारक तक बढ़ा दिए गए थे। इससे तकनीकी योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए भी प्रमाणन का दायरा खुल गया है।

3.18 ग्राहक संबंध प्रबंधन

ग्राहक संबंध प्रबंधन भाविपप्रा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 अपने विनियम 32, अध्याय-श्क्क (शिकायत निवारण तंत्र) में अधिदेशित करता है कि प्राधिकरण (यूआईडीएआई) निवासियों के प्रश्नों और शिकायतों के समाधान के लिए संपर्क के केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए एक संपर्क केंद्र स्थापित करेगा, जिससे निवासी टोल-फ्री नंबर और/या ईमेल के माध्यम से, जैसा प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, संपर्क कर सकते हैं। संपर्क केंद्र निम्नलिखित कार्य करेगा:

- प्रश्नों या शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक तंत्र प्रदान करना और मामले के बंद होने तक उसकी आगे निगरानी करने के लिए निवासियों को एक विशिष्ट संदर्भ संख्या प्रदान करना।
- यथासंभव क्षेत्रीय भाषा समर्थन प्रदान करना।
- निवासियों से प्राप्त उनकी पहचान संबंधी जानकारी से जुड़ी किसी भी जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं का अनुपालन करना।

3.19 आधार सहायता सेवाएं – आधार संपर्क केंद्र

3.19.1 भाविपप्रा ने आधार जीवन चक्र और संबंधित सेवाओं से जुड़े निवासियों के प्रश्नों और शिकायतों का समाधान करने में सहायता के लिए आधार संपर्क केंद्र या संपर्क केंद्र स्थापित किए हैं। आधार संपर्क केंद्र के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- एक अखिल भारतीय सुलभ टोल-फ्री नंबर और ईमेल प्रदान करना जिसके प्रयोग से निवासी आधार संपर्क केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
- भारत के सभी हिस्सों से प्राप्त शिकायतों और प्रश्नों को हल करने के लिए कई क्षेत्रीय भाषाओं में सहायता प्रदान करना।
- आधार संपर्क केंद्र पर कॉल करने वाले निवासियों के लिए एक इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर) प्रणाली प्रदान करना।
- निवासियों को आधार संपर्क केंद्र के कार्यकारी के साथ बातचीत करने के लिए सुविधा प्रदान करना, यदि वे ऐसा करना चाहते हैं।
- निवासी भाविपप्रा के रेजिडेंट पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- निवासियों के उनके प्रश्नों और शिकायतों के समाधान में सहायता करने के लिए एक सामान्य ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) एप्लिकेशन बनाना और उसका अनुरक्षण करना।

3.19.2 आधार संपर्क केंद्र की अवसरंचना और प्रौद्योगिकी

वर्तमान में, आधार संपर्क केंद्र में निम्नलिखित शामिल हैः

- **टोल-फ्री नंबर 1947:** टोल फ्री नंबर '1947' पर पूरे भारत में कहीं से भी बात की जा सकती है। यह शॉर्ट कोड श्रेणी 1-का टोल फ्री नंबर है, जिसे दूरसंचार विभाग द्वारा भाविपप्रा को आवंटित किया गया है। इस शॉर्ट कोड का उपयोग अंतर्गामी और निर्गामी एसएमएस सेवाओं के लिए भी किया जाता है।
- **संपर्क केंद्र बुनियादी ढांचा:** संपर्क केंद्र के बुनियादी ढांचा में ट्रंक लाइन, पीबीएक्स सोल्यूशन, आईवीआरएस प्रणाली, स्वचालित कॉल वितरक (कॉल सेंटर सहायताकताओं के मध्य कॉल वितरण के लिए), कंप्यूटर टेलीफोन एकीकरण यूनिट और वॉयस लॉगर सिस्टम (गुणवत्ता और प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए 100% कॉल रिकॉर्ड किए जाते हैं) शामिल हैं। आईवीआरएस कॉल करने वालों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उस राज्य की स्थिति के अनुसार, जहां से कॉल किया जाता है, उनके साथ हिंदी/अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में संश्लेषित रिकॉर्ड की गई आवाज के माध्यम से बातचीत करता है। वर्तमान में आईवीआरएस में समर्थित भाषाएँ हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मराठी, तेलुगु, बंगाली, पंजाबी, ओडिया, तमिल, असमिया और मलयालम हैं। वर्तमान में आईवीआरएस में निम्नलिखित विशेषताएं उपलब्ध हैं:
  - बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न।
  - 14-अंकीय ईआईडी सर्च पर आधारित आधार नामांकन स्थिति।
  - 14-अंकीय यूआरएन नंबर पर आधारित आधार अद्यतन स्थिति।
  - कॉलकर्ता के क्षेत्र पर आधारित आईवीआरएस पर भाषा विकल्प का बौद्धिक चयन।
  - पहले ही लॉग की गई शिकायतों की स्थिति।
  - अपना आधार नंबर जानें।
  - आधार संपर्क केंद्र कार्यकारी को कॉल भेज देना, यदि कॉलर द्वारा इच्छा व्यक्त की गई है।

3.19.3 सीआरएम सॉफ्टवेयर एप्लिकेशनः आधार संपर्क केंद्र के लिए माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स (एमएसडी) आधारित सीआरएम सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन का प्रयोग किया जा रहा है। यह प्रणाली का केंद्र-बिंदु है और निवासियों के प्रश्नों का निपटान करने के प्रयोजनार्थ संपर्क केंद्र फर्मों (सीसीएफ) को प्रासंगिक जानकारी देने के लिए भाविपप्रा के केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) के माध्यम से बैकएंड एकीकरण है। निवासी प्रश्नों या शिकायतों के एंड-टू-एंड समाधान के लिए इसे भाविपप्रा के डिवीजनों के लिए एकीकृत और विस्तारित किया गया है। एमएसडी-आधारित सीआरएम एप्लिकेशन निवासी को निवारण प्रदान करने के लिए कई जटिल एकीकरणों को संभाल सकता है। सीआरएम एप्लिकेशन का उपयोग मामले के समाधान के लिए भाविपप्रा के संपर्क केंद्र, प्रभागों, प्रौद्योगिकी केंद्र और क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) द्वारा किया जाता है। कॉल सेंटर सेवाएं 12 भाषाओं में प्रदान की जाती हैंः असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु। ईमेल help@uidai.gov.in पर सहायता अंग्रेजी और हिंदी भाषा में उपलब्ध है।

3.19.4 कॉल परिमाणः आम तौर पर, भाविपप्रा संपर्क केंद्र में कॉल पैटर्न 1.8 से 1.9 लाख कॉल/प्रतिदिन और 4,700 से 5,000 ईमेल प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। किसी विशेष योजना/लाभ के लिए आधार के उपयोग के संबंध में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी भी बड़ी घोषणा के साथ यह मात्रा बदलती रहती है, जिसके परिणामस्वरूप इस परिमाण में अचानक वृद्धि होती है। अधिक नामांकन, अद्यतन और प्रमाणीकरण तथा केंद्र सरकार की योजनाओं/लाभों के साथ आधार को जोड़ने के कारण इस ट्रैफिक की वर्तमान मात्रा के न्यूनतम 5% (वर्ष-दर-वर्ष आधार) की वृद्धि होने की संभावना होती है।

3.20 चैटबॉट सेवाएं

भाविपप्रा ने एआई/एमएल आधारित चैट समाधान प्रारंभ किया है जो 'आस्क आधार' टैगलाइन के अंतर्गत भाविपप्रा की आधिकारिक वेबसाइट (www.uidai.gov.in) पर उपलब्ध है। इस चैटबॉट को पूर्व-परिभाषित मानक प्रतिक्रिया टेम्पलेट्स (एसआरटी) के आधार पर निवासी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रशिक्षित किया गया है और इसका उद्देश्य निवासी के अनुभव को बेहतर बनाना है। चैटबॉट में अतिरिक्त विशेषताएं जैसे आधार केंद्र का पता लगाना, आधार नामांकन/अद्यतन स्थिति की जांच करना, शिकायत दर्ज करना और वीडियो फ्रेम एकीकरण भी शामिल हैं। आधार चैटबॉट अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में उपलब्ध है। आधार चैटबॉट को प्रतिदिन औसतन 50,000 प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं।

4. डाटा सुरक्षा एवं निजता

4.1 आधार डाटा की सुरक्षा एवं निजता

4.1.1 भाविपप्रा में एक सुव्यवस्थित, बहु-स्तरीय मजबूत सुरक्षा प्रणाली स्थापित है, जिसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और जिसे उच्चतम स्तर की डेटा सुरक्षा और प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए अपग्रेड किया जाता है। आधार ईको-सिस्टम के आर्किटेक्चर को डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो प्रारंभिक डिजाइन से अंतिम चरण तक सिस्टम का एक अभिन्न अंग है। डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को और मजबूत करने के लिए नियमित आधार पर सुरक्षा लेखापरीक्षा की जाती हैं और भाविपप्रा की समग्र सुरक्षा स्थिति में सुधार के लिए सभी संभव उपाय किए गए हैं।

4.1.2 आधार में डेटा की गोपनीयता को अत्यंत प्राथमिकता दी जाती है, जो मूलभूत आबद्धकारी सिद्धांतों से स्पष्ट है, जिन पर आधार को डिजाइन किया गया है तथा इसे आधार अधिनियम और विनियमों के विभिन्न उपबंधों के माध्यम से और मजबूत किया गया है। आधार अधिनियम की धारा 29 किसी भी उद्देश्य के लिए कोर बायोमेट्रिक की सहभागिता या प्रकटीकरण पर रोक लगाती है, जिसका उल्लंघन करना अधिनियम की धारा 37 के तहत तीन साल तक की कैद सहित दंडनीय है। केंद्रीय पहचान डेटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) में अनधिकृत एक्सेस करने के लिए 10 साल तक के कारावास के दंड का प्रावधान है (धारा 38)। सीआईडीआर में डेटा से छेड़छाड़ के लिए 10 साल तक के कारावास के दंड का प्रावधान है (धारा 39)।

4.1.3 आधार अधिनियम के तहत विनियमों को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित किया गया है कि नामांकन, अधिप्रमाणन और अन्य संबद्ध गतिविधियों को नियम के अनुसार सख्ती से लागू किया जाए। आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 यह सुनिश्चित करता है कि नामांकन एक सुरक्षित प्रक्रिया के तहत किया जाता है, जिसकी प्रक्रिया में शामिल सभी एजेंसियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है। इसके अलावा, आधार (अधिप्रमाणन) विनियम 2016 को यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि अधिप्रमाणन सुरक्षित परिस्थितियों में किया जाए।

4.2 डिजाइन द्वारा सुरक्षा एवं निजता

4.2.1 आधार की अवसंरचना को आंतरिक रूप से न्यूनतम सुरक्षा, इष्टतम अनभिज्ञता और फेडरेटेड डेटाबेस के तीन मुख्य सिद्धांतों के साथ डेटा सुरक्षा और निजता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आधार को स्वाभाविक रूप से इस तरह डिजाइन किया गया है कि व्यक्ति की सूचनात्मक गोपनीयता सुरक्षित रह सके। यह नामांकन के समय और बाद में अद्यतन के समय न्यूनतम डेटा का संग्रह करने के द्वारा, विशिष्ट पहचान प्रदान करना, बायोमेट्रिक डी-डुप्लीकेशन के बाद आधार नंबर जारी करना, उक्त पहचान रिकॉर्ड के जीवनचक्र परिवर्तनों का प्रबंध करना और पहचान सत्यापन के लिए आवश्यक विभिन्न ऐप्लिकेशन हेतु पहचान सत्यापन (ऑनलाइन अधिप्रमाणन) करने के संबंध में एक ऐप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) प्रदान करना सुनिश्चित करता है।

4.2.2 इष्टतम अनभिज्ञता के सिद्धांत के अनुपालन में, आधार कभी भी किसी अन्य जानकारी या ऐसा कोई विवरण एकत्र नहीं करता है जो किसी व्यक्ति की गोपनीयता के संबंध में चिंता का कारण बन सके। आधार नंबर एक यादृच्छिक संख्या है, जिसमें कोई खुफिया या प्रोफाइलिंग जानकारी अंतर्निहित नहीं है।

4.2.3 आधार का डिजाइन केवल पहचान पर ही आधारित है। शुद्ध पहचान प्लेटफार्म के रूप में आधार प्रणाली का डिजाइन आधार के संभावित दुरुपयोग के भ्रम को दूर करता है, जबकि व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार के उपयोग की अनुमति दी जाती है। यह आधार प्लेटफॉर्म पर बनाए जा सकने वाले विभिन्न अनुप्रयोगों और उपयोगिताओं को नया रूप देने और उनका उपयोग करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रावधान भी करता है। आधार लिंकिंग के दौरान, संबंधित डेटाबेस, आधार नंबर धारक की स्पष्ट

सहमति के साथ केवल आधार आधारित सत्यापन करता है, किंतु तत्पश्चात उक्त डेटाबेस किसी भी जानकारी को साझा नहीं करता है, यहां तक कि भाविपप्रा के पास सत्यापन से संबंधित जानकारी भी नहीं होती है।

4.3 सुरक्षित प्रक्रिया के द्वारा आधार नामांकन

4.3.1 भाविपप्रा ने भारत के निवासियों का आधार नामांकन करने के लिए रजिस्ट्रारों एवं अधिकृत नामांकन एजेंसियों के जरिए राष्ट्रव्यापी अवसंरचना स्थापित की है। रजिस्ट्रार मुख्यतः सरकारी विभागों/एजेंसियों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबद्ध हैं। नामांकन एजेंसियों का चयन एक कड़ी चयन प्रक्रिया से किया जाता है। निवासी का नामांकन, भाविपप्रा प्रमाणित प्रचालक द्वारा भाविपप्रा के सॉफ्टवेयर पर अत्यधिक मजबूत, नियंत्रित, अपरिवर्तनीय एवं सुरक्षित प्रक्रिया से किया जाता है।

4.3.2 पूरे देश में निवासियों को, कड़ी जांच प्रक्रिया के आधार पर चुने गए प्रमाणित प्रचालको के जरिए ही आधार के लिए नामांकित किया जाता है। प्रचालक को भी पहले अपना आधार नंबर प्राप्त करना होता है और तत्पश्चात उसे अपनी अंगुलियों की छाप तथा आधार नंबर के जरिए प्रत्येक नामांकन को हस्ताक्षरित करना होता है। इस प्रक्रिया से यह पूरा लेखा-जोखा मिल जाता है कि कौन सा नामांकन कब, कहां, किस प्रचालक ने किया तथा उल्लंघन किए जाने के किसी मामले में प्रचालक एवं नामांकन एजेंसी के दायित्व को तत्काल निर्धारित किया जा सकता है। तत्पश्चात, व्यक्ति के एकत्रित बायोमेट्रिक डेटा का मिलान आधार धारकों, जो वर्तमान में 132.96 करोड़ से अधिक हैं, के विद्यमान डेटाबेस से किया जाता है और मिलान न होने पर ही, आधार नंबर सृजित किया जाता है। इतने बड़े पैमाने का बायोमेट्रिक मिलान 24 घंटे के भीतर हो जाता है।

4.3.3 बायोमेट्रिक सहित समस्त नामांकन डेटा को नामांकन के समय 2048 बिट एंक्रिप्शन कुंजी से ही कूटबद्ध कर दिया जाता है। इसके पश्चात कोई भी एजेंसी इसको एक्सेस नहीं कर सकती तथा भाविपप्रा द्वारा भी इसका एक्सेस केवल उपलब्ध सुरक्षित डिक्रिप्शन कुंजी के उपयोग से किया जा सकता है। अभी तक, ऐसी कोई घटना संज्ञान में नहीं आई है जिसमें आधार के डेटाबेस से किसी नामांकित निवासी के मूल बायोमेट्रिक का अनधिकृत एक्सेस करने की सूचना प्राप्त हुई हो।

4.4 सुरक्षित प्रक्रिया के द्वारा आधार अधिप्रमाणन

4.4.1 आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया से केवल हाँ/नहीं में प्रयुत्तर प्राप्त होते हैं। यह डेटा निजता को सुरक्षित रखते हुए निवासी के पहचान दावे के एप्लिकेशनों के द्वारा 'सत्यापन' करा देता है। सुविधा के सुनिश्चयन और साथ ही निवासी के पहचान डेटा के संरक्षण के लिए 'निजता एवं उद्देश्य' के बीच संतुलन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बाह्य प्रयोक्ता एजेंसियों को आधार डेटाबेस का एक्सेस नहीं है।

4.4.2 आधार ई-केवाईसी सेवा निवासी को, अपने आधार पत्र के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को साझा करने के लिए भाविपप्रा को अधिकृत करने की अनुमति देता है। आधार ई-केवाईसी के प्रत्येक अनुरोध के लिए, निवासी के सफल अधिप्रमाणन के बाद ही जनसांख्यिकीय और फोटो डेटा, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में साझा किया जाता है।

4.5 संयोजन रहित न्यूनतम डाटा

4.5.1 आधार व्यवस्था में देश के प्रत्येक आधार धारक से संबंधित डाटा भाविपप्रा के केंद्रीय रिपॉजिटरी में होता है, अतः इसका डिजाइन न्यूनतम डाटा संग्रहण को ध्यान में रखकर इस प्रकार किया गया है कि इससे केवल पहचान संबंधी क्रियाकलाप (सृजन तथा अधिप्रमाणन) ही किए जा सकें। इस डिजाइन की अवधारणा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की गई है कि भाविपप्रा निवासियों की निजता का सम्मान करता है तथा अपनी व्यवस्था में गैर-अनिवार्य डाटा का संयोजन नहीं करता है। न्यूनतम डाटा (4 गुण - नाम, पता, लिंग, तथा जन्म तिथि तथा 2 गुण - वैकल्पिक डाटा - मोबाइल एवं ई-मेल) के अलावा इसके केंद्रीय डाटाबेस में आधार का उपयोग करने के संबंध में विद्यमान प्रणाली या ऐप्लिकेशन में कोई संयोजन उपलब्ध नहीं है।

4.5.2 यह न्यूनतर डिजाइन अनिवार्य रूप से डेटा के एक समूह का निमार्ण करता है जिसमें एक केंद्रीकृत मॉडल के अन्यत्र विभिन्न अनुप्रयोगों/प्रणालियों (निवासी डेटा के लिए एक संघीय मॉडल) में निवासी डेटा अंतर्निहित है, जिससे एकल प्रणाली के निवासी और उसके लेनदेन इतिहास का पूरा ज्ञान होने का जोखिम समाप्त हो जाता है।

4.6 डाटा का कोई एकीकरण नहीं

आधार तंत्र को विभिन्न प्रकार के डाटा का संग्रहण एवं पुल करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है और इस प्रकार यह ऐसा एकल केंद्रीय डाटा रिपॉटजिटरी नहीं बन सकता, जिसमें निवासियों के बारे में सभी जानकारी मौजूद हो। इसमें सूचनाओं (जैसे पैन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पीडीएस कार्ड नंबर, ईपीआईसी नंबर, इत्यादि) का कोई संयोजन किसी अन्य प्रणाली के साथ नहीं होता है। इस डिजाइन ने संव्यवहार डेटा को एक फेडरेटेड मॉडल में विशिष्ट सिस्टम में रहने की अनुमति दी है। यह तरीका विभिन्न एजेंसियों के स्वामित्व वाली कई प्रणालियों में वितरित सूचनाओं को रहने की अनुमति देता है।

4.7 इष्टतम अनभिज्ञता

4.7.1 आधार, संव्यवहार विवरण, अधिप्रमाणन उद्देश्य, बैंक खाता संख्या, बैंक विवरण, पसंद या नापसंद, जाति, पारिवारिक संबंध, धर्म, आय, पेशा, संपत्ति, शिक्षा, मोबाइल (संचार प्रयोजनों या आधार नामांकन ओटीपी भेजने के लिए भाविपप्रा के दौरान पंजीकृत एक के अन्यत्र), ऐसा कोई विवरण जो किसी व्यक्ति की गोपनीयता के संबंध में चिंता का कारण हो जैसे अन्य जानकारी एकत्र नहीं करता है। यहां तक कि जन्म की तारीख या किसी अन्य जानकारी जैसे कि प्रशासनिक सीमाओं (राज्य/जिला/तालुक) का उपयोग करके जन्म या निवास का स्थान, आधार संख्या में एम्बेडेड नहीं है। आधार नंबर एक यादृच्छिक संख्या है, जिसमें कोई खुफिया या प्रोफाइलिंग जानकारी अंतर्निहित नहीं है। 12 अंकों की संख्या को अगले कुछ शताब्दियों के लिए आबादी की पहचान की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनाया गया है।

4.7.2 अधिप्रमाणन का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया गया है कि इससे न तो अधिप्रमाणन का उद्देश्य और न ही किसी प्रकार के अन्य संव्यवहार संदर्भों की जानकारी आधार तंत्र को हो पाती है। आधार अधिप्रमाणन तथा इसके प्रचालन मॉडल का निर्माण शून्य-ज्ञान व्यवस्था के रूप में किया गया है तथा यह सुरक्षा से कोई समझौता किए बिना वैयक्तिक निजता की रक्षा, स्वतः ही संव्यवहार अपरिज्ञानी बन कर करता है। किसी एजेंसी द्वारा आधार नंबर धारक का अधिप्रमाणन करने मात्र से आधार तंत्र को अधिप्रमाणन के उद्देश्य अथवा स्थल की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अतः आधार व्यवस्था को यह बिल्कुल ज्ञात नहीं हो पाता है कि आधार अधिप्रमाणन करने वाला व्यक्ति कोई बैंककर्मी है जो अपनी ड्यूटी पर स्वयं अपनी हाजिरी के लिए अधिप्रमाणन कर रहा है अथवा कोई अपने खाते को खोलने अथवा उसमें से धन अंतरण इत्यादि के लिए आधार अधिप्रमाणन कर रहा है।

4.8 स्थान की जानकारी नहीं

भाविपप्रा अधिप्रमाणन प्रणाली में स्थान की जानकारी नहीं होती है, अर्थात आधार अधिप्रमाणन उस स्थान से अंजान होता है, जहाँ से अधिप्रमाणन अनुरोध भेजा जाता है, जिसके फलस्वरूप किसी निवासी के ट्रैक होने का जोखिम समाप्त हो जाता है।

4.9 संघबद्ध डेटा मॉडल तथा एक-मार्गी संयोजन

4.9.1 इसके विशिष्ट डिजाइन के द्वारा यह सिस्टम सभी डोमेन विशिष्ट संव्यवहार डाटा युक्त आधार डेटाबेस को समाप्त कर देता है और इस तरह निवासी विशिष्ट संव्यवहार डाटा सामान्य डेटाबेस में विकेंद्रित रहने की बजाय सभी प्रयोक्ता एजेंसियों के बीच विकेंद्रित रहता है।

4.9.2 यहां यह भी नोट करना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न तंत्र (आधार नंबर के उपयोग द्वारा) भाविपप्रा से संदर्भित होते हैं, परंतु भाविपप्रा द्वारा ऐसी प्रणालियों के लिए विपरीत संयोजन का अनुरक्षण नहीं किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, बैंक खाता खोलते समय, बैंक को आधार नंबर दिया जाता है, परंतु भाविपप्रा, बैंक में धारित किसी डाटा अथवा बैंक खाता संख्या और न ही किसी बैंकिंग संव्यवहार विवरण तक एक्सेस नहीं कर सकता है। इस प्रकार, आधार सीडिंग एक प्रकार से कड़ी व्यवस्थित एकमार्गीय संयोजन है, जिसमें आधार नंबर का समावेश लाभार्थी के डाटाबेस से किसी प्रकार के डाटा से भाविपप्रा के डाटाबेस में पुलिंग के बिना संव्यवहार किया जाता है।

4.10. आधार डाटा की सुरक्षा

4.10.1 भाविपप्रा द्वारा विश्व की अत्यधिक उन्नत एंक्रिप्शन प्रौद्योगिकी के उपयोग से आधार डाटा का संव्यवहार एवं भंडारण करता है। आधार आधारित अधिप्रमाणन किसी भी समकालिक अन्य प्रणाली की तुलना में सुदृढ़ एवं सुरक्षित है। आधार व्यवस्था में से किसी भी आधार बायोमेट्रिक के दुरूपयोग की स्थिति में जांच करने एवं चोरी की पहचान तथा कार्रवाई करने की क्षमता उपलब्ध है।

4.10.2 भाविपप्रा के सर्वरों में से प्रमुख बायोमेट्रिक का उल्लंघन अथवा लीकेज की कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई है।

4.10.3 आधार डाटा सुरक्षा को नियमित सूचना सुरक्षा मूल्यांकन और विभिन्न ईको-सिस्टम साझेदारों की लेखापरीक्षा के जरिए और अधिक सुदृढ़ किया गया है।

4.11 भाविपप्रा आईएसओ 27001:2013 द्वारा प्रमाणित

भाविपप्रा ने अत्यधिक सुदृढ़ सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है, तथा इसने एसटीक्यूसी से आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन प्राप्त किया है।

4.12 भाविपप्रा आईएसओ/आईईसी 29100:2011 एवं आईएसओ/आईईसी 27701:2019 द्वारा प्रमाणित

भाविपप्रा को आईएसओ/आईईसी 29100:2011 (सूचना प्रबंधन - सुरक्षा तकनीक - केंद्रीय पहचान डाटा रिपोजिटरी (सीआईडीआर) के लिए गोपनीयता ढांचा और आईएसओ/आईईसी 27701:2019 (गोपनीय सूचना प्रबंधन प्रणाली) के रूप में मैसर्स बीएसआई ग्रुप इंडिया प्रा.लि. द्वारा प्रमाणित किया गया है।

4.13. 'संरक्षित प्रणाली' के रूप में सीआईडीआर अवसंरचना की घोषणा

निवासी डेटा की सुरक्षा के लिए भाविपप्रा-सीआईडीआर सूचना की सुरक्षा सर्वोपरि है। सूचना की गोपनीयता, सत्यनिष्ठा और उपलब्धता को नियंत्रणों के जरिए हर समय बनाए रखा जाता है, जो सूचना परिसंपत्तियों के अनुरूप है, ताकि सूचना प्रणाली को सभी प्रकार के जोखिमों से बचाया जा सके। भाविपप्रा की सुरक्षा को साइबर खतरे की खुफिया जानकारी के जरिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयकर्ता द्वारा भी सक्रिय रूप से सहयोग दिया जा रहा है।

4.14. सुशासन जोखिम अनुपालन एवं निष्पादन सेवा प्रदाता (जीआरसीपी-एसपी)

जीआरसीपी ढांचे का विजन, भाविपप्रा के संचालन के लिए एक मजबूत, व्यापक और सुरक्षित वातावरण के निर्माण की सुविधा प्रदान करना है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, जीआरसीपी-एसपी दृश्यता, प्रभावकारिता और नियंत्रण के संदर्भ में भाविपप्रा और भागीदार ईको-सिस्टम की निगरानी के साथ भाविपप्रा प्रबंधन प्रदान करता है।

4.15 बाह्य ईकोसिस्टम भागीदारों की सूचना सुरक्षा का मूल्यांकन

भाविपप्रा की सुरक्षा को विभिन्न ईकोसिस्टम भागीदारों के नियमित सूचना सुरक्षा मूल्यांकन के जरिए और संवर्धित किया गया है।

4.16 भाविपप्रा में धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली

भाविपप्रा में सुव्यवस्थित, बहुस्तरीय पहुंच युक्त सुदृढ़ धोखाधड़ी प्रबंधन प्रणाली स्थापित है। फोरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना होने से भाविपप्रा की धोखाधड़ी जांच क्षमता कई गुणा बढ़ गई है। भाविपप्रा एनएबीएल इंडिया से आईएसओ/आईईसी 17025 :2017 के तहत फारेंसिक लैब को मान्यता देने की प्रक्रिया में है।

5. आधार - सुशासन में उपयोग

5.1. आधार - शासन में सुधार हेतु एक उपकरण

5.1.1 वित्तीय समावेशन हेतु आधार: आधार नंबर एक विशिष्ट डिजिटल पहचान है, जिसे किसी व्यक्ति के जीवनचक्र में बदला नहीं जा सकता है। बैंक खाते के साथ लिंक किए जाने पर,आधार एक 'वित्तीय पता' बन जाता है, जो देश के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने में सहायता करता है। किसी व्यक्ति विशेष के बैंक खाते में कोई भी भुगतान अंतरित करने के लिए 12-अंकीय आधार नंबर पर्याप्त है। इस प्रकार यह अन्य ब्योरा यथा बैंक खाता, आईएफएससी कोड और बैंक शाखा विवरण सरकार/संस्थानों को देने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। यह किसी व्यक्ति को यह तय करने का अधिकार भी देता है कि वह किस बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत धन प्राप्त करना चाहता है, जिसे लाभार्थी द्वारा कभी भी बैंक खाता लिंकिंग फॉर्म, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा यथा अनुमोदित, को भरकर अपने आधार की एक प्रति जमा करने के द्वारा बदला जा सकता है। 19 दिसंबर 2017 से प्रक्रिया को सरल बनाने और खाताधारक की जानकारी के बिना किसी अन्य बैंक में डीबीटी से जुड़े बैंक खाते के हस्तांतरण की सुभेद्यता को कम करने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, एनपीसीआई मैपर पर [डेटा स्रोतः भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम - एनपीसीआई] 76.66 करोड़ से अधिक आधार को बैंक खातों से विशिष्ट रूप से जोड़ा गया है। ग्राफ 8, मई 2014 से बैंक खातों से विशेषकर जुड़े आधार नंबरों की प्रगति प्रदान करता है (डेटा स्रोतः एनपीसीआई)

ग्राफ 8 - बैंक खातों से विशिष्ट रूप से जुड़े आधारों की प्रगति

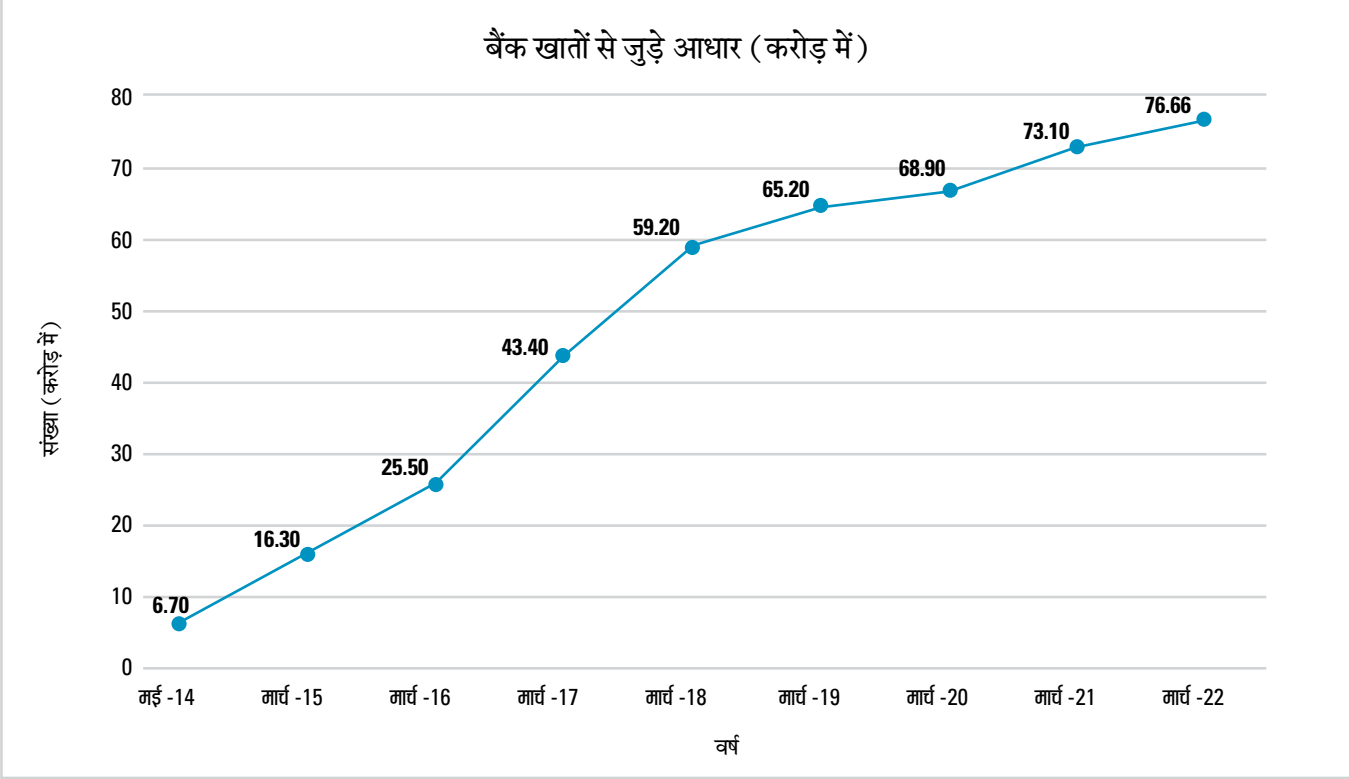

5.1.2 आधार का प्रयोग विभिन्न प्रकार की भुगतान प्रणालियां जैसे ऐईपीएस, एपीबी और भीम आधार विकसित की गई हैं और इनका संचालन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के उपयोग से भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा किया जा रहा है, जिनसे देश में वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी सहायता मिली है। इनका संक्षेप में वर्णन निम्नलिखित खंडों में किया गया है।

5.1.3 आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस): आधार समर्थित भुगतान प्रणाली या एईपीएस माइक्रो एटीएम में उपयोग किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है, जो बैंकों द्वारा दूर-दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा नियुक्त बैंक मित्रों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। एईपीएस प्रत्येक व्यक्ति को केवल अपने आधार का उपयोग करके बुनियादी बैंकिंग लेनदेन जैसे निकासी, नकद जमा, अपने बैंक खाते से धन का हस्तांतरण आदि करने में सहायता प्रदान करता है। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, 1362.59 करोड़ से अधिक सफलतापूर्वक संव्यवहार एईपीएस प्लेटफार्म पर किए गए हैं तथा 124 बैंकों और डाक विभाग द्वारा लगभग 36.90 लाख माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराये गये हैं। यह उल्लेखनीय है कि 2020-21 की तुलना में एईपीएस संव्यवहार की कुल संख्या में संचयी रूप से 45% की वृद्धि देखी गई है। इसने डोर-स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में अत्यधिक सुविधा प्रदान की और कोविड-19 महामारी के कारण लोगों की कठिनाइयों को कम करने में सहायता की। ग्राफ-9 में मई, 2014 से माइक्रो एटीएम में एईपीएस संव्यवहारों की प्रगति को दशार्या गया है (डाटा स्रोतःएनपीसीआई)।

5.1.4 आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी): आधार भुगतान ब्रिज अथवा एपीबी एक अन्य भुगतान प्रणाली है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से सरकार और निवासी दोनों पक्षों को, लाभ के साथ बैंकिंग लेनदेन से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता प्रदान करना है। यह मुख्यतः सरकार-से-नागरिक (जी2सी) तथा व्यवसाय-से-उपभोक्ता (बी2सी) का एक अंतरण प्लेटफार्म है, जिसमें किसी आधार धारक की निधियों का अंतरण मात्र उसकी आधार संख्या का उल्लेख करके ही किया जा सकता है। आधार से संबंद्ध

ग्राफ 9 – एईपीएस संव्यवहार की प्रगति मई 2014 से

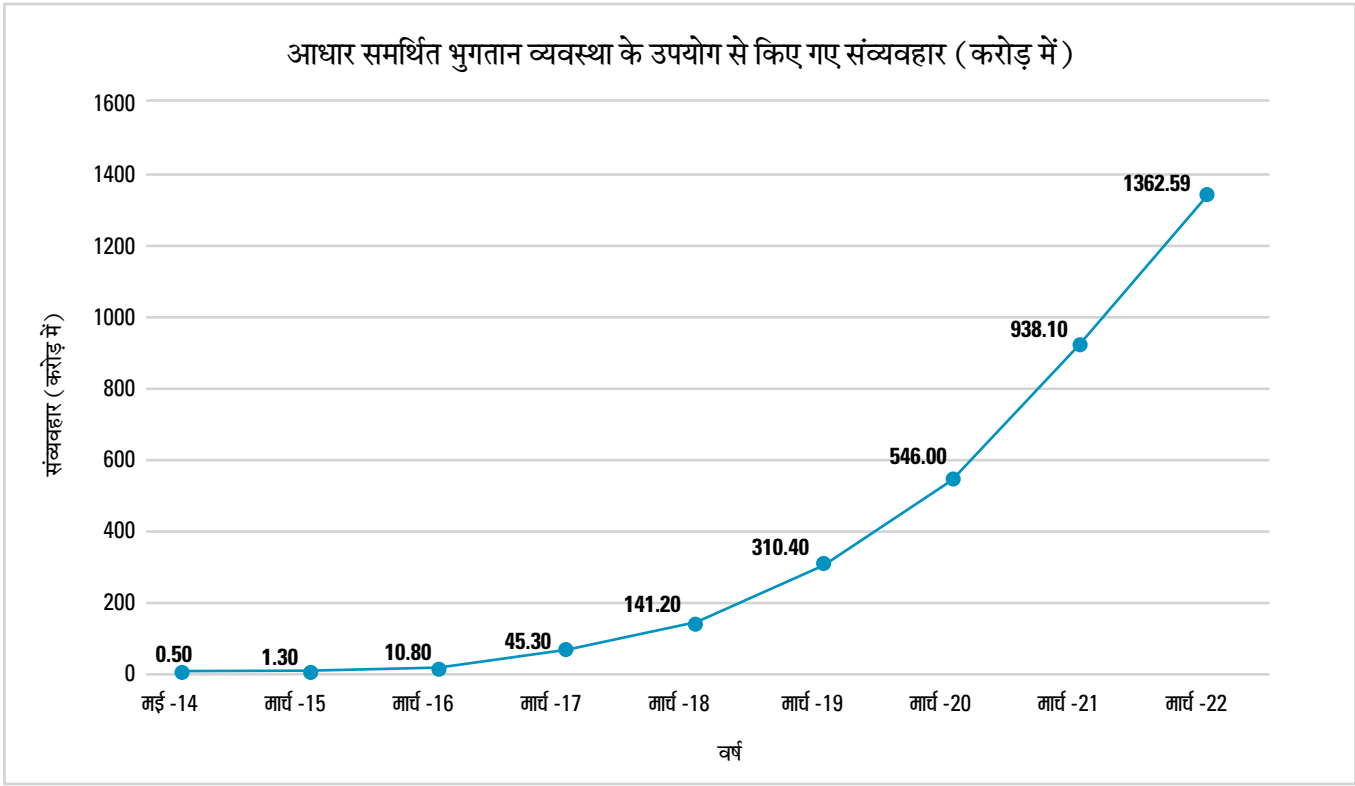

(लिंक) बैंक खातों में निधि का आधार भुगतान ब्रिज के माध्यम से स्वतः अंतरण हो पाता है।

5.1.5 ईको-सिस्टम स्तर पर, आधार भुगतान ब्रिज को पहले ही व्यापक स्वीकार्यता मिल चुकी है तथा अब यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक अनुमोदित भुगतान व्यवस्था है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, 945 बैंक आधार भुगतान ब्रिज से संबद्ध हैं, जिनमें सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा कई सहकारी बैंक शामिल हैं। संचयी रूप से , 898.81 करोड़ से अधिक के लेनदेन को सफलतापूर्वक एपीबी पर किया गया है, जिसकी राशि 6,21,014 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल (राशि 3,86,057 करोड़ रुपए) की तुलना में 61% की वृद्धि है। मई, 2014 से, लेन-देन क्रमशः ग्राफ 10 और 11 एपीबी की प्रगति और लेनदेन की संख्या को दर्शाते हैं (डाटा स्रोत : एनपीसीआई)।

5.1.6 भीम आधारः भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित, आधार-लिंक्ड भीम मोबाइल ऐप्प एकीकृत भुगतान इंटरफेस पर आधारित है। भीम आधार भुगतान व्यापारियों को, आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से काउंटर पर ग्राहकों से डिजिटल भुगतान प्राप्त करने में समर्थ बनाता है। यह ग्राहक के बायोमेट्रिक्स को प्रमाणित करके किसी भी बैंक के ग्राहक से भुगतान स्वीकार करने के लिए इसे किसी भी अधिग्रहणकर्ता बैंक से जुड़े किसी भी व्यापारी को भीम आधार पे पर लाइव होने की अनुमति प्रदान करता है। यह आंतरिक भुगतान के तरीके में बदलाव करता है, जिससे उन्हें तात्कालिक, सुरक्षित और सही मायने में डिजिटल रखा गया है।

5.1.7 एक बैंक खाता धारक व्यापारी और एक सामान्य कम-लागत वाला एंड्रॉइड स्मार्ट फोन लगभग 2,000 रुपए की बायोमेट्रिक डिवाइस प्राप्त करके और गुगल प्ले स्टोर ऐप से डाउनलोड करके एक डिजिटल व्यापारी बन सकता है, इस प्रकार एक व्यापारी ग्राहकों से कैशलेस भुगतान लेने में सक्षम होता है। वर्तमान में इसे 107 बैंकों द्वारा परिनियोजित किया गया है और

ग्राफ 10 – आधार भुगतान ब्रिज से संव्यवहार की प्रगति

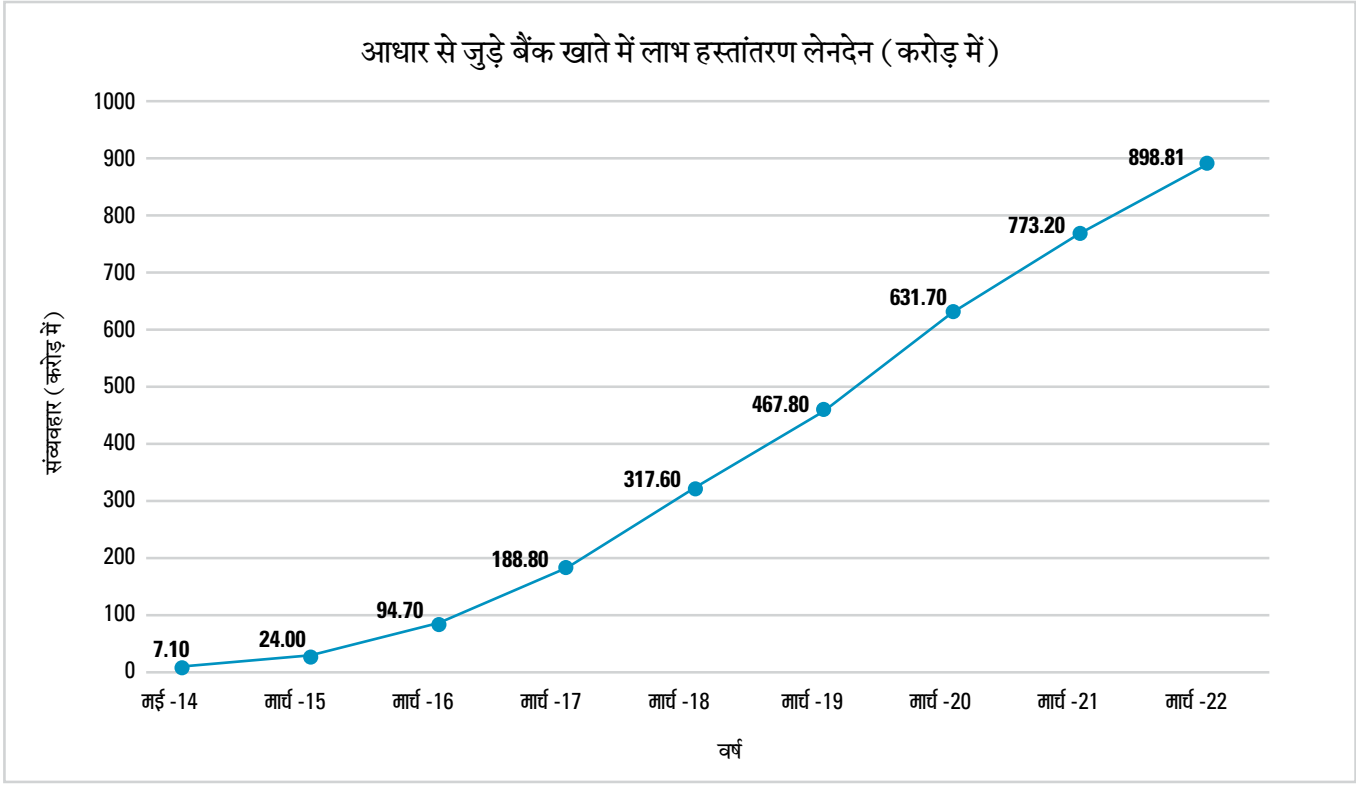

3.58 लाख से अधिक व्यापारी इसका सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं। 31 मार्च 2022 तक, इसके द्वारा कुल मिलाकर लगभग 5.66 करोड़ लेनदेन किए गए हैं (डाटा स्रोत : एनपीसीआई)।

5.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) में आधार

5.2.1 कल्याणकारी सेवाओं की अधिक पारदर्शी और कुशल ढंग में लक्षित डिलीवरी की प्राप्ति हेतु, भारत सरकार ने जनवरी 2013 के दौरान आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) और अन्य चैनलों के जरिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को शुरू किया था। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अधिकार के साथ संयुक्त त्रि-व्यवस्था जेएएम (जन-धन, आधार और मोबाइल) ने समाज के वंचित वर्गों को औपचारिक रूप से वित्तीय प्रणाली में शामिल कर दिया है, जिसके द्वारा पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन, लोगों के विकास और सशक्तीकरण के पथ पर क्रांति आयी है।

5.2.2 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय रूप से प्रायोजित सभी योजनाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। लाभार्थियों के बैंक खातों से संबद्ध आधार हेतु नगद लाभों के अंतरण हेतु एपीबी पर विभिन्न डीबीटी योजनाएं लाभ ले रही हैं। 31 मार्च, 2022 के अनुसार, पहल (पीएएचएएल), मनरेगा इत्यादि सहित विभिन्न योजनाओं में 898.81 करोड़ सफलतापूर्वक संव्यवहारों में 6,21,014 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था (डाटा स्रोत : एनपीसीआई)।

ग्राफ 11 - आधार भुगतान ब्रिज से मूल्य संव्यवहार की प्रगति

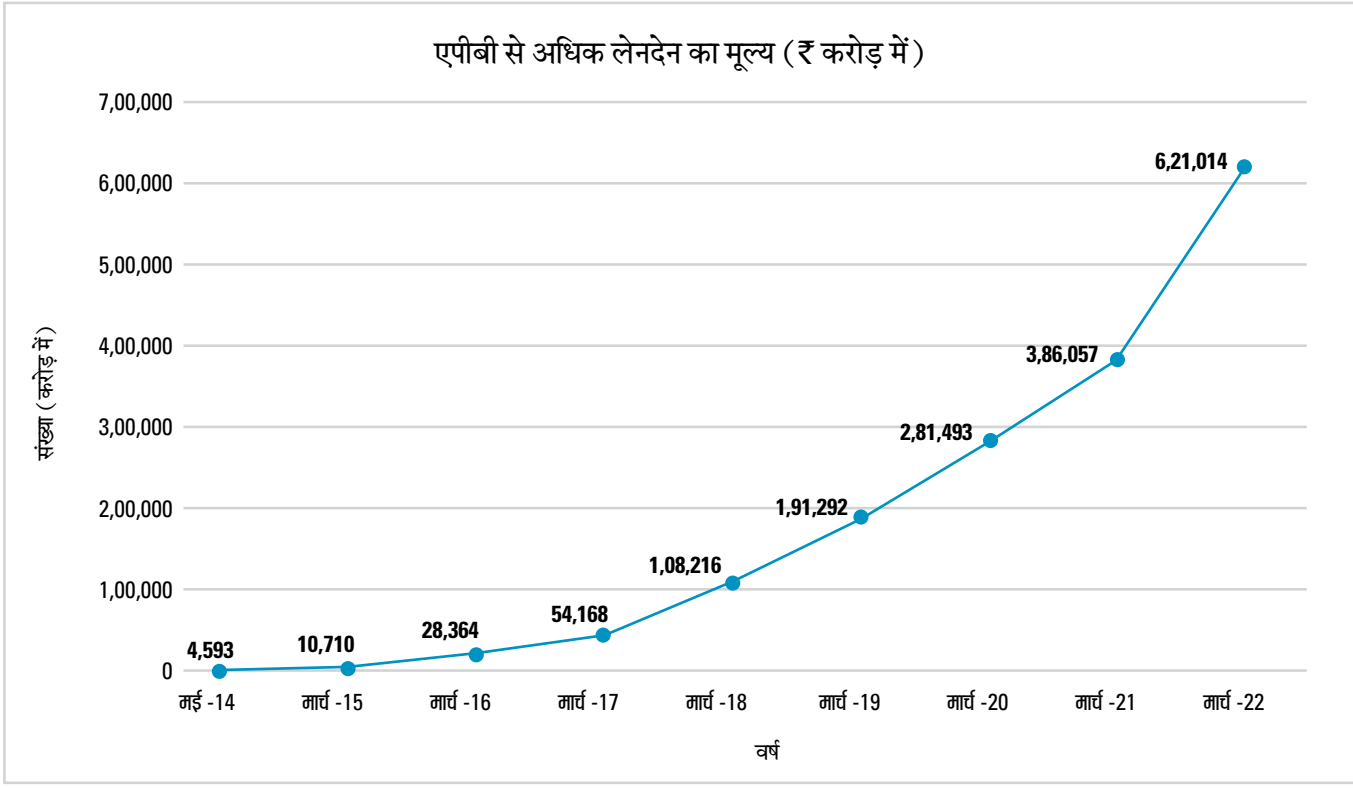

5.3 डीबीटी योजनाओं के लिए आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत आधार का उपयोग

5.3.1 आधार अधिनियम 2016 [आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के द्वारा यथा संशोधित] की धारा 7 के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत भारत के समेकित कोष या राज्य के समेकित कोष से वित्तपोषित किसी भी योजना के लिए आधार का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार से संबंधित विभाग/मंत्रालय को पहचान के रूप में आधार को राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय के निर्णय के अनुसार, भाविपप्रा को आधार अधिनियम 2016 के अनुपालन में संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा धारा 7 की अधिसूचनाओं के प्रारूपण एवं पुनरीक्षण कार्य को कानून और न्याय मंत्रालय की सम्यक विधीक्षा के साथ सुगम बनाने हेतु अधिदेशित किया गया है। 31 मार्च 2022 तक, केंद्र सरकार में 48 मंत्रालयों/विभागों ने आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत 315 योजनाओं (केंद्रीय रूप से प्रायोजित या केंद्रीय क्षेत्र) को कवर करते हुए 180 अधिसूचनाएं जारी की हैं (डाटा स्रोतः egazette.nic.in)।

5.3.2 आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के साथ अधिनियम 2016 की धारा 7 में संशोधन करके इसे समेकित कोष राज्य के लिए भी लागू किया जाएगा। तदनुसार, भाविपप्रा ने 25 नवंबर, 2019 को सभी राज्य समेकित निधि से वित्तपोषित योजनाओं के लिए आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 के तहत आधार के उपयोग के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। वयस्कों और बाल लाभार्थियों के लिए दिशानिदेर्शों में, धारा 7 अधिसूचनाएं जारी करते समय मानक टेम्पलेट्स का अलग से उपयोग करते हुए राज्यों द्वारा पालन किए जाने वाले चरणों को रेखांकित किया गया है। 31.03.2022 तक, धारा 7 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा 537 से अधिक योजनाएं अधिसूचित की गई।

5.4 आधार अधिनियम 2016 (संशोधित) की धारा 4 के तहत राष्ट्र हित में निर्धारित उद्देश्यों के लिए आधार का उपयोग

आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत आधार अधिनियम 2016 की धारा 4 में भी संशोधन किया गया है, ताकि केंद्र सरकार प्राधिकरण के परामर्श से और राज्य के हित में, इस तरह के प्रयोजन के लिए आधार अधिप्रमाणन करने की अनुमति दे सके। इस संशोधन के अनुसरण में, 5 अगस्त, 2020 को सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवप्रवर्तन, ज्ञान) के लिए आधार प्रमाणीकरण नियम, 2020 अधिसूचित किया गया, जिसके अंतर्गतकेंद्र/राज्य मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं/पहलों के लिए सुशासन के हित में, सार्वजनिक धन के लीकेज को रोकने, निवासियों के सुलभ जीवन को बढ़ावा देने तथा उनके लिए सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए, स्वैच्छिक तौर पर आधार प्रमाणीकरण की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा, इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिनांक 18.08.2020 के परिपत्र संख्या 13(6)/2018-ईजी-II(वॉल्यूम-II) के माध्यम से उपरोक्त नियमों के तहत आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए आवेदन प्रारूप और दिशानिर्देश जारी किए हैं। अधिसूचना के उपरांत, 31.03.2022 तक दोनों के, केंद्र के 24 प्रस्तावों और राज्य सरकार के 55 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

6. भाविपप्रा के संगठनात्मक मामले

6.1 यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी

6.1.1 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अनुसार तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके दिनांक 2 फरवरी 2015 के का.ज्ञा. सं. 11013/2/2014-स्था.क-III में जारी किए गए अनुदेशों के अनुपालन में, वर्ष के लिए अपेक्षित जानकारी नीचे तालिका 10 में दी गई है।

तालिका 10 – कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (2021-22)

क्र. सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2021-22
1	वर्ष में यौन उत्पीड़न के बारे में प्राप्त शिकायतें	शून्य
2	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	शून्य
3	90 दिन से अधिक दिनों से लंबित पड़े मामले	शून्य
4	यौन उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष के लिए वर्ष के दौरान आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों पर कार्यशालाएं	2 (मुख्यालय और क्षे.का./ तकनीकी केंद्र)
5	कार्यवाही की प्रकृति	लागू नहीं

6.1.2 उक्त अधिनियम और उसके प्रासंगिक नियमों/आदेशों के अनुरूप (जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विशाखा दिशानिर्देश भी शामिल हैं), भाविपप्रा ने 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी नीति' (पीओएसएच नीति) तैयार की है, जो भाविपप्रा की आधिकारिक वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है।

6.2 भाविपप्रा में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

6.2.1 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अपने मुख्यालय और सभी 8 क्षेत्रीय कार्यालयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति को लागू कर रहा है तथा राजभाषा अधिनियम और राजभाषा (संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए उपयोग) नियमों में परिकल्पित विभिन्न प्रावधानों और इस संबंध में समय-समय पर जारी भारत सरकार के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर रहा है।

6.2.2 वर्ष 2021-22 के दौरान, भाविपप्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/उपमहानिदेशक (मा.सं.) की अध्यक्षता में मुख्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गई, जिनमें अन्य मदों/विषयों के अलावा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए निर्णय लिए गए तथा भाविपप्रा के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को विशेष रूप से क्षेत्र 'क', 'ख' और 'ग' में, हिंदी में मूल पत्राचार करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

6.2.3 वर्ष 2021-22 के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली (मध्य-2) द्वारा आयोजित बैठकों में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, मुख्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा भागीदारी की गयी।

6.2.4 समीक्षा अवधि के दौरान, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा नीतियों/नियमों पर जानकारी देने के लिए तीन कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं में मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के 115 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।

6.2.5 दिनांक 09.04.2021 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली का संसदीय समिति की दूसरी उप-समिति द्वारा राजभाषा निरीक्षण किया गया और दिन प्रतिदिन के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के सुझाव दिए गए।

6.2.6 वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय, मुबंई और क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद का निरीक्षण वर्ष 2021-22 के दौरान राजभाषाई निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार उपरोक्त अवधि के दौरान मुख्यालय के चार प्रभागों/अनुभागों का हिंदी निरीक्षण किया गया।

6.2.7 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में 14 से 28 सितंबर, 2021 के दौरान हिंदी पखवाडे.का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पूरे भारत में स्थित भाविपप्रा के सभी कार्यालयों/स्थापनाओं में तैनात सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी संदेश जारी किया गया। इस अवसर पर, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के कर्मचारियों को राजभाषा शपथ भी दिलाई गई। हिंदी पखवाड़े के दौरान प्राधिकरण मुख्यालय में पांच प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें 155 अधिकारियों/कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। 29 सितंबर, 2021 को वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भाविपप्रा द्वारा मुख्यालय के 31 विजेता अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

6.2.8 सरकारी कार्य में राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए, प्रत्येक वर्ष भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी में नोटिंग और ड्राफ्टिंग प्रोत्साहन योजना लागू करता है। इस योजना के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय के सात कर्मचारियों को योजना के अंतर्गत नकद पुरस्कार के लिए पात्र पाया गया और 29 सितंबर, 2021 को वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया।

6.3 नागरिक चार्टर

यह संगठन की ओर से अपने सभी हितधारकों के प्रति प्रतिबद्धता रखते हुए विशिष्ट मानकों, गुणवत्ता और समय-सीमा के साथ नागरिकों को सेवाओं के वितरण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक उपकरण है। नागरिक चार्टर की नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है। भाविपप्रा की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर नागरिक चार्टर प्रदान किया गया है: https://www.uidai.gov.in/images/Citizens_Charter_Feb-2022.pdf

नागरिक चार्टर को डाउनलोड करने के लिए स्केन करें

6.4 इंट्रानेट एवं ज्ञान प्रबंधन पोर्टल

'इंट्रानेट और ज्ञान प्रबंधन पोर्टल' (केएम पोर्टल) भाविपप्रा द्वारा स्थापित एक ऑनलाइन समुदाय आधारित प्लेटफॉर्म है, जो भाविपप्रा कर्मचारियों के बीच आंतरिक संचार, बेहतर सूचना विनिमय और समूह में कार्य करने को बढ़ावा देता है। केएम पोर्टल में केएम डैशबोर्ड है, जहां नवीनतम कार्यालय आदेश, परिपत्र, निविदाएं, भाविपप्रा से संबंधित अन्य दस्तावेज आदि विभिन्न प्रभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रबंधित सेवा प्रदाता द्वारा अपलोड किए जाते हैं।

6.5 नोडल आरटीआई प्रकोष्ठ

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) के अनुसार, भाविपप्रा में मानव संसाधन प्रभाग के अंतर्गत आरटीआई प्रकोष्ठ सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन/अपील/शिकायतों के साथ-साथ केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से संबंधित मामलों को संसाधित करता है। साथ ही, इस संबंध में त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उन्हें निदेशों के अनुसार सीआईसी को भेजी जाती है। वर्ष के दौरान, विभिन्न केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय अधिकारियों (एफएए) द्वारा क्रमशः 2475 आरटीआई आवेदनों और 306 अपीलों पर कार्रवाई की गई। भाविपप्रा के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकरणों (एफएए) की सूची को भी आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार अन्य अनिवार्य वस्तुओं के साथ नियमित रूप से तैयार/अद्यतित किया जाता है और भाविपप्रा कीआधिकारिक वेबसाइटः www.uidai.gov.in पर 'आरटीआई' टैब के तहत पोस्ट किया जाता है।

6.6 भाविपप्रा की वेबसाइट

6.6.1 भाविपप्रा वेबसाइट (https://www.uidai.gov.in) भारत के निवासियों के लिए सिंगल क्लिक आधार ऑनलाइन सेवा विंडो है, साथ ही यह विभिन्न पारिस्थितिकी-तंत्र भागीदारों और बड़े पैमाने पर जनता के लिए प्राथमिक वेब सूचना केंद्र है। भारत में अधिकांश निवासी मोबाइल के माध्यम से आधार सेवाएं और संबंधित जानकारी चाहते हैं। उन मोबाइल उपयोगकताओं तक पहुंचने के लिए और आधार सेवाओं की पहुंच में सुधार सुनिश्चित करने के लिए, भाविपप्रा वेबसाइट और आधार सेवा पोर्टलों को हाल ही में नया रूप दिया गया है और इन्हें बहु-उपकरण हितैषी बनाया गया है। इसके अलावा, देश की विविध जनसांख्यिकी के लिए जानकारी अंग्रेजी, हिंदी और 11 भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। वेबसाइट और अन्य सेवा पोर्टलों का होम पेज नीचे दिखाया गया हैः -

uidai.gov.in
पर जाने लिए स्केन करें

6.6.2 भाविपप्रा वेबसाइट की निम्नलिखित विशेषताएं हैं :-

- उत्तरदायी यूएक्स यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आधार सेवाओं और जानकारियों तक पहुँच बनाने के दौरान मोबाइल उपयोगकताओं को बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव हासिल हो।
- सबसे अधिक मांग वाली आधार सेवाओं को वेबसाइट के भीतर रखने के स्थान पर भाविपप्रा वेबसाइट आधार ऑनलाइन सेवाओं तक सीधे पहुंच प्रदान करती है। स्पष्ट इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, निर्बाध दो-चरणीय नेविगेशन, सार्वभौमिक रूप से समझने योग्य लेबल और सर्च विशेषताएं यह सुनिश्चित करती हैं कि निवासियों को सही समय पर सही जानकारी प्राप्त हो सके।
- आधार नामांकन, अधिप्रमाणन प्रौद्योगिकियों, भाविपप्रा इकोसिस्टम पर सूचनात्मक दस्तावेज, जो नामांकन और अधिप्रमाणन प्रणालियों/प्रक्रियाओं और विभिन्न आधार सेवाओं पर प्रशासनिक और तकनीकी विवरण प्रदान करते हैं, वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- नवीनतम समाचारों, प्रेस विज्ञप्तियों, वीडियो, कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और अभियानों, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों आदि के नियमित अपडेट।
- वेबसाइट में संपर्क अनुभाग, मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों और तकनीकी केंद्रों में विभिन्न प्रभागों और पदाधिकारियों के संपर्क विवरण प्रदान करता है।
- वेबसाइट भारत सरकार की त्वरित आकलन प्रणाली (आरएएस) के साथ एकीकृत है, जो उपयोगकर्ता को वेबसाइट और अन्य उपलब्ध आधार ऑनलाइन सेवाओं पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए एक पोर्टल प्रदान करती है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) अनुभाग निवासियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आधार सेवाओं पर विशिष्ट आधार सेवाओं से प्रासंगिक रूप से जुड़ा हुआ है। विभिन्न विषयों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे - अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। वेबसाइट देश भर में सृजित आधार और किए गए अधिप्रमाणन की कुल संख्या से संबंधित विश्लेषण प्रदर्शित करती है। वेबसाइट डब्ल्यू3सी द्वारा सीएसएस और एचटीएमएल के लिए प्रमाणित है और वर्तमान में जीआईजीडब्ल्यू अनुपालन के लिए एसटीक्यूसी द्वारा इसकी ऑडिट की जा रही है। सोशल मीडिया अनुभाग निवासियों को नवीनतम अपडेट देखने और भाविपप्रा के फेसबुक और ट्विटर पेजों में शामिल होने की सुविधा प्रदान करता है।

6.6.3 सामान्य भंडारण के रूप में भाविपप्रा वेबसाइट

भाविपप्रा वेबसाइट निम्नलिखित के लिए सामान्य भंडारण के रूप में कार्य करती है:

- नीतियां, दिशानिर्देश, जांच-सूचियां और अन्य ऑन-बोर्डिंग दस्तावेज जो पारिस्थितिकी-तंत्र भागीदारों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये संसाधन अनुभाग में उपलब्ध हैं।
- आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 और संबंधित नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों को विधि अनुभाग के तहत प्रमुखता से रखा गया है।
- राज्य और गैर-राज्य रजिस्ट्रारों के साथ समझौता ज्ञापन, व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए निविदाएं और संबंधित दस्तावेज संसाधन अनुभाग में नामांकन दस्तावेजों और भाविपप्रा दस्तावेजों के तहत उपलब्ध हैं।
- समाचार, प्रेस विज्ञप्ति, आधार से संबंधित अभियान, वीडियो और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, डाउनलोड करने योग्य प्रारूप में, मीडिया अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

6.6.4 ऑनलाइन आधार सेवाओं और अन्य पोर्टलों तक सिंगल-पॉइंट एक्सेस

भाविपप्रा वेबसाइट निम्नलिखित सेवा, विश्लेषण और व्यवसाय पोर्टलों तक भी प्रत्यक्ष लिंक प्रदान करती है:-

- नामांकन केंद्र ढूंढें
- अपॉइंटमेंट बुक करें
- आधार स्थिति की जाँच करें
- आधार डाउनलोड करें
- खोया अथवा भूला यूआईडी/ईआईडी प्राप्त करें
- आधार पीवीसी कार्ड आर्डर करें
- आधार पीवीसी कार्ड स्थिति की जांच करें
- नामांकन/अद्यतन केंद्र पर आधार अद्यतन बनाएं
- आधार अद्यतन स्थिति की जांच करें
- ऑनलाइन जनसांख्यिकी डेटा अद्यतन करें और जांच करें
- आधार अद्यतन इतिहास
- आधार नंबर सत्यापित करें
- ई-मेल/मोबाइल नंबर सत्यापित करें
- आधार बैंक/एकाउंट लिंकिंग स्थिति की जांच करें
- वर्चुअल आईडी (वीआईडी) सृजक
- बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक करें
- आधार लॉक और अनलॉक सेवा
- आधार अधिप्रमाणन इतिहास
- आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी
- एसएमएस पर आधार सेवाएं

6.6.5 आधार डैशबोर्ड: विश्लेषणात्मक आधार नामांकन, अद्यतन, अधिप्रमाणन और ई-केवाईसी सेवाओं के लिए वृहत डेटा प्रदर्शित करता है।

6.7 एकीकृत मोबाइल ऐप

भाविपप्रा ने हाल ही में एम-आधार ऐप का अपग्रेडेड वर्जन जारी किया है जो पहले से विकसित मोबाइल एप्लिकेशन (एम-आधार, रेजिडेंट ऐप और क्यूआर कोड स्कैनर) को एक ही ऐप में एकीकृत करता है। ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों संस्करणों में उपलब्ध है और इसमें आधार सेवाओं की एक श्रृंखला विद्यमान

है, जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में एक्सेस किया जा सकता है। ऐप आधार धारक के लिए एक व्यक्तिगत भाग प्रदान करता है, जो हर समय भौतिक प्रति अपने साथ रखने के स्थान पर एक सॉफ्टकॉपी के रूप में आधार की जानकारी लेकर चल सकता है। निवासी आधार के साथ या आधार के बिना इस ऐप को अपने स्मार्ट फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तथापि, वैयक्तिक आधार सेवाओं का लाभ उठाने के लिए निवासी को ऐप में अपना आधार प्रोफाइल पंजीकृत करना होगा। देश के विभिन्न हिस्सों के निवासियों तक पहुंच बनाने के लिए, इस एप को अंग्रेजी, हिंदी और 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है।

6.8 ई-ऑफिस कार्यान्वयन

एडमिन डिवीजन ने पूरे भाविपप्रा में ई-ऑफिस को सफलतापूर्वक लागू किया है जिसके परिणामस्वरूप फाइल वर्क 100% पेपरलेस हो गया है। ई-ऑफिस की औपचारिक रूप से शुरूआत 15 सितंबर, 2020 को एनआईसी की सहायता से की गई थी और एप्लिकेशन को इसके भुवनेश्वर डेटा सेंटर में होस्ट किया गया है। कार्यालय का काम ईऑफिस के माध्यम से करने के इस ऑनलाइन माध्यम ने कार्यालय प्रक्रिया को बहुत तेज, सरल और परेशानी मुक्त बना दिया है, जो वर्तमान महामारी परिदृश्य के दौरान अनिवार्य रूप से सहायक है।

7. 2021-22 की प्रमुख विशेषताएं और पहल

7.1 अवलोकन

7.1.1 आधार, इसकी स्थापना से ही, इस देश के निवासियों को एक ऐसी बायोमेट्रिक आधारित विशिष्ट पहचान संख्या देने में अग्रणी रहा है, जो सुविधाजनक, उपयोग में आसान एवं सत्यापन योग्य है और जो संपूर्ण राष्ट्र में स्वीकार्य है। भाविपप्रा विश्व के सबसे बड़े बायोमेट्रिक डेटाबेस में से एक का रखरखाव करता है और 31 मार्च 2022 तक 132.96 करोड़ आधार नंबर सृजित किए जा चुके हैं। देश की डिजिटल इंडिया मुहिम को ध्यान में रखते हुए, भाविपप्रा प्रौद्योगिकी, जो वर्तमान गतिमान समाज में सतत रूप से विकसित हो रही है, में सुधार के साथ-साथ अपनी अवसंरचना में भी सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है।

7.1.2 वर्ष 2021-22 में, 3 करोड़ से अधिक नए आधार नंबर सृजित किए गए हैं। भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों ने 75 प्रतिशत परिपूर्णता दर को पार कर लिया है, मेघालय और नागालैंड इसमें शामिल नहीं हैं, जिनमें प्रत्येक ने 59 प्रतिशत की दर को प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 में 15 करोड़ से अधिक आधार के अद्यतन सफल रूप से किए गए हैं।

7.1.3 विभिन्न हितधारकों, निवासियों सहित, की फीडबैक के आधार पर, भाविपप्रा देश के निवासियों के लिए अपनी सेवाओं में लगातार सुधार के लिए प्रयासरत है। वर्ष 2021-22 में भाविपप्रा ने कई प्रमुख तकनीकी उन्नत कार्य, प्रक्रिया में सुधार, वृत्तांत और अन्य विशेष कार्य क्रियान्वित किए हैं। इन्हें विस्तृत रूप से निम्नलिखित 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

- आधार यूसेज का विस्तार
- निवासी केंद्रीयता की निरंतरता
- प्रौद्योगिकी विकास और नवीनीकरण
- घरेलू और वैश्विक आऊटरीच
- अन्य उल्लेखनीय विशेषताएं

7.2 आधार यूसेज का विस्तार

7.2.1 आधार के यूसेज में सुधार के लिए, आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य-निर्धारण) विनियम, 2021 को, पूर्व के 2019 के विनियम के स्थान पर, प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें आधार ई-केवाईसी के शुल्क को 20/- रुपए प्रति संव्यवहार से कम करके 3/- रुपए प्रति संव्यवहार किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए के अनुसार इसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए प्रति संव्यवहार 1/- रुपए कर दिया गया है। इससे निवासियों के लिए संबंधित सेवा शुल्क कम होंगे।

7.2.2 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने धारा 7 या धारा 4(4)(ख)(ii) की योजनाओं को शासित करने, केंद्र सरकार की संस्थाओं में योजना डेटा को साझा करने के जरिए लाभार्थियों के चयन और विभिन्न सरकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से तैयार करने के लिए एकल संस्था के रूप में, भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा व्यवहार करने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है।

7.2.3 अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत आधार से संबंधित डेटा के उपयोग द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के निर्बाध कार्यान्वयन/संरूपण को सक्षम करने के लिए फार्म प्रस्तुत किया गया, ताकि भारत सरकार की सभी वर्तमान और भावी योजनाओं के संबंध में एकमुश्त सहमति को समर्थ बनाया जा सके।

7.2.4 आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत आधार संबंधित डेटा का उपयोग करके विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन/संरूपण के लिए विभिन्न सरकारी मंत्रालयों के डेटाबेस में नाम, जन्मतिथि, लिंग, आवासीय पता आदि जैसी जनसांख्यिकीय जानकारी के साथ आंशिक रूप से मास्कड आधार को साझा करने की अनुमति दी गई है।

7.2.5 सरकारी एयूए के लिए यूआईडी टोकन से आधार की पुनप्राप्ति सुविधा प्रदान की गयी है, जो एजेंसियों द्वारा आधार के उपयोग को सुगम बनाती है जिसे अब आधार स्टोरेज के लिए आधार डेटा वॉल्ट (एडीवी) परिनियोजित किया गया है।

7.2.6 ऑफलाइन सत्यापन मांगकर्ता संस्था (ओवीएसई) द्वारा उपयोग के लिए स्पष्टता लाने के लिए अधिप्रमाणन विनियम संशोधित किए गए।

7.2.7 धारा 4(3) के अंतर्गत आधार नंबर धारक द्वारा आधार के स्वैच्छिक उपयोग के संबंध में प्रावधान करने के लिए अधिप्रमाणन विनियम संशोधित किए गए। यह धारा एक निवासी को, ऑफलाइन सत्यापन या अधिप्रमाणन के जरिए और किसी भी रूप में (इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक) किसी वैध प्रयोजन के लिए, उसके आधार नंबर के स्वैच्छिक उपयोग हेतु प्रावधान प्रदान करती है।

7.3 निवासी केंद्रीयता की निरतंरता

7.3.1 राज्य सरकारों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से समन्वय करने और निवासियों की शिकायतों के निवारण के लिए, भाविपप्रा ने अपने संगठनात्मक चार्टर में विस्तार करने के संबंध में एक पहल की है। वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अंतर्गत आठ क्षेत्रीय कार्यालय कार्य कर रहे हैं और पांच नए भाविपप्रा राज्य स्तरीय कार्यालय चरण-1 में खोले जा रहे हैं, जिनके स्थान इस प्रकार हैं:-

- क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली के तहत भोपाल (मध्य प्रदेश)
- क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई के तहत अहमदाबाद (गुजरात)
- क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरू के तहत तिरुवनंतपुरम (केरल)
- क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद के तहत भुवनेश्वर (ओडिशा)
- क्षेत्रीय कार्यालय, रांची के तहत कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

7.3.2 लोगों को सुविधाजनक आधार नामांकन और अद्यतन सेवाएं प्रदान करने के लिए, भाविपप्रा ने संशोधित लक्ष्य के अनुसार देशभर के 72 शहरों में 88 आधार सेवा केंद्र स्थापित करने और संचालित करने के लिए 2 सेवा प्रदाताओं को नियुक्त किया है। भाविपप्रा ने वर्ष 2021-22 में 31 नए आधार सेवा केंद्र खोलें हैं, जिससे 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार देशभर में 79 आधार सेवा केंद्र खोले जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, सीएससी-एसपीवी को उन जिला स्तरीय कार्यालयों द्वारा और अपने राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र स्तर के कार्यालयों द्वारा, जहां आधार सेवा केंद्र उपलब्ध नहीं है, निवासियों को आधार नामांकन/अद्यतन सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की है। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र स्तर के 24 सीएससी एएसके और जिला स्तर के 494 सीएससी एएसके को संक्रियात्मक कर दिया गया है।

7.3.3 आधार के साथ मोबाइल नंबर जोड़ने की अपेक्षित मांग को पूरा करने के लिए, भाविपप्रा ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) को अपने रजिस्ट्रार के रूप में जोड़ा है ताकि वे टेबलैट और सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैनर से सुसज्जित अपने 1.5 लाख पोस्टमैन/डाक-सेवकों के जरिए निवासियों को मोबाइल नंबर अद्यतन सुविधा प्रदान कर सकें। भाविपप्रा ने निवासियों को आधार नामांकन और अद्यतन सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय रेल को भी जोड़ा है।

7.3.4 निवासियों के लिए आधार अद्यतन को आसान बनाने हेतु, भाविपप्रा ने ऐसे सीएससी को अनुमति प्रदान की है, जो आधार अद्यतन सेवाएं प्रदान के लिए बैंकों के नामित बैंकिंग संपर्ककर्ता (बीसी) हैं। यह निवासियों को जनसांख्यिकीय अद्यतन सेवाए प्रदान करने के लिए लगभग 20,000 ऐसे सीएससी को अनुमति देगा। इनमें से 10,423 केंद्र संक्रियात्मक हैं।

7.3.5 वर्ष 2021-22 के दौरान भाविपप्रा ने, समाज के उपेक्षित वर्गों , जैसे आदिवासी आबादी, वृद्धजनो, दिव्यांग, बेघर आदि के लिए आधार नामांकन/अद्यतन सेवाओं हेतु बड़ी संख्या में विशेष शिविरों का आयोजन किया।

7.3.6 भाविपप्रा ने निवासियों के लिए नामांकन और अद्यतन की प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में विभिन्न कदम उठाएं है। निवासियों को अब स्वीकृत सीमा से अधिक बार जन्मतिथि अद्यतन कराने की अनुमति है। निवासियों के नाम (मामूली सुधार), जन्मतिथि और लिंग अद्यतन के लिए ऑनलाइन एसएसयूपी पोर्टल को उन्नत बनाया गया है, जिससे निवासियों के

माननीय राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर और डॉ. वी.के. सिंह ने उत्तर प्रदेश में नए एएसके का उद्घाटन किया

लिए अपने विवरण को अद्यतन करना आसान हो गया है। साथ ही, नामांकन/अद्यतन के लिए वैध समर्थित दस्तावेजों की सूची में भी आवर्धन किया गया है।

7.3.7 निवासी सेवाओं पर फीडबैक लेने के संबंध में उपयोगकताओं के साथ घनिष्ठ कार्य के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एनईजीडी) त्वरित मूल्यांकन प्रणाली (आरएएस) को भाविपप्रा सेवाओं के साथ एकीकृत किया गया था।

7.4 प्रौद्योगिकी विकास और नवीनीकरण

7.4.1 निवासियों को विभिन्न ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए 01.08.2021 को एकीकृत 'माईआधार' पोर्टल शुरू किया गया था। यह विभिन्न स्थानीय भाषाओं में सभी आधार सेवाओं के लिए उपयोगकर्ताओं को वन-स्टॉप अनुभव प्रदान करता है।

7.4.2 नया क्यूसी पोर्टल दिनांक 10.10.2021 को सक्रिय हुआ। इसे संव्यवहार के विभिन्न बिंदुओं पर किए गए नामांकन और अद्यतन की 100% गुणवत्ता जांच के लिए विकसित किया गया था।

7.4.3 भाविपप्रा के सभी समाधानों का स्थानांतरण एक अत्याधुनिक निजी क्लाउड में शुरू किया गया था, ताकि अधिक नियंत्रण, नम्यता, बेहतर प्रदर्शन, स्वचालन, मापनीयता, गोपनीयता और अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

7.4.4 भाविपप्रा ने अपने दोनों डेटा केंद्र (हैब्बल और मानेसर) को हाई डेंसिटी (एचडी) क्षेत्र से अल्ट्रा हाई डेंसिटी (यूएचडी) क्षेत्र में उन्नत किया गया है। यूएचडी क्षेत्र में प्रति रैक बिजली क्षमता 25 केवीए तक उपलब्ध है, जो भाविपप्रा को प्रत्येक रैक में अधिक सर्वर संस्थापित करने में समर्थ बनाएगी। दोनों डेटा केंद्रों में यूएचडी क्षेत्र को भी अपटाइम इंस्टीट्यूट द्वारा डिजाइन के लिए टियर 3 प्रमाणित किया गया है।

7.4.5 वर्तमान में विभिन्न पेमेंट गेटवे और वॉलेट के साथ एकीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन है। पेटीएम वॉलेट सितंबर, 2021 माह में जोड़ा गया था। यह निवासी को अधिक विकल्प प्रदान करता है, इस प्रकार यह उपयोगकर्त्ता अनुभव में सुधार करता है।

7.4.6 नामांकन और अद्यतन के लिए निवासी के आवश्यक प्रामाणिक (क्रेडेंशियल) दस्तावेजों की ऑटो-फैंचिंग हेतु डिजीलॉकर के साथ एकीकरण किया गया था। ड्राइवर लाइसेंस के साथ एकीकरण दिनांक 16.11.2021 को पूर्ण किया गया; पीओआई और/या पीओए के रूप में पैन, शैक्षणिक प्रमाणपत्र आदि के साथ एकीकरण कार्य प्रक्रियाधीन है। यह निवासी के लिए सुलभ वितरण में सुधार करता है और स्वीकरण सुविधा के साथ अधिक मजबूत और धोखाधड़ी-तन्यक कार्यप्रवाह के निर्माण का समर्थन करता है।

7.4.7 मानेसर डेटा सेंटर में अप्रैल 2021 में एक फोरेंसिक लैब विकसित की गई थी, जो कड़ी फोरेंसिक जांच की सुविधा प्रदान करती है।

7.4.8 भाविपप्रा द्वारा 15 अक्तूबर, 2021 को चेहरा प्रमाणीकरण सुविधा शुरू की गई, जिसमें कोई आधार नंबर धारक चेहरा प्रमाणीकरण के उपयोग द्वारा पहचान सत्यापित कर सकता है। एक सफल चेहरा प्रमाणीकरण यह पुष्टि करता है कि सत्यापन के लिए स्कैन किया जा रहा आपका भौतिक चेहरा, नामांकन के समय आधार नंबर सृजित करने के लिए कैप्चर किए गए आपके चेहरे से मेल खाता है। चेहरा प्रमाणीकरण ऐप्प एक स्पर्शरहित ऐप्लिकेशन है, जो आधार प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसियों (एयूए) एप्लिकेशन को कैप्चर किए गए चेहरे की छवि के माध्यम से जीवंतता की पुष्टि करने पर निवासी को प्रमाणित करने की सुविधा प्रदान करता है। वर्तमान में, उत्पाद परिवेश में चेहरा प्रमाणीकरण का प्रयोग करने के लिए 8 संस्थाओं को अनुमति दी गई है। 15 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक कुल 1,77,138 चेहरा प्रमाणीकरण सव्यवंहार हुए हैं।

7.4.9 भाविपप्रा आधार हैकथॉन: आधार हैकाथॉन 2021 का आयोजन 28-31 अक्टूबर, 2021 के बीच किया गया, जिसमें देश भर से भागीदारी हुई थी । आधार हैकाथॉन का डिजाइन इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए किया गया था, जिसमें भाविपप्रा ने 'पता अद्यतन' और 'पुनर्कल्पित प्रमाणीकरण' नामक दो विषयों के तहत 7 समस्या विवरण दिये थे। हैकाथॉन में भाग लेने वालो से जटिल समस्याओं के लिए बौद्धिक और नवीन समाधानों के साथ आने की उम्मीद की गई थी। यह हैकाथॉन 95 घंटे की

दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक में गृह-आधारित नामांकन

अवधि तक चला, जिसके दौरान 175 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई। इन समाधानों की कई निर्णायक मंडलों द्वारा समीक्षा की गई थी । आधार 2.0 कार्यशाला के समापन सत्र में दो विषयों में से प्रत्येक के समक्ष चार टीमों को विजेता घोषित किया गया और 25.11.2021 को पुरस्कार वितरण किया गया । आधार हैकाथॉन के विजेताओं की घोषणा की गई और उन्हें श्री राजीव चंद्रशेखर, माननीय राज्य मंत्री (एमईआईटीवाई) द्वारा नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया ।

7.5 घरेलू और वैश्विक आऊटरीच

7.5.1 भाविपप्रा 2021-22 में विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहा, जिसने वैश्विक दर्शकों के लिए आधार और इसके सामर्थ्य को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया।

7.5.2 ब्राजील, सूडान, मैक्सिको और कांगो जैसे कुछ देशों ने अपने नागरिकों के लिए आईडी विकसित करने के संबंध में भाविपप्रा के अनुभव से सीखने में गहरी रुचि दिखाई।

7.5.3 वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भी निम्नलिखित वित्तीय संगठनों के प्रमुखों के साथ परस्पर वार्ता की:

- वित्तीय क्षेत्र के नीति निर्धारक - आरबीआई और सेबी अध्यक्ष।
- वित्तीय क्षेत्र के हितधारक - विभिन्न फर्मों के एएमएफआई प्रतिनिधि।
- जमीनी स्तर पर वित्तीय सेवा प्रदाता - एनपीसीआई सीईओ।
- अध्यक्ष, नाबार्ड ।
- बाजार नियंत्रक, बीएसई।

इसका उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र के प्रमुख हितधारको, नीति निमार्ताओं और लागूकर्ताओं के साथ सक्रिय संयोजन बनाना, समीक्षा करना और आगे का रास्ता तय करना था। आधार अब प्रमुख वित्तीय क्षेत्र और सरकारी सव्यवंहार में जुड़ गया है, इसलिए सुविधाओं, भावी आवश्यकताओं और आधार की भूमिका की एक परिप्रेक्ष्य समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

माननीय राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा आधार हैकथॉन के विजेताओं को सम्मानित किया जा रहा है

माननीय राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा आधार हैकथॉन के विजेताओं को सम्मानित किया जा रहा है

7.5.4 आधार कार्यशाला 2.0: श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय केंद्रीय इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार ने 23 नवंबर, 2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'आधार 2.0 - डिजीटल पहचान और स्मार्ट शासन की अगले युग की शुरूआत'- नामक एक 3 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। श्री अजय साहनी, सचिव, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (एमईआईटीवाई), और डा. सौरभ गर्ग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भाविपप्रा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों की सक्रिय भागीदारी के साथ इस अवसर की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में भारत और विदेशों में डिजीटल पहचान पर काम कर रहे सरकार और उद्योग जगत के नेताओं, प्रख्यात शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों, अन्वेषकों और चिकित्सकों के साथ अपने विचारों को साझा करने और आदान-प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान किया। कार्यशाला ने भारत-विशिष्ट चुनौतियों और लोगों, प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, नियामक ढांचे, कानूनी नीति और शासन के संदर्भ में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के अवसरों को दशार्ते हुए क्षेत्रीय और वैश्विक विचार-विमर्श में शामिल होने का अवसर प्रदान किया।

7.5.5 उद्घाटन के दौरान वर्चुअल संदेश द्वारा भाविपप्रा के पूर्व अध्यक्ष, श्री नंदन निलेकणि, ने आधार संबंधित पहलू पर अपने विचार और संदेश साझा किए। डा. सौरभ गर्ग, सीईओ, भाविपप्रा ने बताया कि आधार 2.0 कार्यशाला में सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख सुधारों और योजनाओं में डिजिटल पहचान की पहुंच का विश्लेषण करने के लिए भाविपप्रा द्वारा किया गया एक अंतर्निरीक्षण-सह-खोजपूर्ण प्रयास है। इसका उद्देश्य सामाजिक और वित्तीय दोनों तरह से सार्वभौमिक समावेशन प्राप्त करने के लिए डिजिटल पहचान के विभिन्न भावी पहलुओं पर गौर करना है।

विभिन्न सत्र और उनके वक्ता/पैनलिस्ट निम्न प्रकार थे:-

सत्र 1: नामांकन और अद्यतन इकोसिस्टम का सरलीकरण और सुदृढ़ीकरण

वक्ता-:

- डॉ. अजय भूषण पाण्डेय, भा.प्र.से., पूर्व राजस्व सचिव

आधार वर्कशॉप 2.0 के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दीप प्रज्ज्वलन

माननीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव आधार कार्यशाला 2.0 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए

- श्रीमती संध्या रानी, भा.डाक.सेवा, पोस्टल बोर्ड सदस्य
- श्री प्रमोद वर्मा, सलाहकार, भा.वि.प्र.प्राधिकरण
- श्रीमती आरती आहूजा, भा.प्र.से., अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय
- श्री राम सुभाग सिंह, भा.प्र.से., 1987, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश
- श्री राजीव चावला, भा.प्र.से., 1987, अपर मुख्य सचिव, कर्नाटक
- श्री कुमार अलोक, भा.प्र.से., 1990, मुख्य सचिव, त्रिपुरा

सत्र 2: डिजीटल पहचान: समावेशी विकास और सशक्तीकरण की कुंजी

वक्ता-:

- श्री अमिताभ कांत, सीईओ, नीति आयोग
- डॉ. नीरज मित्तल, प्रधान सचिव (आईटी), तमिलनाडु
- डॉ. पवन बक्शी, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
- श्री के.पी. विनोद, प्रबंध निदेशक, नज फाउंडेशन
- डॉ. टीना जॉर्ज करिप्पचेरिल, वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञ, विश्व बैंक

सत्र 3: डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आधार उपयोग का विस्तार

वक्ता-:

- डॉ. राम सेवक शर्मा, सीईओ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण
- श्री अभिषेक सिंह, अध्यक्ष और सीईओ, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन
- श्री दिलीप एसबे, एमडी और सीईओ, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
- श्री सुजॉय बोस, एमडी और सीईओ, एनआईआईएफ
- श्री विजय शेखर शर्मा, संस्थापक- वन97 और पेटीएम

सत्र 4: विश्वसनीय डिजिटल पहचान - सूचना सुरक्षा को परिनियोजित करना

वक्ता-:

- प्रोफेसर जयदीप श्रीवास्तव, प्रोफेसर, मिनेसोटा विश्वविद्यालय, अमेरिका
- डॉ. नीता वर्मा, डीजी, एनआईसी
- श्री ब्रिजेश सिंह, एडीजी, महाराष्ट्र पोलिस
- श्री आनंद प्रकाश, पिंगसेफ
- श्री जितेन जैन, वॉइजर इंफोसेक

सत्र 5: एक अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल पहचान मानक के रूप में आधार

वक्ता-:

- श्री माइकल रुत्कोव्स्की, सामाजिक सुरक्षा एवं आजीविका हेतु वैश्विक निदेशक, विश्व बैंक
- डॉ. जोसफ जे. एटिक, कार्यकारी अध्यक्ष, आईडी4 अफ्रीका
- श्री नवीन सूर्या, अध्यक्ष (गैर-कार्यकारी), फिनटेक कनवर्जेंस काउंसिल
- श्री संजय जैन, पार्टनर, भारत इनोवेटिव फंड
- श्रीमती दीप्ति दत्त, हैड - स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव, अमेजन

सत्र 6: डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के विधिक पहलू

वक्ता-:

- न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी (सेवानिवृत)
- डॉ. राजेन्द्र कुमार, भा.प्र.सेवा, अपर सचिव, एमईआईटीवाई

- डॉ. अर्घ्य सेनगुप्त, संस्थापक और अनुसंधान निदेशक, विधि
- श्रीमती एन एस नैपिनई, अधिवक्ता संस्थापक साइबर साथी
- डॉ ललितेश कटरेगेड्डा, संस्थापक, इंडियन

सत्र 7: सार्वभौमिक प्रमाणीकरण के रूप में स्मार्ट डिवाइस

वक्ता-:

- डॉ. रजत मूना, निदेशक आईआईटी भिलाई
- प्रो. श्रीराम गनपति, आईआईएससी, बेंगलुरू
- श्री. देब ज्योति घोस, वीजा
- प्रो. विक्रम एम. गर्डे, आईआईटी बॉम्बे
- श्री विजय पुज्जिनी, प्रधान सलाहकार, भाविपप्रा
- श्री सचिन कलंत्री, वरिष्ठ निदेशक, क्वालकॉम

सत्र 8: आधार में नई प्रौद्योगिकी को अंगीकरण

वक्ता-:

- डॉ. आनंद देशपांडे, अध्यक्ष, पर्सिसटेंट सिस्टम
- डॉ. मनिन्द्र अग्रवाल, आईआईटी कानपुर
- श्री राजेश बंसल, सीईओ, आरबीआई इनोवेशन हब
- प्रो. अनिल जैन, मिशीगन स्टेट यूनिवर्सिटी, अमेरिका
- डॉ. अनूप नम्बोदरी, आईआईटी, हैदराबाद
- श्री महेश रमामूर्ति, सीआईओ, यश बैंक

समापन सत्र निम्न द्वारा संबोधित:

- श्री राजीव चंद्रशेखर, माननीय राज्य मंत्री, एमईआईटीवाई
- डॉ. बिबेक देबरॉय, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री आर्थिक परिषद
- श्री अजय प्रकाश साहनी, सचिव, एमईआईटीवाई
- श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग
- ले.जनरल. (डॉ.) राजेश पंत, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक

आधार कार्यशाला 2.0 के एक सत्र के दौरान भाविपप्रा के सीईओ, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और श्री अजय साहनी, सचिव एमईआईटीवाई के साथ

आधार कार्यशाला 2.0 का समापन सत्र

7.6 अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियां

7.6.1 आधार ऑन व्हील्सः निवासी अनुभव में संवर्धन के लिए, कोटक महिन्द्रा बैंक ने इनोवेटिव आधार ऑन व्हील्स संकल्पना को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। आधार ऑन व्हील्स अर्थात बैंक ने यूआईडीएआई के साथ मिलकर आधार ऑन व्हील्स सेवाएं शुरू करने की पहल की। प्रारंभिक उद्घाटन पुणे से किया गया था और यही सेवा अन्य महानगरों में भी शुरू की जा रही है।

कोटक महिन्द्रा बैंक का आधार ऑन व्हील्स

7.6.2 यूआईडीएआई को फरवरी, 2022 में इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

यूआईडीएआई को स्वच्छता पखवाड़ा का प्रथम पुरस्कार

7.6.3 भाविपप्रा को सभी 5 स्टार श्रेणीकृत भवनों में से गृहा परिषद द्वारा 10 दिसंबर, 2021 को गृहा के तहत 'अनुकरणीय प्रदर्शन' में प्रथम उपविजेता से पुरस्कार प्रदान किया गया। भाविपप्रा को अक्तूबर, 2020 से ही अगले पांच वर्षों के लिए 5 स्टार गृहा रेटिंग प्राप्त है।

'Exemplary Performance Award'

GRIHA COUNCIL

is pleased to acknowledge

Unique Identification Authority of India Headquarters Building, New Delhi

as

1st Runner-up

for exemplary performance

under

GRIHA for Existing Buildings

The GRIHA Event
10th December, 2021
New Delhi

Sanjay Seth
Chief Executive Officer
GRIHA Council

यूआईडीएआई को गृहा परिषद द्वारा अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए प्रथम उप-विजेता का प्रमाणपत्र

8. भावी योजनाएं

8.1 नामांकन और अद्यतन प्रभाग

8.1.1 नाविक के साथ एकीकरण: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अधिक सटीक और कुशल भू-संदर्भन कार्यक्षमता युक्त भाविपप्रा के एनरोलमेंट क्लाइंट मल्टी प्लेटफॉर्म (ईसीएमपी) उपकरणों के साथ नाविक (भारतीय नक्षत्र-मंडल के साथ नौवहन) रिसीवर के एकीकरण के लिए और नामांकन मशीन जीपीएस सिंक मामलों को सुप्रवाही बनाने के संबंध में इसरो के साथ सहयोग कर रहा है। मौजूदा जीपीएस उपकरण अक्षांश और देशांतर डेटा प्रदान करते हैं। हालांकि, तटीय/सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेषकर द्वीपों में उपकरणों के लिए सटीकता कम है, जिसके परिणामस्वरूप बेमेल/अपूर्ण लैट-लोंग डेटा के कारण पैकेट स्वतः अस्वीकृत हो जाते हैं। नाविक रिसीवर अक्षांश और देशांतर की पहचान के लिए आईआरएस उपग्रह नक्षत्र-मंडल का उपयोग करते हैं। ये उपकरण दो मॉडलों में उपलब्ध हैं - तारयुक्त और तारहित, जो नामांकन ऑपरेटरों को संचालन में सुलभता प्रदान करता है। इन उपकरणों को मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। लैट-लोंग विवरण में सटीकता का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर नाविक रिसीवर पायलट परीक्षण के अधीन हैं। सफल परीक्षण के उपरांत, नाविक रिसीवरों के एकीकरण को चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रव्यापी रूप से लागू किया जाएगा।

8.1.2 भुवन-आधार पोर्टल: भाविपप्रा-इसरो सहयोग के अंश के रूप में, भुवन-आधार पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव है, जो पूरे भारत में आधार केंद्रों और स्थान की जानकारी प्रदान करेगा। यह पोर्टल निवासी के वास्तविक समय स्थान और अन्य आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित आधार केंद्रों को स्थान के अनुसार खोजने की सुविधा प्रदान करेगा। भुवन मंच प्राकृतिक रंगीन उपग्रह छवियों को हाई रिजॉल्यूशन पृष्ठभूमि के साथ, आधार केंद्रों के लिए संपूर्ण भौगोलिक सूचना भंडारण, पुनर्प्राप्ति, विश्लेषण और रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करेगा। आवेदन नियमित सांविधिक निरीक्षण को सक्षम करने के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाओं में सुधार के लिए मौजूदा और नए नामांकन केंद्रों से संबंधित डेटा के संग्रह और भंडारण की सुविधा भी प्रदान करेगा। ऑनलाइन विजुअलाइजेशन सुविधा के साथ-साथ केंद्रों के बारे में निवासियों के लिए सटीक जानकारी सुनिश्चित करने के संबंध में एकत्रित डेटा को गुणवत्ता के लिए मॉडरेट किया जाएगा।

8.1.3 त्वरित मूल्यांकन प्रणाली (आरएएस) के साथ एकीकरण: आधार पीवीसी कार्ड सुविधा का लाभ उठाने संबंधी अपने अनुभव पर निवासियों के फीडबैक को सुगम बनाने के लिए भाविपप्रा के साथ एमईआईटीवाई (एनईजीडी) के आरएएस प्लेटफॉर्म का एकीकरण पहले ही पूर्ण किया जा चुका है। अब माई-आधार पोर्टल के माध्यम से आधार अपडेशन सुविधा के साथ आरएएस एकीकरण का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

8.1.4 ऑन-डिमांड और गृह-आधारित नामांकन और अपडेट के लिए जल्द ही गृह नामांकन नीति शुरू की जा रही है। साथ ही, भविष्य में गैर-सहायता प्राप्त एसएसयूपी/मेरा-आधार पोर्टल पर एचओएफ डेटा के आधार पर परिवार के सदस्यों का पता अद्यतन किया जा सकता है।

8.1.5 जन्म और मृत्यु पर आरजीआई डेटा के साथ आधार डेटा की मैपिंग की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

8.2 अधिप्रमाणन प्रभाग

8.2.1 फिंगरप्रिंट मिनुशिया रिकॉर्ड (एफएमआर) - फिंगरप्रिंट इमेज रिकॉर्ड (एफआईआर) सिंगल पीआईडी ब्लॉक में कार्यान्वयन: आधार प्रमाणीकरण को अधिक सुरक्षित बनाने और फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के जीवंत गुणों में संवर्धन करने के लिए, भाविपप्रा ने एकल पीआईडी ब्लॉक (व्यक्तिगत पहचान ब्लॉक) में एफएमआर-एफआईआर की सुविधा शुरू की है। एकल पीआईडी ब्लॉक अवधारणा को लागू करने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, आधार समर्थित भुगतान प्रणाली और निवासियों के लिए अन्य आधार एप्लिकेशन में धोखाधड़ी

गतिविधियों को समाप्त करना तथा प्रमाणीकरण को अधिक सुरक्षित और जीवंतता पहचान को कुशल बनाना है। प्रमाणीकरण एपीआई में एक ही पीआईडी ब्लॉक में एफएमआर (फिंगर मिनुशिया रिकॉर्ड) - एफआईआर (फिंगर इमेज रिकॉर्ड) का उपयोग करके फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण अनुरोध भेजने का प्रावधान है। हालांकि, वर्तमान में अधिकांश संस्थाएं प्राथमिक रूप से फिंगरप्रिंट आधारित आधार प्रमाणीकरण के लिए एफएमआर का उपयोग कर रही हैं और कुछ केवल एफआईआर का उपयोग कर रही हैं। एफआईआर आधारित प्रमाणीकरण के दौरान, फिंगरप्रिंट छवियों की मौलिकता (जीवंतता) को मान्य करने के लिए भाविपप्रा के स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मॉडल द्वारा एफआईआर की छवि कुछ जांच चरणों से गुजरती है। फिंगरप्रिंट मिनुशिया रिकॉर्ड (एफएमआर) टेम्प्लेट का आकार लगभग 2-3 केबी है, हालाँकि एफएमआर-एफआईआर टेम्प्लेट के सिंगल पीआईडी ब्लॉक का औसत आकार 15-20 केबी होगा।

8.2.2 चेहरा प्रमाणीकरण: भाविपप्रा ने 15 अक्तूबर 2021 को चेहरा प्रमाणीकरण विधि को शुरू किया है, जिसके द्वारा आधार प्रमाणीकरण के साथ नंबर धारक की पहचान सत्यापित की जा सकती है। चेहरे का एक सफल प्रमाणीकरण यह पुष्टि करता है कि सत्यापन के लिए स्कैन किया जा रहा आपका प्रत्यक्ष चेहरा उस चेहरे से मेल खाता है, जिसे नामांकन के समय आपका आधार नंबर सृजन करते समय कैप्चर किया गया था। चेहरे का सफल चेहरा प्रमाणीकरण यह पुष्टि करता है कि आप वही हैं, जो आप होने का दावा करते हैं। चेहरा प्रमाणीकरण आरडी ऐप्प एक स्पर्शरहित एप्लिकेशन है, जो आधार प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसियों (एयूए) एप्लिकेशन को कैप्चर किए गए चेहरे की छवि के जरिए जीवंतता की पुष्टि करने के उपरांत किसी निवासी को प्रमाणित करने की सुविधा प्रदान करता है। निम्नलिखित सेवाओं के लिए आधिकारिक तौर पर चेहरा प्रमाणीकरण सेवा शुरू की गयी थी:

1. 'जीवन प्रमाण डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू)।
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए)
3. 'फ्रूट्स' फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफोर्मेशन सिस्टम के लिए सीईजी, कर्नाटक सरकार।

08 संस्थाओं को उत्पादन परिवेश में चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। अधिक प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम भागीदारों को चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग करने के लिए

प्रोत्साहित किया जाएगा। 15 अक्तूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक चेहरा प्रमाणीकरण संव्यवहार की कुल संख्या 1,77,138 है।

8.2.3 स्पर्शरहित बायोमेट्रिक समाधान: भाविपप्रा शारीरिक और व्यवहारिक बायोमेट्रिक्स, स्पर्शरहित फिंगरप्रिंट, हथेली के छाप के विभिन्न पहलुओं से युक्त स्पर्शरहित बायोमेट्रिक समाधान पर कार्य कर रहा है, जिसमें बायोमेट्रिक फील्ड पर कार्यरत उत्कृष्टता के विभिन्न एकेडेमिया स्मार्ट डिवाइस विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसका उपयोग आधार प्रमाणीकरण ईकोसिस्टम में सार्वभौमिक प्रमाणीकरण के रूप में किया जा सकता है।

स्पर्शरहित बायोमेट्रिक समाधान के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

1. मुख्य आवश्यकता फोन कैमरे के जरिए आसानी से बायोमेट्रिक्स कैप्चर करना और प्रमाणीकरण को सुगम बनाना है। धोखाधड़ी से बचने के लिए जीवंतता परम आवश्यकता है।
2. श्रेष्ठ प्रयोक्ता अनुभव और श्रेष्ठ प्रमाणीकरण सफलता दर।
3. कैप्चर में आसान, धोखाधड़ी में कठिन, और अधिग्रहण में एक स्मार्टफोन से ज्यादा कुछ नहीं।

8.2.4 प्रमाणीकरण एजेंसी के ढांचे और शासन की पुनर्संरचना का पता लगाया जा रहा है, ताकि आधार और इसके उपयोग के मामलों के आगे प्रसार के लिए इसे सरल बनाया जा सके। प्रयोक्ता सहमति प्रबंधन आर्किटेक्चर का भी विकास किया जा रहा है।

8.3 सीआरएम और संभारिकी प्रभाग

8.3.1 संभारिकी प्रभाग ने पता पुष्टि पत्र (एवीएल) सेवा शुरू करने की योजना बनाई है, ताकि निवासी आधार में पता दस्तावेज का कोई सूचीबद्ध प्रमाण न होने पर वे अपना पता ऑनलाइन अद्यतित कर सकें। यह पता अद्यतन पिन स्पीड पोस्ट द्वारा डाक विभाग के माध्यम से निवासी को सूचित किया जाएगा।

8.3.2 संभारिकी प्रभाग निवासियों को मुद्रित पत्र विधि के जरिए उनके आधार की स्थिति से अवगत कराने के लिए आधार स्थिति पत्र (एएसएल) सेवा को भी शुरू कर रहा है।

8.3.3 नये आधुनिक संपर्क केंद्र की अवसंरचना

1. **टू-बी-सीआरएम समाधान का कार्यान्वयन (मुक्त स्रोत):** वर्तमान में, भाविपप्रा निवासी शिकायतों का निपटान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट डाईनैमिक्स 2011 सीआरएम एप्लिकेशन (स्वामित्व अधीन सॉफ्टवेयर) का उपयोग कर रहा है।

   निवासियों को बेहतर तरीके से सुविधा प्रदान करने और आम जनता के प्रश्नों/शिकायतों को हल करने के लिए, भाविपप्रा जल्द ही ओपन सोर्स सीआरएम एप्लिकेशन (टू-बी सीआरएम सॉल्यूशन) पर स्विच करेगा। इस टू-बी समाधान में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मल्टी-चैनल का समर्थन करने की क्षमता होगी:

   - आवाज
   - ईमेल
   - वेब पोर्टल
   - सोशल मीडिया
   - वॉक इन
   - पत्र
   - चैट बॉट

2. **आईवीआरएस पोर्टों में वृद्धि:** वर्तमान में, भाविपप्रा के इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम के पास 485 आईवीआरएस पोर्ट उपलब्ध हैं, जो 485 रेजिडेंट कॉल एक साथ संभालने में सक्षम हैं।

   एक साथ ज्यादा कॉलों को संभालने की क्षमता में बढ़ोतरी करने और निवासियों की बेहतर संतुष्टि के लिए भाविपप्रा आईवीआरएस पोर्टों को 570 तक बढ़ाने की प्रक्रिया में है।

3. निवासियों को 1947 पर एसएमएस के जरिए शिकायत की स्थिति जानने में समर्थ बनानाः वर्तमान में, निवासी ईमेल के माध्यम से /1947 पर कॉल करकेअपनी शिकायतों की स्थिति की जांच कर सकते हैं। निवासियों की अधिक संतुष्टि के लिए, 1947 पर शॉर्ट कोड के जरिए एक एसएमएस भेजने के द्वारा शिकायत की स्थिति जांचने का प्रावधान किया जा रहा है।

8.4 सूचना सुरक्षा

8.4.1 मजबूत आपदा पुनरोद्धार पद्धति के लिए, व्यापार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) हेतु आईएसओ प्रमाणन का अनुसरण किया जा रहा है।

8.4.2 अधिक सुरक्षित प्रमाणीकरण के लिए एल1 प्रमाणीकरण उपकरण जल्द ही पेश किए जाएंगे। सॉफ्टवेयर स्तर पर उपकरणों का एल0 पंजीकरण पहले से ही मौजूद है।

8.4.3 भाविपप्रा सिस्टम को मजबूत करने के लिए बग बाउंटी कार्यक्रम आयोजित करने और एथिकल हैकिंग की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं।

8.5 प्रौद्योगिकी विकास

8.5.1 स्वामित्वाधीन समाधानों पर निर्भरता कम करने के लिए, आईआईआईटी हैदराबाद के सहयोग से स्वदेशी स्वचालित बायोमेट्रिक पहचान साधन(एबीआईएस) समाधान के प्रोटोटाइप का विकास किया जा रहा है। साथ ही, अनुसंधान प्रोटोटाइप के व्यावसायीकरण की संभावना का सक्रिय रूप से पता लगाया जा रहा है।

8.5.2 रजिस्ट्रार/भाविपप्रा द्वारा आधार केंद्रों के निरीक्षण को स्वचालित करने वाला एक निरीक्षण पोर्टल विकसित किया जा रहा है।

8.5.3 बायोमेट्रिक्स और आईडी समाधान जैसे क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान के लिए आईआईएससी, आईआईटी, सीएसआईआर आदि शिक्षाविदों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं; इस प्रकार आईडी सिस्टम के क्षेत्र में अग्रणी होने की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता है।

8.5.4 आंतरिक/बाह्य भागीदारों से युक्त शामिल करते हुए उत्पाद नवीनीकरण के लिए एक डेटा विज्ञान कार्य बेंच का सृजन किया जा रहा है।

8.5.5 अन्य बायोमेट्रिक्स जैसे आवाज, कान आदि के उपयोग के संबंध में एकल या बहु-कारक प्रमाणीकरण विधि के रूप में अनुसंधान किया जा रहा है।

8.5.6 ब्लॉकचैन-आधारित पहचान समाधान, आईओटी, गोपनीय कंप्यूटिंग, एआई-आधारित धोखाधड़ी विश्लेषण, प्रमात्रा-प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफिक समाधान आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान किया जा रहा है।

8.5.7 भाविपप्रा निजी क्लाउड को चालू करने की प्रक्रिया में है ताकि संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सके और सेवाओं की बेहतर तरीके से निगरानी की जा सके।

8.5.8 भविष्य में उन्नत डेटा केंद्रों में नामांकन/अद्यतन और प्रमाणीकरण क्षमताओं को बढ़ाने की योजना है। साथ ही, नए बायोमेट्रिक सेवा प्रदाताओं को भी जोड़ा जाएगा।

8.5.9 आधार को वैश्विक पहचान मानक में परिवर्तित करने की भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

8.6 मानव संसाधन और प्रशासन

8.6.1 नई प्रौद्योगिकियों/प्रक्रियाओं के क्षेत्रों में अनुसंधान/नवाचार के लिए भाविपप्रा में आंतरिक तकनीकी क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण हेतु वरिष्ठ तकनीकी संसाधनों की नियुक्ति करनाः

भाविपप्रा के तकनीकी पहलुओं के संबंध में पर्यवेक्षण, निगरानी और परामर्श के लिए और सीईओ, भाविपप्रा को सहायता और सलाह देने के लिए वरिष्ठ स्तर के संसाधन तथा तकनीकी पहलुओं पर वरिष्ठ प्रबंधन की आवश्यकता देखी गई है। नए एमएसआईपी/एमएसएपी की नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है। इसके अलावा, भाविपप्रा द्वारा सीधे प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेजों के परिसर से नियुक्त युवा पेशेवरों (वाईपी) के नियमित मार्गदर्शन के लिए भी मेंटर्स की आवश्यकता होती है।

उपरोक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए, एक मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी की अध्यक्षता में 15 उच्च अहर्ता प्राप्त संसाधनों के साथ सीटीओ संगठन के सृजन का कार्य जारी है। भाविपप्रा के सीटीओ संगठन को इसकी महत्वपूर्ण और जटिल प्रौद्योगिकी अवसंरचना एवं अनुप्रयोगों को तैयार करना और व्यवस्थित करना है। यह डिजिटल पहचान प्रबंधन, प्रमाणीकरण/ईकेवाईसी, एआई/एमएल, बायोमेट्रिक्स, सुरक्षा क्लाउड प्रौद्योगिकियों आदि के क्षेत्रों में नए प्रौद्योगिकी समाधानों का नवप्रवर्तन करेगा।

8.6.2 सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों और एनआईएसजी संसाधनों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निमार्णः

भाविपप्रा के अधिकारियों/कर्मचारियों और एनआईएसजी संसाधनों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने और अधिकारियों की क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए, एक प्रशिक्षण प्रकोष्ठ बनाया गया है और इस प्रयोजनार्थ एक प्रशिक्षण अधिकारी को नियुक्त किया गया है।

सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), नई दिल्ली से संकाय को आमंत्रित करके आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान कक्षा और ऑनलाइन विधि दोनों में नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सभी स्तरों के लिए तकनीकी प्रकृति के पाठ्यक्रमों सहित आईआईपीए, एनटीआईपीआरआईटी, एचआईपीए, सी-डैक जैसे अन्य प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जा रही है।

भाविपप्रा में कार्यरत सरकारी अधिकारियों और एनआईएसजी संसाधनों दोनों के लिए प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव भी सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

8.6.3 भाविपप्रा ने लखनऊ (उत्तर प्रदेश) और गुवाहाटी (असम) में अपने स्वयं के कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए भूमि की खरीद की है और निकट भविष्य में नवनिर्मित कार्यालय परिसर को संक्रियात्मक कर दिया जाएगा।

8.6.4 भाविपप्रा मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली के कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर हेतु एक परियोजना निर्माणधीन है। भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा 02.08.2018 को 2.0 एकड़ भूमि भाविपप्रा को आवंटित की गई थी और इसे 12.10.2018 को भाविपप्रा के सुपुर्द कर दिया गया था। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरांत, भाविपप्रा ने 15 अप्रैल,

2019 को परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) के लिए मैसर्स ईआईएल के साथ एक अनुबंध किया। उत्तर डीएमसी ने 12 नवंबर, 2020 को भवन योजना को मंजूरी दी और निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अंतिम सहमति मैसर्स ईआईएल को 13 नवंबर, 2020 को दी गई थी। निर्माण गतिविधियों को 13.11.2020 से शुरू किया गया था और परियोजना की संभावित पूर्णता तिथि 11.03.2023 है। इस परिसर में कुल 105 क्वार्टर बनाए जाने की योजना है, जिसमें टाइप VIII-1, टाइप VI -9, टाइप V -24, टाइप-IV -20, टाइप III/II -51 क्वार्टर शामिल हैं।

8.6.5 भाविपप्रा मुख्यालय भवन के लिए फाइव स्टार गृहा रेटिंग (फाइनल): राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भाविपप्रा मुख्यालय का भवन एक अत्याधुनिक इमारत है और आरंभ में इसे 2018 में गृहा (ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट) परिषद द्वारा पांच स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया था। परिषद ने 2020 में भाविपप्रा मुख्यालय भवन का फिर से ऑडिट किया है और 12-10-2020 को भवन को फाइव स्टार गृहा रेटिंग (अंतिम) पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो भवन की पिछली रेटिंग अर्थात 12-10-2020 की तारीख से पांच वर्ष के लिए वैध है।

गृहा द्वारा भाविपप्रा मुख्यालय भवन को 5 स्टार रेटिंग के लिए प्रमाणपत्र

9. वित्तीय कार्य-निष्पादन

9.1 भाविपप्रा निधि

9.1.1 भारत के लिए डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क पर न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार, भाविपप्रा की वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए एक अलग भाविपप्रा निधि का गठन किया गया था। आधार अधिनियम, 2016 में संशोधन के द्वारा निधि का गठन किया गया था। भाविपप्रा निधि के संबंध में आधार अधिनियम (यथा संशोधित) की धारा 25 इस प्रकार है:

''25(1) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि नामक एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित को जमा किया जाएगा-

(क) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क और प्रभार; तथा

(ख) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियां, जिनका निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए होगा-

(क) अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को या उनके संबंध में देय वेतन, भत्ते और पेंशन भी है; तथा

(ख) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए व्यय।''

9.2 बजट एवं व्यय

9.2.1 भाविपप्रा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) से सहायता अनुदान (जीआईए) के तीन शीर्षों में नामतः सहायता अनुदान - सामान्य, सहायता अनुदान - पूंजीगत और सहायता अनुदान - वेतन के तहत प्राप्त करता है। बीई/आरई के अंतर्गत बुक किए गए व्यय का विवरण तालिका -11 में देखा जा सकता है तथा वित्त वर्ष 2021-22 के बजट और व्यय का सार तालिका-12 में दिया गया है।

9.2.2 वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भाविपप्रा का अनुमोदित बजट आकलन (बीई) और संशोधित आकलन (आरई) क्रमशः ₹600.00 करोड़ और ₹884.97 करोड़ था। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 2021-22 के लिए भाविपप्रा को अनुपूरक अनुदान के रूप में ₹680.00 करोड़ मंजूर किए। वर्ष के दौरान ₹1564.97 करोड़ (₹884.97 करोड़ + ₹680.00 करोड़) के कुल अनुदान के समक्ष ₹1564.54 करोड़ की राशि खर्च की गई।

9.2.3 वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1110.00 करोड़ रुपए के बजट आकलन (बीई) को मंजूरी दी गई।

9.2.4 भाविपप्रा में 01 जून, 2021 से ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत भाविपप्रा के बैंक खाते में अनुदान जारी करने के बजाय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) अब आरबीआई में हमारे खाते में टीएसए सिस्टम के माध्यम से अनुदान आवंटित कर रहा है।

तालिका 11 - बीई/आरई 2009 -10 से 2021 -22 के लिए बुक किये गए व्यय का विवरण

वर्ष	बजट आकलन (रुपए करोड़ में)	संशोधित आकलन (रुपए करोड़ में)	वास्तविक व्यय (रुपए करोड़ में)
2009-10	120.00	26.38	26.21
2010-11	1,900.00	273.80	268.41
2011-12	1,470.00	1,200.00	1,187.50
2012-13	1,758.00	1,350.00	1,338.72
2013-14	2,620.00	1,550.00	1,544.44
2014-15	2,039.64	1,617.73	1,615.34
2015-16	2,000.00	1,880.93	1,680.44
2016-17	1,140.00	1,135.27	1,132.84
2017-18	900.00	1,150.00	1,149.38
2018-19	1,375.00	1,345.00	1,181.86
2019-20	1,227.00	836.78	856.13@
2020-21	985.00	613.00	893.27#
2021-22	600.00	1,564.97*	1,564.54

@पिछले वर्ष के अव्ययित शेष से अतिरिक्त व्यय की पूर्ति की गई।
 # अतिरिक्त व्यय की पूर्ति पिछले वर्ष के अव्ययित शेष एवं भाविपप्रा की आय से की गई। वर्ष 2021-22 में जीआईए-पूंजी और जीआईए-वेतन के तहत शेष ₹13.04 करोड़ का अव्ययित अनुदान ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (टीएसए) प्रणाली के रूप में सीएफआई को प्रेषित किया गया।
**₹884.97 करोड़ के संशोधित आकलन के अलावा, एमईआईटीवाई ने 2021-22 के लिए पूरक अनुदान के रूप में भाविपप्रा को ₹680.00 करोड़ स्वीकृत किए गए।*

तालिका 12 - वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट और व्यय का सारांश

अनुदान शीर्ष	बीई 2021 -22 (₹ करोड़ में)	आरई 2021-22 (₹ करोड़ में)	अनुपूरक अनुदान (₹ करोड़ में)	कुल अनुदान (₹ करोड़ में)	31.03.2022 तक व्यय (₹ करोड़ में)	कुल अनुदान के संदर्भ में व्यय का %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
सहायता अनुदान -सामान्य	480.00	751.97	450.00	1,201.97	1,201.91	99.99%
सहायता अनुदान -पूंजीगत	75.00	85.00	230.00	315.00	315.00	100.00%
सहायता अनुदान -वेतन	45.00	48.00	0.00	48.00	47.63	99.22%
कुल सहायता अनुदान	**600.00**	**884.97**	**680.00**	**1,564.97**	**1,564.54**	**99.97%**

ग्राफ 12 - बीई/आरई 2015 -16 से 2021 -22 तक बुक किये गए व्यय का विवरण

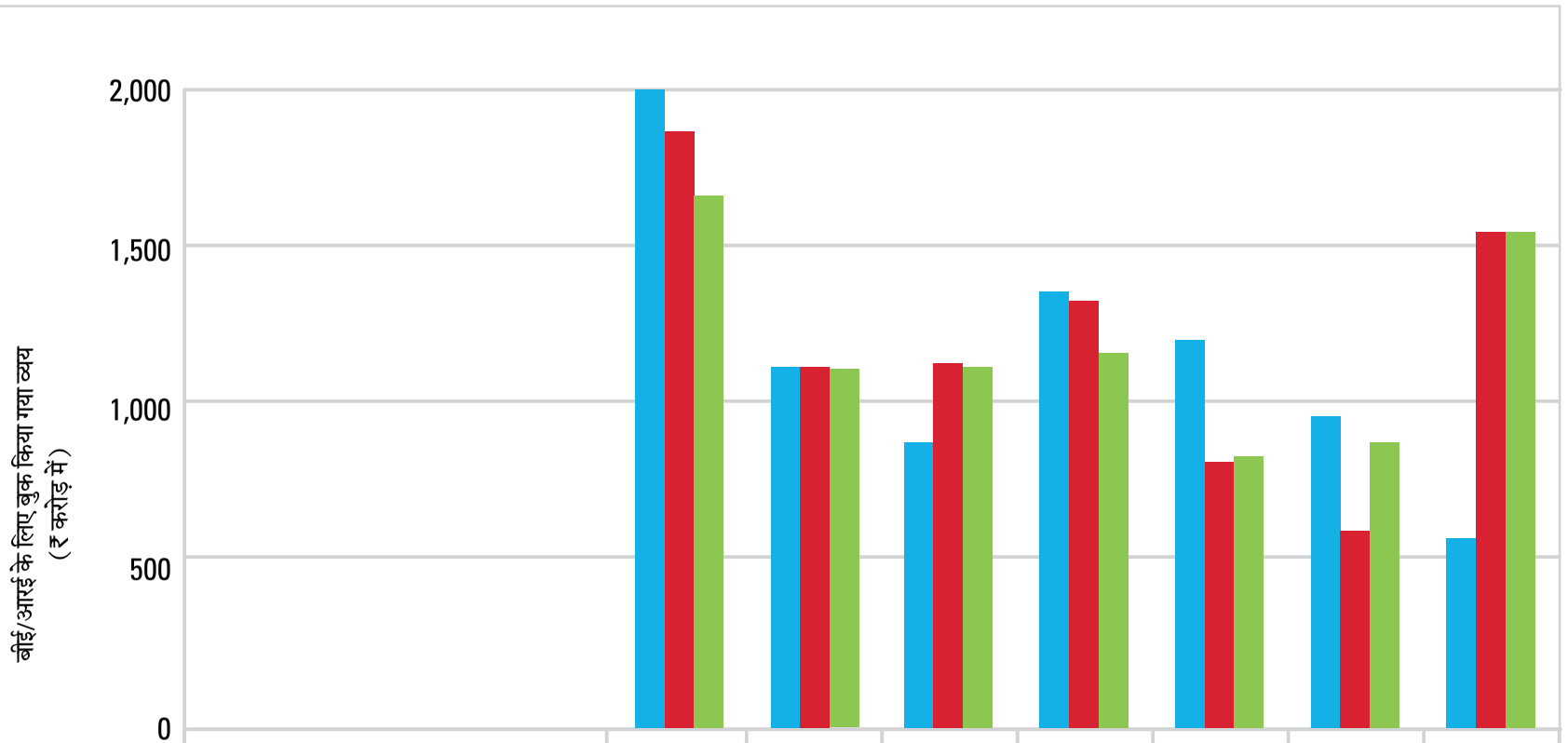

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बजट अनुमान (₹ करोड़ में)	2,000.00	1,140.00	900.00	1,375.00	1,227.00	985.00	600.00
संशोधित अनुमान* (₹ करोड़ में)	1,880.93	1,135.27	1,150.00	1,345.00	836.78	613.00	1,564.97
वयय (₹ करोड़ में)	1,680.44	1,132.84	1,149.38	1,181.86	856.13	893.27	1,564.54

**आरई 2021-22 में एम ई आईटी वाई से प्राप्त ₹680 करोड़ का पूरक अनुदान शामिल हैं।*

9.3 सेवाओं से आय

मार्च, 2019 के माह में, भाविपप्रा ने अधिप्रमाणन सेवा प्रयोक्ताओं की कुछ श्रेणियों के लिए हाँ/नहीं अधिप्रमाणन सेवा और ई-केवाईसी सेवाओं के लिए शुल्क लेना आरंभ किया। इसके अलावा, भाविपप्रा ने अपने आधार सेवा केंद्रों की शुरूआत की, जिसमें निवासी नामांकन और अद्यतन सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। पीवीसी कार्ड सेवा, स्व-सेवा अद्यतन पोर्टल (एसएसयूपी) और ब्याज आय भाविपप्रा की आय के अन्य प्रमुख स्रोत हैं। वर्ष 2021-22 में विभिन्न सेवाओं के द्वारा हुई आय को तालिका-13 में दशार्या गया है।

तालिका 13 - वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सेवाओं से हुई आय का विवरण

वर्ष	अधिप्रमाणन सेवाएं (₹ करोड़ में)	लाइसेंस फीस (₹ करोड़ में)	आधार सेवा केंद्र (₹ करोड़ में)	पीवीसी कार्ड (₹ करोड़ में)	एसएसयूपी (₹ करोड़ में)	ब्याज से आय (₹ करोड़ में)	अन्य आय (₹ करोड़ में)	कुल (₹ करोड़ में)
2021-22	246.84	34.71	24.89	13.76	49.86	17.17	0.18	**387.41**

ग्राफ 13 - वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सेवाओं से हुई आय का विवरण

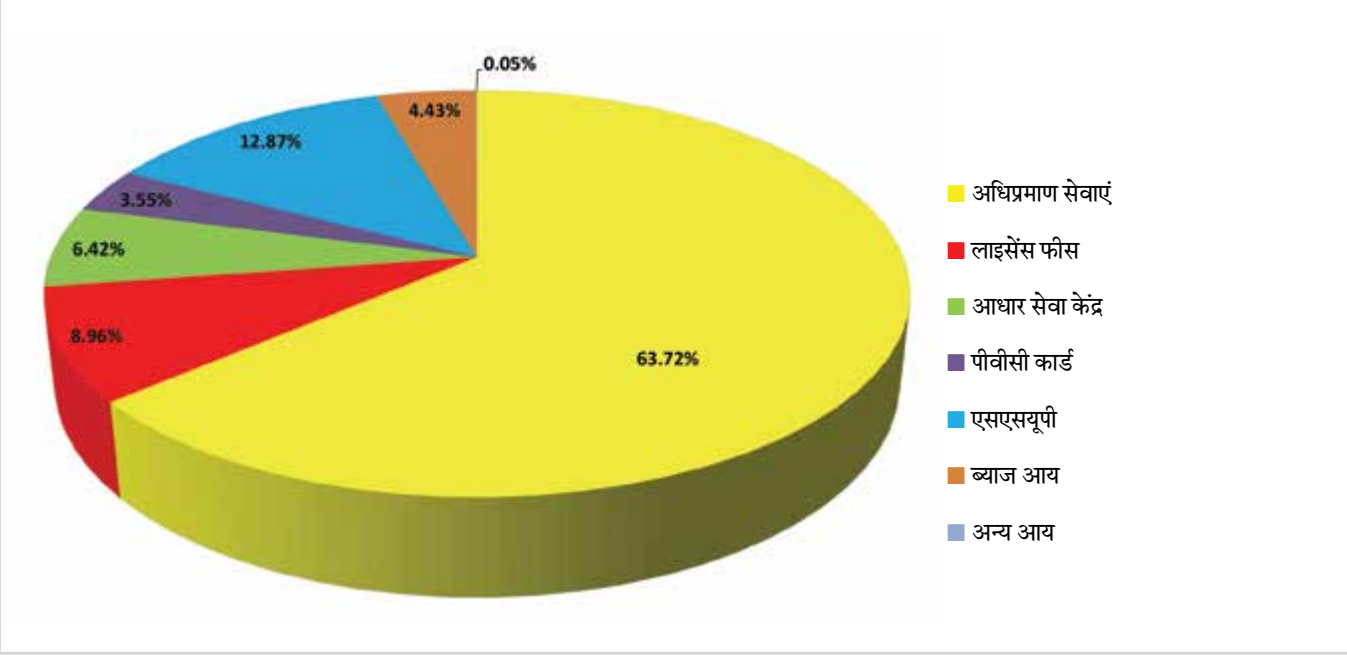

10. वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का लेखापरीक्षित विवरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने, 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के संलग्न तुलन-पत्र और आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (आधार अधिनियम, 2016), की धारा 26 (2), आधार और अन्य कानून (संशोधित) अध्यादेश ,2019 (02 मार्च, 2019) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा/प्राप्तियों तथा भुगतान लेखों का लेखापरीक्षण किया है। ये वित्तीय विवरण भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकरण, लेखांकन की श्रेष्ठ परिपाटियों के अनुरूप, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां शामिल हैं। विधियों, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) के अनुपालन में वित्तीय लेन-देनों और दक्षता-सह-कार्यनिष्पादन पहलुओं इत्यादि, यदि कोई हो, के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार निष्पादित की है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा की योजना एवं उसका निष्पादन युक्तिसंगत परिणाम प्राप्त करने के लिए करें ताकि वित्तीय विवरण तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हों। लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणियों में दी गई राशि एवं प्रकटीकरण से संबंधित तथ्यों की जांच सम्मिलित है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों और सार्थक अनुमानों के आकलन के साथ-साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा, हमारी राय में, तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि:

i. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में आवश्यक थे।

ii. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा / प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा को, आधार अधिनियम, 2016 की धारा 26(1) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित 'लेखों का एकरूपी प्रपत्र' में तैयार किया गया है।

iii. हमारी राय में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा लेखा-बहियों और अन्य संबंधित अभिलेखों का रखरखाव उपयुक्त रूप से किया गया है।

iv. हम यह भी प्रतिवेदित करते हैं कि:

क तुलन-पत्र

1. **वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची 7)**

प्रावधान - 253,73,99,467.58 रुपए

निम्नलिखित व्ययों को शामिल न करने के कारण उपरोक्त शीर्ष को ₹15.50 करोड़ की राशि से कम आँका गया है:

क्र. सं.	विवरण	राशि (करोड़ रु. में)
i	मार्च, 2022 के महीने के लिए मानेसर यूनिट के एमटीएस सपोर्टिंग स्टाफ और हाउस कीपिंग सर्विसेज के लिए देय राशि (0.15 करोड़ रुपए) और डेटा सेंटर, बेंगलुरु में तैनात सीआईएसएफ के वेतन (1.00 करोड़ रुपए) के लिए देय वेतन।	1.15
ii	दिनांक 16.03.2022 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए आधार दस्तावेजों के मुद्रण और प्रेषण के लिए मैसर्स मणिपाल टेकनोलॉज़िज लिमिटेड को देय राशि।	1.36
iii	मैसर्स निंबस हार्बर फैसिलिटिज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, मानेसर डेटा सेंटर परिसर में सुविधा प्रबंधन सेवाओं को किराए पर लेने के संबंध में मार्च, 2022 माह के लिए शुल्क की देय राशि।	0.24
iv	मार्च, 2022 के महीने के लिए सीआईएसएफ कार्मिकों के लिए मानेसर डेटा सेंटर पर वाहन किराए पर लेने के संबंध में मैसर्स तानिया ट्रेवल लाइन्स को देय राशि।	0.02
v	31.03.2022 तक निर्माण प्रगति के समक्ष परियोजना प्रबंधन परामर्श शुल्क के लिए मैसर्स ईआईएल को देय राशि।	0.19
vi	वर्ष 2021-22 से संबंधित डेटा गुणवत्ता जांच सेवाओं के लिए मैसर्स राइटर बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को देय राशि।	4.62
vii	वर्ष 2021-22 से संबंधित डेटा गुणवत्ता जांच सेवाओं के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड को देय राशि।	4.63
viii	वर्ष 2021-22 के लिए शासन जोखिम अनुपालन और आश्वासन सेवा प्रदाता के लिए मैसर्स केपीएमजी को देय राशि।	1.28
ix	वर्ष 2021-22 के लिए डेटा सेंटर पर संस्थापित एचपी उपकरणों की ए एम सी के लिए मैसर्स हितैची सिस्टम माइक्रो क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड को देय राशि।	0.26
x	प्रौद्योगिकी केंद्र, बेंगलुरू के मार्च, 2022 महीने से संबंधित बिजली बिल के लिए देय राशि।	1.32
xi	वित्त वर्ष 2021-22 की चतुर्थ तिमाही (जनवरी, 2022 से मार्च, 2022) से संबंधित इंटरनेट सेवाओं के लिए टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को देय राशि।	0.43
कुल		**15.50**

इसके परिणामस्वरूप समान राशि से अधिशेष को भी बढ़ा दिया गया है।

2. अचल परिसंपतियां (अनुसूची 8)

प्रगतिरत कार्य पूंजी - 63,99,93,578.83 रुपए

उपरोक्त शीर्ष को निम्नलिखित के कारण 1.18 करोड़ रुपए की राशि से कम करके आंका गया है-

i. वर्ष 2021-22 के दौरान डिजिटल फोरेंसिक लैब की स्थापना के समक्ष किए गए 0.47 करोड़ रुपए के व्यय का गैर पूंजीकरण।

ii. आधार नामांकन और अद्यतन केंद्रों और पुलिस सत्यापन पोर्टल एवं आवेदन के लिए ऑनलाइन नियुक्ति बुकिंग पोर्टल विकसित करने की दिशा में मैसर्स टैरेंटो टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जुटाए गए 0.71 करोड़ रुपए के चालान को हिसाब में नहीं लिया गया।

परिणामस्वरूप इस राशि से चालू देनदारियों को भी कम करके दर्शाया गया है।

ख. आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियाँ (अनुसूची 26)

i. आकस्मिक देयताएं

जीवन भारती भवन, नई दिल्ली की तीसरी मंजिल के परिसर के किराए संबंधी, मैसर्स एलआईसी द्वारा उठाई गई मांग को शामिल न करने के कारण उपरोक्त शीर्ष को 5.92 करोड़ रुपए कम करके दर्शाया गया है।

ii. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

डिजिटल फोरेंसिक लैब की स्थापना के लिए अनुबंध से संबंधित राशि को शामिल न करने के कारण उपरोक्त शीर्ष को 1.46 करोड़ रुपए की राशि से कम करके आंका गया है।

ग. अनुदान सहायता

वर्ष के दौरान प्राप्त 1578 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष के 13.03 करोड़ रुपए के अव्ययित शेष सहित) के सहायता अनुदान में से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 1564.54 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया, शेष 13.46 करोड़ रुपए को 31 मार्च, 2022 को अप्रयुक्त अनुदान के रूप में छोड़ दिया गया।

v. पिछले अनुच्छेदों में की गई हमारी टिप्पणियों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र तथा आय एवं व्यय विवरण के साथ लेखा/प्राप्तियों और भुगतान खाता लेखा-बही के अनुरूप हैं।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, तथा उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों और इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-।** में उल्लिखित मामलों के अध्यधीन, एक वास्तविक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और ये भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं:

क. जहां तक यह तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के कार्यों की स्थिति से संबंधित है; और

ख. जहां तक यह उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखों में हुई कमी से संबंधित है।

कृते भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
एवं उनकी ओर से
ह0/-
(रोली शुक्ला माल्गे)
प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

स्थानः दिल्ली
दिनांक : 03.11.2022

वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में आंतरिक नियंत्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वार्षिक खातों के प्रमाणीकरण के दौरान किया गया आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है: -

संगठनात्मक व्यवस्था

प्राधिकरण में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष अंशकालिक आधार पर, दो अंशकालिक सदस्य और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल है, जो प्राधिकरण के सदस्य सचिव रहेंगे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रमुख प्रबंधकीय पद इस प्रकार हैं: -

अध्यक्ष	रिक्त
भाविपप्रा के अंशकालिक सदस्य	**डॉ. आनंद देशपांडे**
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)	**डॉ. सौरभ गर्ग**, भा.प्र.से.

मुख्यालय व्यवस्था

मुख्यालय में, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सहायतार्थ पांच उपमहानिदेशक, भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी, नियुक्त हैं, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय) के विभिन्न प्रभागों के प्रभारी अधिकारी हैं। उपमहानिदेशकों के सहायतार्थ निदेशक स्तर के अधिकारी, उप निदेशक, अनुभाग अधिकारी और सहायक अनुभाग अधिकारी नियुक्त हैं। मुख्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के कुल 134 स्वीकृत पद हैं।

क्षेत्रीय कार्यालयों की व्यवस्था

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आठ क्षेत्रीय कार्यालयों में से प्रत्येक का नेतृत्व उपमहानिदेशक (डीडीजी) स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है और उनके सहायतार्थ निदेशक, उप निदेशक, अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, लेखाकार और व्यक्तिगत कर्मचारी नियुक्त हैं।

वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

सभी सक्षम प्राधिकारियों को विभिन्न कार्यालय आदेशों/ज्ञापनों के अनुसार उन्हें सौंपी गई प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्ति का प्रयोग करना होता है।

नीतियां एवं क्रियाविधि

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2020 दिनांक 21.01.2020 की राजपत्र अधिसूचना के तहत जारी किया गया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने राजपत्र अधिसूचना के उपरांत विभिन्न रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा है, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के भर्ती नियमों में भर्ती का एक परिभाषित माध्यम है।

आमेलन के संबंध में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने अधिसूचना जारी होने के तुरंत बाद 29.01.2020 को स्थायी आमेलन के लिए कार्मिकों से आवेदन मांगे थे। हालांकि, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में आमेलन के उपरांत आमेलन देय और पेंशन के संबंध में अधिकारियों से आमेलन के समय प्राप्त वेतन निर्धारण तथा पेंशन के अभ्यावेदनों के आधार पर, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा तथा अपर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति ने अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लिया जा रहा है और तत्पश्चात आगामी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

नकद की प्राप्ति और संवितरण

नकदी की प्राप्ति और उसके संवितरण से संबंधित कार्य को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जाता है। रोकड़ बही खजांची की अभिरक्षा में रहती है तथा नकदी का नियमित रूप से भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। नकदी शेष की अधिकतम

सीमा (50,000 रुपए), प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित निदेशों के अनुसार किया जा रहा है।

निधियों का रखरखाव (योजना/गैर-योजना)

सांविधिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित होने से पूर्व अर्थात 2016-17 तक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण तत्कालीन योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग) की दिनांक 28 जनवरी, 2009 की राजपत्र अधिसूचना सं. ए-4301/02/2009-प्रशा.क के तहत आयोग के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था। तत्पश्चात, 12 सितंबर, 2015 को, सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को तत्कालीन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) के साथ अटैच करने के लिए कार्य आबंटन नियमावली को संशोधित किया।

वित्त वर्ष 2021-22 में, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को केंद्र सरकार से ₹1564.97 करोड़ (वेतन- ₹48.00 करोड़ + पूंजीगत- ₹315.00 करोड़ + सामान्य ₹1201.97 करोड़) का अनुदान प्राप्त हुआ।

नकद की प्राप्तियाँ एवं प्राप्य / संवितरण

सक्षम प्राधिकारियों के सभी स्वीकृतियों, जो भुगतान हेतु लेखा प्रभाग को अग्रेषित की जाती हैं, की विद्यमान नियमों/ आदेशों, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन, आबंटन योग्य लेखा शीर्ष के तहत निधियों की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में जांच की जाती है और तदनुसार भुगतान के लिए अंतिम आदेश जारी किए जाते हैं।

कार्मिकों को वेतन रोल/ऋण और अग्रिम

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के कर्मचारियों के वेतन रोल/ऋण और अग्रिम तैयार किए जा रहे हैं और उनका भुगतान किया जा रहा है।

बैंक शेष/बैंक मिलान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से बैंक मिलान विवरण का रखरखाव किया जाता है।

अचल परिसंपत्तियां

अचल संपत्तियों के रजिस्टरों का रखरखाव केवल कम्प्यूटरीकृत रूप में किया जाता है। साथ ही, वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय की परिसंपत्ति का भौतिक सत्यापन अप्रैल 2022 के महीने के दौरान किया गया था।

ह0/-
(रोली शुक्ला माल्गे)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

स्थानः दिल्ली
दिनांक : 03.11.2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक-I

हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार लेखापरीक्षा की सामान्य कार्यप्रणाली में लेखा बहियों और अभिलेखों की जांच की गई तथा अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास में, हम यह भी प्रतिवेदित करते हैं कि:

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

उपमहानिदेशक (वित्त) के नेतृत्व में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का वित्त प्रभाग, आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए निर्दिष्ट प्रभाग है। वित्त प्रभाग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, मुख्यालय के प्रभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है और लेखापरीक्षा हेतु टीम का गठन करता है। लेखापरीक्षा टीम में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों को सम्मिलित किया जाता है। ये लेखापरीक्षा टीमें संबंधित कार्यालयों/प्रभागों का दौरा करती हैं और इन प्रभागों/कार्यालयों की लेखापरीक्षा करती हैं। लेखापरीक्षा करने के उपरांत, लेखापरीक्षा टीम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय के वित्त प्रभाग को आवश्यक आगामी कार्रवाई करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग ने क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (फरवरी, 2021 से फरवरी, 2022 की अवधि के लिए) की 7 मार्च, 2022 से 11 मार्च, 2022 तक आतंरिक लेखापरीक्षा की और मानेसर डेटा सेंटर (फरवरी 2021 से जनवरी 2022 की अवधि के लिए) की 14 फरवरी, 2022 से 18 फरवरी, 2022 तक आंतरिक लेखापरीक्षा की तथा 2021-22 की अवधि के लिए मुख्यालय और शेष क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में भी आंतरिक लेखापरीक्षा की गई।

(क) आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य और प्रकार्य धन परिप्रेक्ष्य के महत्व को परिवेष्टित करता है, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं के आर्थिक मूल्यांकन, उनकी कार्यकुशलता और प्रभावशीलता मानदंडों के मूल्यांकन की आवश्यकता शामिल है। तदनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा योजनाएँ तैयार की जाती हैं और आंतरिक लेखापरीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। हालांकि, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में विद्यमान परिस्थितियों के विशेष संदर्भ में, संगठन के कार्यों और प्रकार्यों को विनिर्दिष्ट करने के लिए कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली नहीं है।

आंतरिक लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (मुख्यालय) और उसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों/अभिलेखों/रजिस्टरों/अनुबंधों की जांच करना और तंत्र की प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए तंत्र की अपेक्षित जांच और नियंत्रण के संबंध में सुझाव देना है।

(ख) आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रमात्रा और आवृत्ति

आंतरिक लेखापरीक्षा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय सहित क्षेत्रीय कार्यालयों में अनुरक्षित सभी लेखा अभिलेखों की सामान्य समीक्षा करती है। मुख्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में, व्यय और आधारभूत प्रक्रिया एवं क्रियाविधियों की लेखापरीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रौद्योगिकी केंद्रों की आंतरिक लेखापरीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करने पर यह देखा गया है कि वर्ष 2021-22 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बकाया पैरा की संख्या 106 है।

(ग) प्राप्तियों की जांच करना

आंतरिक लेखापरीक्षा यह देखने के लिए नमूना जांच करती है कि क्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सभी राजस्व प्राप्तियों और धन-वापसी संग्रहण और लेखांकन पर प्रभावी जांच के लिए पर्याप्त नियम और प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं और उनका सही ढंग से पालन किया है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में आंतरिक नियंत्रण पर संक्षिप्त टिप्पणी इसके साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

3. अचल परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

अचल संपत्तियों के रजिस्टरों का रखरखाव केवल कंप्यूट्रीकृत रूप में किया जाता है। साथ ही, वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय की अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन अप्रैल 2022 महीने के दौरान किया गया था। इसके अलावा, क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

4. सामान-सूची की भौतिक सत्यापन प्रणाली

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में किसी सामान-सूची का रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण सांविधिक देय राशियों के भुगतान में तत्पर है। लेखा संबंधी टिप्पणियों में कोई भी मामला नहीं पाया गया सभी मामलों का पहले से (अनुसूची 26) में प्रकटीकरण किया गया।

ह0/-
(रोली शुक्ला माल्गे)
प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

स्थानः दिल्ली
दिनांक : 03.11.2022

फार्म-क

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
	देयताएं			
1	समग्र /पूंजीगत निधि	1	10,59,19,84,576.55	9,68,09,80,269.09
2	भाविपप्रा निधि	1 क	9,00,45,15,114.01	4,30,76,03,570.83
3	आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
4	निर्धारित/अक्षय निधि	3	-	-
5	प्रतिभूत ऋण और उधारी	4	-	-
6	अप्रतिभूत ऋण और उधारी	5	-	-
7	आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
8	वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	4,89,85,31,937.84	2,67,71,47,220.05
	योग		**24,49,50,31,628.40**	**16,66,57,31,059.97**
	आस्तियां			
1	अचल आस्तियां	8	9,82,71,72,902.78	7,00,08,60,697.88
2	निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश	9	-	-
3	अन्य निवेश	10	-	-
4	वर्तमान आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	11	14,66,78,58,725.62	9,66,48,70,362.09
5	विविध व्यय (उस सीमा तक जहां उसे बट्टे खाते में डाला या समायोजित नहीं किया गया है)		-	-
	योग		**24,49,50,31,628.40**	**16,66,57,31,059.97**
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	25		
	आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियाँ	26		

नोटः- *तुलन पत्र की सभी अनुसूचियां खाते का अंश होंगी।*

ह0/-	ह0/-	ह0/-
निदेशक (लेखा)	**उपमहानिदेशक**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**

दिनांक : 02/07/2022
स्थानः नई दिल्ली

फार्म-ख

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
	आय			
1	सेवाओं से आय	12	3,75,68,00,204.41	2,34,44,90,623.50
2	अनुदान/सब्सिडी	13	12,49,53,55,286.29	8,45,46,42,545.89
3	शुल्क/अभिदान	14	34,71,35,867.50	30,20,55,278.00
4	निवेश से आय निधि में अंतरित निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय)	15	-	-
5	रॉयल्टी,प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
6	अर्जित ब्याज	17	17,17,01,577.00	9,68,08,889.33
7	अन्य आय	18	54,78,58,972.46	48,06,03,978.06
8	तैयार सामग्रियों और प्रगतिरत कार्य के स्टॉक में वृद्धि/ (कमी)	19	-	-
	योग (क)		**17,31,88,51,907.66**	**11,67,86,01,314.78**
	व्यय			
1	स्थापना व्यय	20	50,58,39,183.00	44,28,91,834.00
2	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	48,09,91,127.52	47,74,02,497.81
3	परिचालन व्यय	22	11,29,70,78,697.68	7,67,66,44,708.06
4	अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	23	-	-
5	ब्याज	24	-	-
6	मूल्यह्रास (साल के अंत में नेट योग - अनुसूची-8 के तदनुरूप)		91,46,99,971.27	1,34,67,49,615.82
	योग (ख)		**13,19,86,08,979.47**	**9,94,36,88,655.69**
	व्यय पर आय के अतिरिक्त शेष राशि (ग) = (क-ख)		**4,12,02,42,928.19**	**1,73,49,12,659.09**
	पूर्व अवधि व्यय (घ)		1,12,15,67,821.70	3,82,75,24,021.36

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
	पूर्व अवधि आय (ङ)		81,79,408.52	15,05,453.72
	पूर्व अवधि के अन्य समायोजन (च)		-	16,12,13,015.75
	भाविपप्रा निधि को हस्तांतरण (छ)		**4,82,34,96,621.37**	**3,22,39,58,768.89**
	विशेष आरक्षित में हस्तांतरण(प्रत्येक को विनिर्दिष्ट करें)		-	-
	सामान्य आरक्षित से/ को हस्तांतरण		-	-
	अधिशेष के तौर पर शेष/ (घाटा) समग्र निधि को अग्रेणीत (ज)		**(1,81,66,42,106.36)**	**(5,15,38,51,661.69)**
	ज = (ग - घ + ङ+ च - छ)			
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	25		
	आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां	26		

नोटः- *आय और व्यय खाते की सभी अनुसूचियां खाते का अंश होंगी।*

ह0/-	ह0/-	ह0/-
निदेशक (लेखा)	**उपमहानिदेशक**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**

दिनांक : 02/07/2022
स्थानः नई दिल्ली

फार्म-ग

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	प्राप्तियाँ		
1	प्रारंभिक शेष		
	क. नकदी शेष	18,79,114.00	12,19,210.00
	ख. बैंक शेष		
	i. चालू खातों में	1,49,83,50,692.02	32,95,07,112.41
	ii. जमा खातों में	4,13,35,80,304.74	4,95,10,04,686.72
	iii. बचत खाते	-	-
	iv. अन्य समायोजन	-	-
2	प्राप्त अनुदान / सब्सिडी		
	क. भारत सरकार से		
	i. अनुदान सहायता : सामान्य	12,01,97,00,000.00	5,31,00,00,000.00
	ii. अनुदान सहायता : वेतन	48,00,00,000.00	47,00,00,000.00
	iii. अनुदान सहायता : पूंजी	3,15,00,00,000.00	35,00,00,000.00
	ख. राज्य सरकार से	-	-
	ग. अन्य सूत्रों से (विवरण) (पूंजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदान अलग से दिखाया जाए)	-	-
3	सेवाओं से आय	4,89,52,94,496.23	2,72,00,72,640.55
4	निवेश से आय		
	क. निर्धारित/अक्षय निधि	-	-
	ख. स्व निधि (अन्य निवेश)	52,82,21,20,292.74	23,86,03,35,866.00
5	प्राप्त ब्याज		
	क. बैंक जमा राशियों पर	9,01,77,176.37	13,57,47,065.07
	ख. ऋण,अग्रिम आदि	81,96,137.50	36,88,581.00
	ग. अन्य	91,69,330.00	7,28,766.00
6	अन्य आय (निविदा शुल्क, आरटीआई शुल्क आदि)	8,92,621.87	7,04,544.00
7	उधार ली गई राशियाँ	-	-

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
8	अन्य प्राप्तियाँ (ब्योरा दें)		
	क. एनपीएस	-	-
	ख. छुट्टी वेतन पेंशन अंशदान	-	-
	ग. प्रतिभूति /जमा बयाना राशि/ नकदीकृत बैंक गारंटी	2,10,003.00	5,73,71,565.00
	घ. अग्रिमों की वापसी		
	i. गृह निर्माण अग्रिम	-	-
	ii. कार अग्रिम	-	-
	iii. मोटर साईकिल/ स्कूटर अग्रिम	-	-
	iv. कंप्यूटर अग्रिम	-	-
	v. अन्य अग्रिम	5,17,262.00	3,52,568.00
	vi. एलटीसी	6,81,355.00	4,61,746.00
	vii. सामान्य कार्यालय व्यय	3,26,066.00	2,32,003.00
	ङ. आयकर	9,65,19,320.00	2,91,50,614.00
	च. सेवा कर	-	-
	छ. विविध प्राप्तियाँ	1,69,160.00	2,12,033.00
	ज. जीएसटी/टीडीएस	24,68,08,831.39	15,94,86,833.67
	झ. राज्य प्राधिकरणों द्वारा वापस किया गया अग्रिम	5,39,02,304.00	46,29,67,596.00
	ञ. ठेकेदारों द्वारा वापस किया गया अग्रिम	-	-
	ट. अन्य प्राप्तियाँ	42,237.12	7,77,514.02
	ठ. अर्थदंड एवं परिनिर्धारित नुकसानी	1,37,64,777.00	29,22,380.00
	ड. स्क्रैप की बिक्री	61,406.94	1,86,221.36
	ढ. क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त निधि	1,10,29,07,015.00	1,02,06,24,317.00
	ण. वेंडरों की रोकी गयी राशि	-	-
	त. कर्जदारों से प्राप्त अग्रिम	-	-
	योग	**80,62,52,69,902.92**	**39,86,77,53,862.80**
	भुगतान		
1	स्थापना व्यय	38,08,81,696.65	37,45,54,621.20
2	अन्य प्राशासनिक व्यय	50,14,90,569.66	52,63,08,515.11
3	परिचालन व्यय	9,92,95,23,253.60	6,26,49,14,794.66

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
4	विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि से भुगतान	-	-
5	किए गए निवेश और जमा राशि		
	क. निर्धारित/अक्षय निधि से	-	-
	ख. स्व-निधि से (निवेश - अन्य)	52,71,09,18,961.56	23,47,73,04,958.00
6	अचल आस्तियों और पूंजीगत प्रगतिरत कार्यों पर व्यय		
	क. अचल आस्तियों पर खरीद	2,75,10,77,439.00	52,47,10,787.00
	ख. पूंजीगत प्रगतिरत कार्यों पर व्यय	23,92,73,809.00	4,37,86,207.00
7	अधिशेष धन / ऋण की वापसी		
	क. भारत सरकार को	61,14,33,666.71	44,89,17,253.00
	ख. राज्य सरकार को	-	-
	ग. अन्य धन प्रदाताओं को	-	-
8	वित्त प्रभार (ब्याज)	-	-
9	अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
	क. एनपीएस	-	-
	ख. छुट्टी वेतन पेंशन अंशदान	5,24,52,331.00	1,78,68,450.00
	ग. जमा बयाना राशि (ईएमडी)	-	1,97,39,420.00
	घ. अग्रिम		
	i. गृह निर्माण अग्रिम	-	-
	ii. कार अग्रिम	-	-
	iii. मोटर साईकिल/ स्कूटर अग्रिम	-	-
	iv. कंप्यूटर अग्रिम	-	-
	v. अन्य अग्रिम	44,64,571.00	39,56,417.65
	vi. सामान्य कार्यालय व्यय	7,99,693.00	7,43,275.00
	vii. एलटीसी	17,23,467.00	35,56,665.00
	viii. केंद्रीय/राज्य प्राधिकरण	1,42,33,54,503.60	88,17,78,483.00
	ङ. आयकर	-	-
	च. सेवा कर	-	-
	छ. विविध भुगतान	-	-
	ज. जीएसटी/टीडीएस	29,05,33,906.52	21,45,16,489.08

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	झ. ठेकेदारों को अग्रिम	-	-
	ञ. केएसआईआईडीसी को अग्रिम किराया	-	-
	ट. विद्युत विभाग के पास जमा	-	-
	ठ. सीआईएसएफ के पास जमा	-	-
	ड. यूपीसीआईडीसीओ के पास जमा (किराया)	-	-
	ढ. सीपीडब्लूडी के पास जमा (हैदराबाद)	-	-
	ण. जमा बयाना राशि की वापसी	-	-
	त. निविदा शुल्क वापसी	-	-
	थ. पूर्वभुगतान और अन्य	4,21,000.00	37,05,16,624.07
	द. देनदारों को वापसी	-	-
	ध. एजेंसियों के पास जमा - एफडी	-	-
	न. एजेंसियों के पास जमा - सीआईएसएफ	-	-
	प. एजेंसियों के पास जमा - टेलीफोन	-	-
	फ. एजेंसियों के पास जमा - अन्य	-	-
	ब. वेंडरों की रोकी गयी राशि	6,31,84,781.41	4,01,46,475.27
	भ. क्षेत्रीय कार्यालयों को अंतरित निधियां	1,10,29,07,015.00	1,02,06,24,317.00
10	अंत शेष	-	
	क. नकदी शेष	24,32,994.00	18,79,114.00
	ख. बैंक शेष		
	i. चालू खातों में	38,47,63,552.93	1,49,83,50,692.02
	ii. जमा खातों में	10,17,36,32,691.28	4,13,35,80,304.74
	iii. बचत खातों में	-	-
	योग	**80,62,52,69,902.92**	**39,86,77,53,862.80**

नोटः शीर्ष 4ख के तहत दिखाई गई प्राप्तियों और शीर्ष 5ख के तहत दिखाई गई भुगतान राशि वास्तव में चालू खाते में न्यूनतम सीमा से अधिक निधियों का स्वतः स्वीप है। स्वीप इन/आउट का शुद्ध प्रभाव भुगतान के बिंदु 10ख (ii) पर जमा खाते में बैंक में जमा राशि के रूप में अलग से दिखाया गया है।

ह0/-	ह0/-	ह0/-
निदेशक (लेखा)	**उपमहानिदेशक**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**

दिनांक : 02/07/2022
स्थानः नई दिल्ली

अनुसूची 1 - समग्र/पूंजीगत निधि

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	वर्ष के प्रारम्भ की स्थिति के अनुसार शेष राशि	9,68,09,80,269.09	14,35,73,05,525.11
2	जोड़ें : समग्र /पूंजीगत निधि हेतु अंशदान	3,14,99,99,702.89	47,80,29,321.99
3	जोड़ें/(घटायें) : आय और व्यय खाते के अंतरित शुद्ध आय / (व्यय) का संतुलन	(1,81,66,42,106.36)	(5,15,38,51,661.69)
4	जोड़ें/(घटायें) : पूर्व वर्ष की देयताएं समग्र (कॉर्पस) को हस्तांतरित	(42,23,53,289.07)	(5,02,916.32)
	वर्ष के अंत में शेष राशि	**10,59,19,84,576.55**	**9,68,09,80,269.09**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 1 क- भाविपप्रा निधि

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	वर्ष के प्रारम्भ की स्थिति के अनुसार शेष राशि	4,30,76,03,570.83	3,88,63,16,669.82
2	जोड़ें/(घटायें): आय और व्यय खाते से हस्तांतरित भाविपप्रा द्वारा सृजित शुद्ध अधिशेष अनुदान और स्वामित्व आय	4,82,34,96,621.37	3,22,39,58,768.89
3	जोड़ें /(घटायें): भाविपप्रा निधि से/में समायोजन	(12,65,85,078.19)	(2,80,26,71,867.88)
	वर्ष के अंत में शेष राशि	**9,00,45,15,114.01**	**4,30,76,03,570.83**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 2 - आरक्षित और अधिशेष

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष		गत वर्ष	
1	**आरक्षित पूंजी**				
	पिछले लेखों के अनुसार				
	वर्ष के दौरान आवर्धन				
	घटाना: वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
2	**पुनर्मूल्यांकन आरक्षित**				
	पिछले लेखों के अनुसार				
	वर्ष के दौरान आवर्धन				
	घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
3	**विशेष आरक्षित**				
	पिछले लेखों के अनुसार				
	वर्ष के दौरान आवर्धन				
	घटाना : वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
4	**सामान्य आरक्षित**				
	पिछले लेखों के अनुसार				
	वर्ष के दौरान आवर्धन				
	घटाना: वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
	योग				

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 3 - निर्धारित/अक्षय निधियां

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	निधीवर विवरण				कुल	
		निधि वेतन	निधि सामान्य	निधि अचल आस्तियां	निधि राजस्व	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**निधियों का अधिशेष**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,88,63,16,669.82**
2	**निधियों में आवर्धन**						
	क. दान/अनुदान	-	-	-	-	-	6,13,00,00,000.00
	ख. निधि के खातों में किए गए निवेश से आय	-	-	-	-	-	-
	ग. लाइसेंस आय	-	-	-	-	-	30,20,48,158.00
	घ. अधिप्रमाणन सेवाओं से आय	-	-	-	-	-	1,56,06,34,951.29
	ङ. नामांकन सेवाओं से आय	-	-	-	-	-	17,18,09,188.77
	च. आधार पुनर्मुद्रण से आय	-	-	-	-	-	8,93,47,378.61
	छ. पीवीसी कार्ड सेवाओं से आय	-	-	-	-	-	35,43,47,663.44
	ज. एसएसयूपी सेवाओं से आय	-	-	-	-	-	16,83,51,441.39
	झ. जुमार्ना, परिनिर्धारित नुकसानी एवं दंडात्मक कार्रवाई	-	-	-	-	-	44,03,82,130.67
	ञ. स्क्रैप की बिक्री	-	-	-	-	-	
	ट. अन्य आय (ब्याज,किराया, लाइसेंस शुल्क के अलावा अन्य शुल्क आदि)	-	-	-	-	-	13,70,37,856.72
	ठ. वित्त वर्ष 2018-19 के सहायता अनुदान पर ब्याज वर्तमान देनदारियों को हस्तांतरित किया गया	-	-	-	-	-	-
	ड. भाविपप्रा निधि में उपलब्ध भाविपप्रा आय					-	
	योग (2)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,35,39,58,768.89**

मेरा आधार, मेरी पहचान

क्र.सं.	विवरण	निधीवर विवरण				कुल	
		निधि वेतन	निधि सामान्य	निधि अचल आस्तियां	निधि राजस्व	चालू वर्ष	गत वर्ष
3	**निधियों के उद्देश्यों के समक्ष उपयोग/व्यय**	**-**					
	क. पूंजीगत व्यय						
	i. अचल परिसंपत्ति	-	-	-	-	-	47,80,29,321.99
	ii. अन्य	-	-	-	-	-	-
	योग					-	
	ख. राजस्व व्यय						
	i. वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-	43,25,51,615.20
	ii. किराया	-	-	-	-	-	
	iii. अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	8,02,20,90,930.69
	ग. केंद्र सरकार के पास जमा	-	-	-	-	-	-
	योग					**-**	
	योग (3)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,93,26,71,867.88**
	वर्ष के अंत में निवल शेष (1 + 2-3)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,30,76,03,570.83**

नोट :-

1) अनुदान के लिए निर्धारित शर्तों के आधार पर प्रासंगिक शीर्षों का प्रकटीकरण किया जाएगा।

2) केंद्र/राज्य सरकारों से प्राप्ति योजना निधियों को अलग निधि के रूप में दशार्या जाना चाहिए और किन्हीं अन्य निधियों के साथ न मिलाया जाए।

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

मेरा आधार, मेरी पहचान

अनुसूची 4 - प्रतिभूत ऋण और उधारियां

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**केंद्र सरकार**		
2	**राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)**		
3	**वित्तीय संस्थाएं**		
	क. मियादी ऋण		
	उपार्जित और देय ब्याज		
4	**बैंक:**		
	क. मियादी ऋण		
	उपार्जित और देय ब्याज		
	ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)		
	उपार्जित और देय ब्याज		
5	**अन्य संस्थाएं और एजेंसियां**		
6	**डिबेंचर और बॉन्ड**		
7	**अन्य (विनिर्दिष्ट करें)**		
	योग		

नोट: *एक वर्ष के भीतर देय राशि*

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 5 - अप्रतिभूत ऋण और उधारियां

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**केंद्र सरकार**		
2	**राज्य सरकार (विनिर्दिष्ट करें)**		
3	**वित्तीय संस्थाएं**		
	क. मियादी ऋण		
	उपार्जित और देय ब्याज		
4	**बैंक:**		
	क. मियादी ऋण		
	उपार्जित और देय ब्याज		
	ख. अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)		
	उपार्जित और देय ब्याज		
5	**अन्य संस्थाएं और एजेंसियां**		
6	**डिबेंचर और बॉन्ड**		
7	**सावधि जमा**		
8	**अन्य (विनिर्दिष्ट करें)**		
	योग		

नोट: *एक वर्ष के भीतर देय राशि*

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 6 - आस्थगित ऋण देयताएं

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	पूंजीगत उपकरणो और अन्य आस्तियों के दृष्टिबंधक द्वारा प्रतिभूत स्वीकृतियाँ		
2	अन्य		
	योग		

नोट: *एक वर्ष के भीतर देय राशि*

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 7- वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र सं.	विवरण	चालू वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	गत वर्ष
	वर्तमान देयताएं				
1	**स्वीकृतियाँ**	**-**	**-**	**-**	**-**
2	**विविध लेनदार**				
	क. माल एवं सेवाएं हेतु	-	1,53,54,96,761.87		59,11,50,408.87
	ख. अन्य	-	12,68,86,115.87		9,40,33,764.04
3	**प्राप्त अग्रिम**	**-**	59,64,97,213.45		37,76,89,945.22
4	**उपार्जित अदेय ब्याज**				
	क. जमानती ऋण /उधार	-	-		-
	ख. गैर- जमानती ऋण/ उधार	-	-		-
5	**सांविधिक देयताएं**				
	क. अतिदेय	-	-		-
	ख. अन्य	-	7,77,64,341.27		3,27,18,944.57
6	**अन्य वर्तमान देयता**				
	क. अनुदान - पूंजी निर्माण	-			
	प्रारंभिक शेष	-		-	
	जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	3,15,00,00,000.00		35,00,00,000.00	
	घटायें : वर्ष के दौरान उपयोग किए गए अनुदान	3,14,99,99,702.89		47,80,29,321.99	
		297.11		**(12,80,29,321.99)**	
	घटायें: कॉर्पस में हस्तांतरित	**-**		**-**	
		297.11		**(12,80,29,321.99)**	
	घटायें : भाविपप्रा निधि में / से हस्तांतरित	**297.11**	**-**	**(12,80,29,321.99)**	**-**
	ख. अनुदान - वेतन				
	प्रारंभिक शेष	-		-	
	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	48,00,00,000.00		47,00,00,000.00	
	घटायें: आय को हस्तांतरित राजस्व अनुदान	47,62,79,015.00		43,25,51,615.20	
		37,20,985.00		**3,74,48,384.80**	

क्र सं.	विवरण	चालू वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	गत वर्ष
	घटायें: भावीपप्रा निधि में हस्तांतरित	**37,18,765.00**	-	**3,74,48,384.80**	-
		2,220.00			
	घटायें: सीएफआई को हस्तांतरित	**2,220.00**			
	ग. अनुदान - सामान्य				
	प्रारंभिक शेष	-		-	
	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	12,01,97,00,000.00		5,31,00,00,000.00	
	घटायें: आय को हस्तांतरित राजस्व अनुदान	12,01,90,76,271.29		8,02,20,90,930.69	
		6,23,728.71		(2,71,20,90,930.69)	
	घटायें : भाविपप्रा निधि में /से हस्तांतरित अव्ययित अनुदान	-		(1,21,69,48,400.15)	
	घटायें: भाविपप्रा निधि में /से हस्तांतरित भाविपप्रा आय	-	-	(1,49,51,42,530.54)	-
		6,23,728.71			
	घटायें: सीएफआई को हस्तांतरित	**6,23,728.71**			
	घ. प्रतिधारित आय : केंद्र सरकार				
	प्रारंभिक शेष	9,25,35,982.30		44,89,17,253.00	
	क. निधि के निवेश से प्राप्त आय	-		-	
	ख. लाइसेंस से आय एवं एनआरडी	-		-	
	ग. जुमार्ना, परिनिर्धारित नुकसानी एवं दंडात्मक कार्रवाई	-		-	
	घ. स्क्रैप की बिक्री	-		-	
	ङ. ब्याज से आय	2,44,88,037.50		9,07,82,472.30	
	च. अन्य आय	-		17,53,510.00	
		11,70,24,019.80		**54,14,53,235.30**	
	घटायें : केंद्र सरकार को वापसी	9,25,35,982.00		44,89,17,253.00	
	शेष निधि	**2,44,88,037.80**		**9,25,35,982.30**	
	घटायें : कॉर्पस में हस्तांतरित	-		-	
	जोड़ें : कॉर्पस से हस्तांतरित वित्त वर्ष 2017-18 से संबंधित राशि	-		-	

क्र सं.	विवरण	चालू वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष	गत वर्ष
	जोड़ें : भाविपप्रा निधि से हस्तांतरित वित्त वर्ष 2018-19 के अनुदानों पर प्राप्त ब्याज	-	2,44,88,037.80	-	9,25,35,982.30
	योग (क)		**2,36,11,32,470.26**		**1,18,81,29,045.00**
	प्रावधान				
1	कराधान के लिए	-	-		-
2	उपदान	-	-		-
3	अधिवर्षिता /पेंशन अंशदान	-	-		-
4	संचित छुट्टी नकदीकरण	-	-		-
5	व्यापार वारंटियाँ /दावे	-	-		-
6	देय छुट्टी वेतन	-	-		-
7	अन्य (वेतन, सामान्य कार्यालय एवं अन्य प्रासंगिक देय)	-	2,53,73,99,467.58		1,48,90,18,175.05
	योग (ख)		**2,53,73,99,467.58**		**1,48,90,18,175.05**
	योग (क+ख)		**4,89,85,31,937.84**		**2,67,71,47,220.05**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 8- अचल आस्तियां

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

विवरण	सकल ब्लॉक					संचित मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन (01/04/2021)	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	समायोजन	वर्ष की समाप्ति पर लागत/ मूल्यांकन	01/04/2021 के अनुसार	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	समायोजन	31/03/2022 के अनुसार	31/03/2022 के अनुसार	गत वर्ष 31/03/2021 की स्थिति के अनुसार
(1) और (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
अचल आस्तियां												
1. भूमि												
क. पूर्ण स्वामित्व में	71,31,36,830.46	99,88,867.00	-		72,31,25,697.46	-		-	-	-	72,31,25,697.46	71,31,36,830.46
ख. पट्टे पर	9,87,64,050.00		-		9,87,64,050.00	3,21,63,707.97	32,92,135.00	-	-	3,54,55,842.97	6,33,08,207.03	6,66,00,342.03
योग (1)	**81,19,00,880.46**	**99,88,867.00**	**-**		**82,18,89,747.46**	**3,21,63,707.97**	**32,92,135.00**	**-**	**-**	**3,54,55,842.97**	**78,64,33,904.49**	**77,97,37,172.49**
2. कार्यालय भवन और डाटा सेंटर :												
क. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर	1,96,17,52,817.00	-	-		1,96,17,52,817.00	11,19,69,834.44	3,10,61,086.27	-	15,04,579.16	14,45,35,499.87	1,81,72,17,317.13	1,84,97,82,982.56
ख. पट्टे पर दी गयी भूमि पर	1,15,00,00,000.00	-	-		1,15,00,00,000.00	10,54,28,744.75	1,82,08,333.33	-	(0.46)	12,36,37,077.62	1,02,63,62,922.38	1,04,45,71,255.25
ग. स्वामित्व अधीन फ्लैट/परिसर	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
घ. संस्था से असंबंधित भूमि पर सुपरस्ट्रक्चर	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
योग (2)	**3,11,17,52,817.00**	**-**	**-**		**3,11,17,52,817.00**	**21,73,98,579.19**	**4,92,69,419.60**	**-**	**15,04,578.70**	**26,81,72,577.49**	**2,84,35,80,239.51**	**2,89,43,54,237.81**
3. संयंत्र मशीनरी और उपकरण												
क. मशीनरी और उपकरण	1,89,38,52,053.82		-		1,89,38,52,053.82	70,01,85,210.76	11,99,43,963.41	-		82,01,29,174.17	1,07,37,22,879.65	1,19,36,66,843.06
ख. प्रोद्योगिकी अवसंरचना (सर्वर एवं डीपीयू)	15,17,19,41,616.73	3,04,05,61,116.67	-	0.45	18,21,25,02,733.85	13,87,94,41,369.10	36,49,70,708.58	-	1,58,18,112.06	14,26,02,30,189.74	3,95,22,72,544.11	1,29,25,00,247.63

मेरा आधार, मेरी पहचान

विवरण	सकल ब्लॉक					संचित मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
	वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन (01/04/2021)	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	समायोजन	वर्ष की समाप्ति पर लागत/ मूल्यांकन	01/04/2021 के अनुसार	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	समायोजन	31/03/2022 के अनुसार	31/03/2022 के अनुसार	गत वर्ष 31/03/2021 की स्थिति के अनुसार
ग. यूबीसीसी अवसंरचना	-		-		-	-		-	-	-	-	-
घ. सूचना प्रोद्योगिकी (सॉफ्टवेयर)	1,05,04,96,098.64	15,89,60,608.60	-		1,20,94,56,707.24	65,69,11,411.65	27,11,99,775.49	-	41,61,920.36	93,22,73,107.50	27,71,83,599.74	39,35,84,686.99
योग (3)	**18,11,62,89,769.19**	**3,19,95,21,725.27**	**-**	**0.45**	**21,31,58,11,494.91**	**15,23,65,37,991.51**	**75,61,14,447.48**	**-**	**1,99,80,032.42**	**16,01,26,32,471.41**	**5,30,31,79,023.50**	**2,87,97,51,777.68**
4. वाहन	14,60,515.00				14,60,515.00	5,07,141.37	1,70,956.89		-	6,78,098.26	7,82,416.74	9,53,373.63
5. फर्नीचर एवं फिक्सचर	8,87,72,421.23	13,32,406.27	2,63,868.00	(63,58,504.64)	8,34,82,454.86	4,41,01,640.53	65,89,695.10	1,78,592.60	(8,11,772.22)	4,97,00,970.81	3,37,81,484.05	4,46,70,780.70
6. कार्यालयी उपकरण	9,57,64,605.18	44,43,126.31	6,50,725.00	1,78,415.48	9,97,35,421.97	6,19,91,148.37	99,22,413.52	6,18,188.75	(5,15,608.36)	7,07,79,764.78	2,89,55,657.19	3,37,73,456.81
7.कंप्यूटर / पेरिफेरल (डेस्कटॉप ,प्रिंटर एवं अन्य)	58,66,94,252.68	12,19,57,306.19	21,73,033.83	(5,56,081.67)	70,59,22,443.37	48,29,37,610.65	8,01,02,160.45	20,64,382.14	(1,27,83,687.38)	54,81,91,701.60	15,77,30,741.78	10,37,56,642.03
8. विद्युत संस्थापन	1,14,99,362.49	2,43,539.16		63,58,504.40	1,81,01,406.05	43,85,802.28	17,26,217.98		16,044.63	61,28,064.89	1,19,73,341.16	71,13,560.21
9. पुस्तकालयी किताबें	-				-	-			-	-	-	-
10. अन्य अचल आस्तियां												
क. लैपटॉप एवं टेबलेट	3,72,09,142.89	1,06,11,677.32	10,74,246.00	3,77,665.98	4,71,24,240.19	2,41,65,429.11	60,71,099.16	9,85,812.45	3,55,065.81	2,96,05,781.62	1,75,18,458.57	1,30,43,713.78
ख. मोबाइल फोन	1,05,70,952.75	28,05,334.66	2,41,372.16		1,31,34,915.25	86,79,468.06	14,41,426.09	2,29,303.55	(732.31)	98,90,858.29	32,44,056.96	18,91,484.69
योग (10)	**4,77,80,095.64**	**1,34,17,011.98**	**13,15,618.16**	**3,77,665.98**	**6,02,59,155.44**	**3,28,44,897.17**	**75,12,525.25**	**12,15,116.00**	**3,54,333.50**	**3,94,96,639.91**	**2,07,62,515.53**	**1,49,35,198.47**
चालू वर्ष का योग (1+2 +3+4 +5+6+7+8+9+10)	**22,87,19,14,718.87**	**3,35,09,03,982.18**	**44,03,244.99**	**0.00**	**26,21,84,15,456.06**	**16,11,28,68,519.04**	**91,46,99,971.27**	**40,76,279.49**	**77,43,921.29**	**17,03,12,36,132.12**	**9,18,71,79,323.95**	**6,75,90,46,199.83**
गत वर्ष	**22,16,53,30,234.85**	**71,84,29,424.92**	**1,13,42,024.58**	**(5,02,916.32)**	**22,87,19,14,718.87**	**14,77,67,80,654.72**	**1,34,67,49,615.82**	**1,06,61,750.26**	**-**	**16,11,28,68,519.04**	**6,75,90,46,199.83**	**7,38,85,49,580.39**
प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	**24,18,14,498.05**	**39,81,79,080.78**	-		**63,99,93,578.83**	-	-	-	-	-	**63,99,93,578.83**	**24,18,14,498.05**
समग्र योग	**23,11,37,29,216.92**	**3,74,90,83,062.96**	**44,03,244.99**	**0.00**	**26,85,84,09,034.89**	**16,11,28,68,519.04**	**91,46,99,971.27**	**40,76,279.49**	**77,43,921.29**	**17,03,12,36,132.12**	**9,82,71,72,902.78**	**7,00,08,60,697.88**

(उपर्युक्त में शामिल किराया,खरीद आधार पर आस्तियों की लागत के बारे में टिप्पणी दी जानी है।)

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

मेरा आधार, मेरी पहचान

अनुसूची 9 - निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3	शेयर		
4	डिबेंचर और बॉन्ड		
5	अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम		
6	अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)		
	योग		

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 10 - अन्य निवेश

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	सरकारी प्रतिभूतियाँ		
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3	शेयर		
4	डिबैंचर और बॉन्ड		
5	अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम		
6	अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)		
	क. ऑटो स्वीप के रूप में बैंको में सावधि जमा		
	ख. एफडी प्रोजेक्ट - ईआइएल		
	योग		

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 11 - वर्तमान आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन- पत्र का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	क. वर्तमान आस्तियां		
1	**वस्तु सूची**		
	क. स्टोर और स्पेयर्स	-	-
	ख. फुटकर उपकरण	-	-
	ग. व्यापारिक स्टॉक		
	i. तैयार सामग्री	-	-
	ii. प्रगति अधीन - कार्य	-	-
	iii. कच्चा माल	-	-
2	**विविध देनदार**		
	क. छः महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	19,68,64,703.10	28,28,06,175.77
	ख. अन्य	37,90,98,638.60	27,38,85,050.93
3	**हस्तगत रोकड़ (चेक /ड्राफ्ट एवं इम्प्रेस्ट सहित)**	24,32,994.00	18,79,114.00
4	**बैंकों में शेष राशि**		
	क. अनुसूचित बैंकों के साथ		
	i. चालू खातो में	38,47,63,552.93	1,49,83,50,692.02
	ii. मियादी जमा खातों में (मार्जिन राशि सहित)	10,17,36,32,691.28	4,13,35,80,304.74
	iii. बचत बैंक जमा खातो में	-	-
	ख. गैर - अनुसूचित बैंकों के साथ		
	i. चालू खातों में	-	-
	ii. मियादी जमा खातों में	-	-
	iii. बचत बैंक जमा खातों में	-	-
5	**डाकघर बचत खाते**		**-**
6	**अन्य**	**-**	**-**
	योग (क)	**11,13,67,92,579.91**	**6,19,05,01,337.46**
	ख. ऋण,अग्रिम,एवं अन्य आस्तियां		
1	**ऋण**		
	क. स्टाफ		
	i. एलटीसी अग्रिम	9,24,037.00	60,88,452.00
	ii. सामान्य कार्यालय व्यय	8,39,738.00	9,04,873.00

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	ख. संस्था के समान कार्यक्रमों/उद्देश्यों में लगी हुई अन्य संस्थाएं	-	-
	ग. अन्य (टीए एवं अन्य अग्रिम)	17,99,993.20	12,25,137.20
2	**नकदी या वस्तु के रूप में या प्राप्य मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ**		
	क. पूंजी खाते में	17,78,69,642.95	37,18,44,449.95
	ख. पूर्व -भुगतान	38,49,175.00	1,28,49,176.00
	ग. प्रतिभूति जमा	8,20,80,278.86	8,16,51,635.00
	घ. अन्य		
	i. प्राप्य टीडीएस	16,72,99,023.66	16,88,54,401.76
	ii. बीओसी , राज्य सरकार (आईसीटी सहायता), डीओपी आदि	1,53,55,78,625.60	1,74,14,14,672.30
	iii. ठेकेदार	1,19,39,077.00	2,01,61,110.90
	iv. जी एस टी इनपुट टैक्स क्रेडिट	1,51,72,77,710.11	1,06,22,21,499.49
3	**उपार्जित आय**		
	क. निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर	-	-
	ख. अन्य निवेश पर	-	-
	ग. ऋण और अग्रिम पर	-	-
	घ. अन्य (अप्राप्य देय आय रुपए ..... सहित है)	-	-
	i. अनुसूचित बैंकों में जमा पर	3,16,08,844.33	71,53,617.03
4	**प्राप्त दावे**	**-**	**-**
	योग (ख)	**3,53,10,66,145.71**	**3,47,43,69,024.63**
	योग (क +ख)	**14,66,78,58,725.62**	**9,66,48,70,362.09**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 12 – सेवाओं से आय

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के अनुसार आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	प्रमाणीकरण सेवाएँ	2,46,84,61,811.04	1,56,06,34,951.29
2	नामांकन सेवाएं	24,89,34,866.56	17,18,09,188.77
3	अन्य		
	क) आधार पुनर्मुद्रण	-	8,93,47,378.61
	ख) ऑर्डर आधार कार्ड (ओएसी) सेवा	54,08,04,091.82	35,43,47,663.44
	ग) स्व-सेवा अद्यतन पोर्टल (एस एस यू पी)	49,85,99,434.99	16,83,51,441.39
	योग	**3,75,68,00,204.41**	**2,34,44,90,623.50**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 13 – अनुदान/सब्सिडी

(प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान और सब्सिडी)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	केंद्र सरकार		
	क. अनुदान - वेतन	47,62,79,015.00	43,25,51,615.20
	ख. अनुदान - सामान्य	12,01,90,76,271.29	5,31,00,00,000.00
2	राज्य सरकारें	-	-
3	सरकारी एजेंसियां	-	-
4	संस्थान/कल्याण निकाय	-	-
5	अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	क. भाविपप्रा निधि में उपलब्ध अव्ययित अनुदान	-	1,21,69,48,400.15
	ख. भाविपप्रा निधि में उपलब्ध भाविपप्रा आय	-	1,49,51,42,530.54
	योग	**12,49,53,55,286.29**	**8,45,46,42,545.89**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 14 - शुल्क/अभिदान

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	प्रवेश शुल्क	-	-
2	वार्षिक शुल्क/अभिदान	-	-
3	सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4	व्यावसायिक/परामर्शी सेवाएं	-	-
5	लाइसेंस शुल्क	34,71,19,118.00	30,20,48,158.00
6	अन्य (आरटीआई शुल्क, निविदा शुल्क, आरएफपी शुल्क आदि)	16,749.50	7,120.00
	योग	**34,71,35,867.50**	**30,20,55,278.00**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 15 – निवेशों से आय

(निधियों को अंतरित निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश पर आय)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	निर्धारित निधि से निवेश	निर्धारित निधि से निवेश	अन्य निवेश	अन्य निवेश
		चालू वर्ष	गत वर्ष	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**ब्याज**				
	क. सरकार प्रतिभूतियों पर				
	ख. अन्य बॉन्ड /डिबेंचर				
	ग. अन्य				
2	**लाभांश**				
	क. शेयरों पर				
	ख. म्यूचुअल फंड पर				
	ग. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)				
	योग				
	निर्धारित /अक्षय निधि में हस्तांतरित				

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	रॉयल्टी से आय		
2	प्रकाशनों से आय		
3	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
	योग		

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**सावधि जमा राशियों पर**		
	क. अनुसूचित बैंको से		
	i. अनुदान सहायता प्राप्तियों पर	-	-
	ii. अन्य प्राप्तियों पर	16,25,32,247.00	9,68,08,889.33
	ख. गैर - अनुसूचित बैंको से	-	-
	ग. संस्थानो से	-	-
	घ. अन्य (ईआईएल के साथ एस्क्रो खाता)	-	-
2	**बचत खातों पर**		
	क. अनुसूचित बैंको से	-	-
	ख. गैर - अनुसूचित बैंको से	-	-
	ग. डाकघर बचत खाते	-	-
	घ. अन्य	-	-
3	**ऋणों पर**		
	क. कर्मचारी/स्टाफ	-	-
	ख. अन्य	-	-
4	**ऋणों एवं प्राप्य राशियों पर ब्याज**		
	क. आयकर विभाग	91,69,330.00	-
	ख. अन्य	-	-
	योग	**17,17,01,577.00**	**9,68,08,889.33**

नोट -

1. वित्त वर्ष 2021-22 में ब्याज पर ₹64,23,559/- रुपये का टीडीएस काटा गया।

2. बिंदु 1 (क) (ii) में दिखाया गया ₹16,25,32,247 / - बैंक के साथ चालू खाते में ऑटो स्वीप/एफडी की व्यवस्था पर अर्जित ब्याज है।

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 18 - अन्य आय

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	आस्तियों की बिक्री / निपटान पर लाभ		
	क. स्वामित्व अधीन परिसंपत्ति	-	-
	ख. अनुदान से अधिग्रहित परिसंपत्ति , या निःशुल्क प्राप्त	(25,087.32)	(88,927.45)
2	वसूल परिनिर्धारित नुकसानी, अर्थदण्ड	54,60,96,227.84	44,03,82,130.67
3	विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	63,20,464.93
4	किराया	5,70,000.00	5,61,000.00
5	विविध आय	12,17,831.94	3,34,29,309.91
	योग	**54,78,58,972.46**	**48,06,03,978.06**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 19 - तैयार सामग्रियों और प्रगति अधीन कार्यों के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	अंतिम स्टॉक		
	क. तैयार सामग्री		
	ख. प्रगतिरत कार्य		
2	घटायें : प्रारंभिक शेष		
	क. तैयार सामग्री		
	ख. प्रगतिरत कार्य		
	निवल वृद्धि /(कमी) [1-2]		

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 20 - स्थापना व्यय

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	वेतन और मजदूरी	41,46,03,180.00	36,16,52,819.00
2	समयोपरि भत्ता	-	-
3	भत्ते और बोनस	24,88,624.00	72,86,409.00
4	चिकित्सा उपचार	58,91,265.00	47,43,706.00
5	शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	43,98,737.00	45,42,984.00
6	घरेलू यात्रा व्यय	1,52,09,270.00	79,79,379.00
7	विदेश यात्रा व्यय	-	1,23,902.00
8	एनपीएस का अंशदान	92,61,227.00	54,68,133.00
9	उपदान निधि के लिए अंशदान	2,91,250.00	76,567.00
10	अवकाश वेतन पेंशन अंशदान	5,20,04,190.00	4,89,93,073.00
11	कर्मचारियों की सेवानिवृति एवं सेवांत लाभों पर व्यय	-	-
12	अन्य निधि में अंशदान	-	-
13	कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
14	अन्य (अवकाश नकदीकरण एवं मानदेय)	16,91,440.00	20,24,862.00
	योग	**50,58,39,183.00**	**44,28,91,834.00**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	खरीद	-	-
2	श्रम और प्रसंस्करण व्यय	-	-
3	आंतरिक ढुलाई एवं परिवहन	-	-
4	विद्युत एवं ऊर्जा	2,74,23,577.00	2,38,93,274.80
5	जल प्रभार	17,25,138.00	17,62,930.00
6	बीमा	29,164.48	39,215.00
7	मरम्मत और रखरखाव	25,47,683.91	30,81,209.78
8	उत्पाद शुल्क	-	-
9	किराया, दरें और कर	13,74,64,751.48	12,70,02,037.66
10	वाहन चालन एवं रखरखाव	3,20,150.53	1,00,847.98
11	डाक, दूरभाष एवं संचार प्रभार	56,13,186.64	53,78,288.81
12	मुद्रण एवं स्टेशनरी	27,89,247.58	23,28,161.23
13	यात्रा एवं वाहन व्यय	2,91,30,017.83	2,79,11,850.23
14	संगोष्ठी / वर्कशॉप पर व्यय	1,32,298.96	1,71,669.54
15	अभिदान व्यय	3,92,617.60	7,57,794.66
16	शुल्कों पर व्यय	-	-
17	लेखापरीक्षकों पर व्यय	6,58,987.00	8,76,221.00
18	आतिथ्य व्यय	8,87,336.62	6,34,697.76
19	व्यावसायिक प्रभार	1,01,50,530.33	3,11,68,266.39
20	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	4,51,788.00	1,98,008.00

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
21	भर्ती व्यय	-	-
22	अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-
23	अवसूलनीय शेष बट्टे खाते में डालना	-	-
24	पैकिंग प्रभार	-	-
25	मालभाड़ा एवं अग्रेषण प्रभार	-	-
26	वितरण व्यय	-	-
27	विज्ञापन एवं प्रचार	14,12,204.22	21,33,867.07
28	कानूनी प्रभार	1,98,68,733.20	2,93,90,611.40
29	संविदा स्टाफ को भुगतान (एमटीओ, चपरासी आदि)	8,20,40,462.04	6,42,19,143.34
30	अन्य		
	i. बैठक शुल्क	-	-
	ii. वार्षिक रखरखाव शुल्क	6,66,717.89	3,34,160.25
	iii. कार्यालय व्यय	11,55,40,249.61	9,65,86,492.28
	iv. दान	2,78,796.60	5,33,317.97
	v. सीआईएसएफ को भुगतान (भाविपप्रा - मुख्यालय)	4,14,67,488.00	5,89,00,432.66
	योग	**48,09,91,127.52**	**47,74,02,497.81**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 22 – परिचालन खर्च

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	**नामांकन, अधिप्रमाणन और अद्यतन**		
	क. रजिस्ट्रारों को सहायता	4,99,48,05,956.98	3,57,48,62,142.37
	ख. गुणवत्ता नियंत्रण (एबीआईएस पूर्व)	3,79,48,404.12	3,60,40,147.62
	ग. विज्ञापन और प्रचार	5,41,714.30	2,83,59,294.69
	घ. बीपीओ अद्यतन लागत	6,32,79,340.70	6,59,95,945.11
2	**प्रोद्योगिकी संचालन**		
	क. कार्यालय व्यय/बीएसपी और टीएसपी भुगतान		
	i. बायोमेट्रिक सेवा प्रदाता को भुगतान (बीएसपी)	37,71,74,069.26	10,87,19,335.51
	ii. दूरसंचार सेवा प्रदाता को भुगतान (टीएसपी)	3,91,23,429.90	5,99,20,175.44
	iii. कार्यालय व्यय (डेटा सेंटर)	36,55,01,578.26	33,60,07,299.53
	ख. किराया, दरें और कर	-	-
	ग. व्यावसायिक सेवाएं / एमएसपी / एमएसएपी /एमएसआईपी लागत		
	i. वार्षिक रखरखाव लागत (एएमसी)	1,20,55,05,503.98	1,05,97,78,482.26
	ii. जनशक्ति सेवाएं	1,35,82,13,279.20	38,80,06,684.46
	घ. सीआईएसएफ को भुगतान	-	-
	ङ. केएम पोर्टल विकास प्रभार	-	-
3	**संभारिकी एवं अन्य संचार**		
	क. मुद्रण लागत	40,27,03,432.38	27,67,62,718.72
	ख. डिस्पैच लागत	99,98,54,343.32	59,62,56,326.05
	ग. टीएफएन /संपर्क केंद्र लागत	49,01,88,852.99	29,92,71,319.76
	घ. शिकायत निवारण प्रचालक	84,03,332.80	93,36,304.98
	ङ. अन्य प्रभार	27,452.00	5,99,292.50
4	**आधार समर्थित अनुप्रयोग**		
	क. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आईसीटी सहायता	1,49,71,693.00	-
	ख. माइक्रो एटीएम सहायता	-	-
	ग. आधार आधारित अनुप्रयोगों का विकास	-	-

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
	घ. एईए / राज्य संबंधित व्यक्ति	-	-
	ङ. अन्य प्रभार	-	-
5	**अन्य समर्थन संचालन**		
	क. डी.एम.एस	-	-
	ख. डी.एम.एस - क्यूसी	38,94,48,751.63	27,26,30,317.37
	ग. जीआरसीपी	7,18,89,534.98	5,21,29,983.19
	घ. प्रशिक्षण एवं परीक्षण /प्रमाणन	-	54,54,392.34
6	**यूबीसीसी संचालन**		
	क. ओई	-	-
	ख. ओएई	-	-
	ग. सहायता अनुदान	-	-
7	**भौतिक सुरक्षा**		
	क. वेतन	25,24,75,317.16	25,29,21,684.25
	ख. कार्यालय व्यय	49,01,586.76	1,10,12,062.74
	ग. किराया , दरें और कर	44,88,380.00	40,49,106.00
	घ. अन्य प्रभार	57,64,001.41	28,03,320.00
8	**सूचना प्रौद्योगिकी**		
	क. कार्यालय व्यय	97,61,427.31	3,37,53,443.25
	ख. किराया, दरें और कर	-	-
	ग. व्यावसायिक सेवाएँ (पीएमयू, टीएसयू , अन्य ठेके)	20,01,07,315.24	20,16,31,074.00
	घ. अन्य व्यय	-	3,43,855.92
9	**पूर्वोत्तर क्षेत्र (भाविपप्रा)**		
	क. संभारिकी और अन्य संचार	-	-
	ख. अन्य प्रभार	-	-
	योग	**11,29,70,78,697.68**	**7,67,66,44,708.06**

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 23 - अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	संस्थानों /संगठनों को दिया गया अनुदान		
2	संस्थानों /संगठनों को दी गयी सब्सिडी		
	योग		

नोट -: *संस्थाओं के नाम, अनुदान/सब्सिडी की राशि सहित उनकी गतिविधियों को भी बताया जाए।*

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 24 - ब्याज

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा का संरूपित भाग

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
1	ब्याज		
	क. नियत ऋणों पर		
	ख. अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)		
	ग. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
2	बैंक प्रभार		
	योग		

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 25 - महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के अंश का निरूपण

1 लेखांकन का आधार

1.1 वित्तीय विवरणियों को प्रपत्र 'क', प्रपत्र 'ख' और प्रपत्र 'ग' में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (वार्षिक लेखा विवरण प्रपत्र) नियम, 2018 तथा इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों के अनुसार तैयार किया गया है।

1.2 वित्तीय विवरणियों को ऐतिहासिक लागत परिपाटी, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, और लेखांकन की उपचय पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है।

2 निवेश

2.1 दीर्घकालिक निवेशों के रूप में वगीर्कृत निवेश, लागत आधार पर वहन किए गए हैं। अस्थाई निवेश के अन्यत्र, अन्य गिरावट के लिए प्रावधान ऐसे निवेशों की लागत में वहन किए गए हैं।

2.2 'चालू' के रूप में वगीर्कृत निवेश, न्यूनतम लागत और उचित मूल्य पर वहन किए गए हैं। ऐसे निवेशों के मूल्य में हुई कमी के लिए प्रावधान, प्रत्येक निवेश के लिए व्यक्तिगत आधार पर किए जाते हैं न कि वैश्विक आधार पर।

2.3 लागत में ब्रोकरेज, स्टाम्प हस्तांतरण जैसे अधिग्रहण व्यय शामिल है।

3. अचल परिसंपत्तियां

3.1 **मूर्त परिसंपत्तियां** - मूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास और क्षति नुकसानों, यदि कोई हो, से कम करके वहन किया जाता है। अचल परिसंपत्तियों की लागत मूल्य में, किसी तरह की व्यावसायिक छूट और रियायत, कोई आयात शुल्क और अन्य कर (प्राधिकरणों से वसूल किए जाने वाले करों के अन्यत्र), कोई प्रत्यक्ष खर्च जो इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए किसी परिसंपत्ति को तैयार करने में हुआ हो, अन्य आकस्मिक खर्च और उधारी पर ब्याज जो स्थायी परिसंपत्तियों के पूर्ण अधिग्रहण के संबंध में हो, इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए परिसंपत्ति निर्माण की तिथि तक तैयार है, शामिल हैं। मूर्त परिसंपत्तियों की खरीद/पूर्ण होने के बाद इन पर अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप उस परिसंपत्ति के निष्पादन के पिछले आकलन मापदंड से परे भावी लाभों में वृद्धि हो रही हो।

3.2 **प्रगति अधीन पूंजीगत कार्य** - ऐसी परिसंपत्तियों, जो अपने निर्दिष्ट उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, के निर्माण पर हुए व्यय को लागत में से हानि (यदि कोई हो) को कम करते हुए प्रगति के अधीन पूंजीगत कार्य के तहत वहन किया जाता है। लागत में, आयात शुल्क और अप्रतिदेय कर तथा कोई अन्य प्रत्यक्ष देय लागत सहित लागत खरीद शामिल है।

3.3 **अमूर्त परिसंपत्तियां** - अचल परिसंपत्तियों की लागत मूल्य में, किसी तरह की व्यावसायिक छूट और रियायत, कोई आयात शुल्क और अन्य कर (प्राधिकरणों से वसूल किए जाने वाले करों के अन्यत्र), कोई प्रत्यक्ष खर्च जो इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए किसी परिसंपत्ति को तैयार करने में हुआ हो, अन्य आकस्मिक खर्च और उधारी पर ब्याज जो स्थायी आस्तियों के पूर्ण अधिग्रहण के संबंध में हो, इनके निर्दिष्ट उपयोग के लिए परिसंपत्ति निर्माण की तिथि तक तैयार है, शामिल हैं। मूर्त परिसंपत्तियों की खरीद/पूर्ण होने के पश्चात, इन पर अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है, जब ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप उस परिसंपत्ति के निष्पादन के पिछले आकलन मापदंड से परे भावी लाभों में वृद्धि हो रही हो।

साफ्टवेयर खरीद से संबंधित लागत को 'अमूर्त परिसंपत्तियों' के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। साफ्टवेयर के संबंध में मूल्यह्रास नीति को वित्त वर्ष 2021-22 से संशोधित किया गया है, जो इस प्रकार है:-

''सभी ''अमूर्त परिसंपत्तियों'' पर मूल्यह्रास दर को 31.67% से संशोधित करके 33.33% प्रति वर्ष कर दिया गया है। इसके आर्थिक काल की समाप्ति के उपरांत अर्थात् तीन साल के बाद

शेष मूल्य ''शून्य'' होगा। हालाँकि, यदि उक्त अमूर्त परिसंपत्ति के अपने आर्थिक काल के उपरांत उपयोग में रहने की स्थिति में, इसे लेखा बही में इसके उपयोग किए जाने की अवधि तक 1/- रुपए दर्शाया जाएगा।'' इस परिवर्तन के कारण वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखों में पिछले वर्षों से संबंधित सॉफ्टवेयर के अवशिष्ट मूल्य का परिशोधन किया गया है।

पूर्व में, सॉफ्टवेयर लागतों को 5% शेष मूल्य के साथ सीधी रेखा पद्धति पर तीन वर्षों की एक अवधि के अंतर्गत परिशोधित किया गया था। वित्त वर्ष 2021-22 से पूर्व 5% शेष मूल्य को चालू वार्षिक खातों के तहत बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

3.4 गैर-मौद्रिक अनुदान (कोर्पस निधि को छोडकर) से प्राप्त अचल परिसंपत्तियों को बताए गए मूल्य पर पूंजीगत आरक्षित में समतुल्य जमा द्वारा पूंजीकृत किया जाता है।

4. मूल्यह्रास

4.1 अचल परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास का प्रावधान सीधी रेखा विधि (एसएलएम) से परिसंपत्तियों की प्रभावी उपयोगिता अवधि एवं 5% अवशेष मूल्य (लैपटॉप/टेबलेट के मामले में 10% और अचल परिसंपत्तियों के मामले में 'शून्य') नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है:-

क्र.सं.	परिसंपत्तियों का विवरण	मूल्यह्रास दर	अवधारण अवधि	अभ्युक्तियां
1	सर्वर, नेटवर्क, स्टोरेज, सुरक्षा उपकरण, अन्य बायोमेट्रिक उपकरण, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट(डीपीयू)	15.83%	6 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार
2	डेस्कटॉप, मॉनीटर, प्रिंटर, स्कैनर, स्विच, अन्य आईटी उपकरण	31.67%	3 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार
3	सॉफ्टवेयर	33.33%	3 वर्ष	भाविपप्रा की आंतरिक नीति के अनुसार
4	मोबाइल हैंडसेट	47.50%	2 वर्ष	भाविपप्रा की आंतरिक नीति के अनुसार
5	लैपटॉप, टैबलेट	30%	3 वर्ष	भाविपप्रा की आंतरिक नीति के अनुसार
6	कार्यालय उपस्कर	19%	5 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार
7	फर्नीचर और फिक्चर्स	9.50%	10 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार
8	भवन	1.58%	60 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार
9	संयंत्र और मशीनरी	6.33%	15 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार
10	वाहन (कार)	11.88%	8 वर्ष	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार

4.2 वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी के संबंध में मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर माना जाता है।

4.3 5,000 रुपए या इससे कम लागत की प्रत्येक परिसंपत्ति का पूर्ण प्रावधान किया गया है।

5. विविध व्यय

5.1 आस्थगित राजस्व व्यय को उसके खर्च हुए वर्ष से पांच वर्षों की अवधि के उपरांत बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

6. सरकारी सहायता के अन्यत्र सरकारी अनुदान/ सब्सिडियां एवं प्राप्तियां

6.1 सरकारी अनुदानों को उसकी सीमा तक 'भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि' यहां इसके उपरांत इसे 'भाविपप्रा निधि' कहा जाएगा, नामक निधि में पूर्णतया क्रेडिट किया गया है।

6.2 अनुदान पर ब्याज को छोड़कर अन्य सभी प्राप्तियों को पूर्णतः 'भाविपप्रा निधि' में क्रेडिट किया गया है।

6.3 राज्यों/एजेंसियों से पूर्ववर्ती वर्षों में वापस की गई अप्रयुक्त शेष राशि को उनके समक्ष बकाया अग्रिमों से समायोजित किया गया है और इन्हें सीएफआई (भारत की समेकित निधि) को प्रेषित किया जा रहा है।

6.4 'भाविपप्रा निधि' नामतः पद्धति के साथ एक नई अनुसूची-1 क को भाविपप्रा निधि के वर्णन हेतु वित्त वर्ष 2021-22 के वार्षिक खातों में शामिल किया गया है।

6.5 अनुसूची-1क के अंतर्गत शेष राशि को तुलन-पत्र (भाविपप्रा निधि के रूप में) में अलग से दर्शाया गया है। पूर्व में, भाविपप्रा निधि को अनुसूची - 3 में 'चिन्हित/अक्षय निधि' के तहत दर्शाया जा रहा था।

6.6 उपरोक्त मद 6.1 एवं 6.2 में उल्लिखित अनुदानों और अन्य प्राप्तियों का क्रेडिट आधार अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा 25 के अनुसार है, और उक्त को नीचे पुनःप्रस्तुत किया गया है:

''25(1) 'भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि' नामक एक निधि का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्न को क्रेडिट किया जाएगा-

क इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क और प्रभार; और

ख. केंद्र सरकार द्वारा तय की गई अन्य स्रोतों से प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी राशि।

(2) निधि का उपयोग निम्न की पूर्ति हेतु किया जाएगा-

क अध्यक्ष और सदस्यों के लिए देय वेतन और भत्ते तथा प्रशासनिक व्यय, इसमें प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन या भत्ते देय पेंशन शामिल है; तथा

ख. अन्य सामान पर खर्च और इस अधिनियम के द्वारा अधिकृत अन्य प्रयोजनों के लिए।''

6.7 एयूए/केयूए/एएसए से लाइसेंस शुल्क की दरें और वैधता निम्नवत है:

एजेंसी की किस्म	उत्पादन-पूर्व लाइसेंस		उत्पादन लाइसेंस	
	शुल्क	वैधता अवधि	शुल्क	वैधता अवधि
एयूए/केयूए	5 लाख रुपए	3 माह	20 लाख रुपए	2 वर्ष
सब एयूए	-	-	3 लाख रुपए	2 वर्ष
एएसए	10 लाख रुपए	3 माह	1 करोड़ रुपए	2 वर्ष

लाइसेंस शुल्क से होने वाली आय को आनुपातिक संख्या के आधार पर बुक किया जा रहा है अर्थात इनवॉइस जारी करने की तारीख से चालू वित्त वर्ष के अंत तक और शेष राशि को आगामी वित्त वर्षों में आनुपातिक आधार पर 'अग्रिम रूप से प्राप्त आय' के रूप में बुक किया जाता है।

7. विदेशी मुद्रा लेन-देन

7.1 विदेशी मुद्रा में लेन-देन का लेखांकन, लेन-देन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर से अंकित किया जाता है।

7.2 चालू परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और चालू देयताओं को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामस्वरूप लाभ/हानि को, यदि विदेशी मुद्रा की देयता अचल परिसंपत्ति से संबंधित है, अचल परिसंपत्तियों की लागत से समायोजित किया जाता है, और अन्य मामलों में राजस्व के रूप में विचारा जाता है।

8. पट्टा

8.1 पट्टा किराया को पट्टा अवधि के संदर्भ में खर्च किया जाता है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

9.1 सेवानिवृत्ति लाभों के प्रति कोई दायित्व नहीं है, क्योंकि भाविपप्रा के सभी कर्मचारी अन्य मंत्रालयों/विभागों और सरकारी एजेंसियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर हैं।

ह0/-
निदेशक (लेखा)

ह0/-
उपमहानिदेशक

अनुसूची 26 - आकस्मिक देयताएं और लेखा संबंधी टिप्पणियां
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लेखों के अंश का निरूपण

1. आकस्मिक देयताएं

क. दावे जिनको संस्था के समक्ष ऋण के रूप में नहीं समझा गया है - 4,79,68,75,502/- रुपए (पिछले वर्ष 3,70,25,98,106/- रुपए)। विवरण नीचे बिंदु (ज) में दिया गया है।

ख. निम्न के संबंध में:

1. संस्था की ओर से/बैंक द्वारा दी गई गारंटी - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)
2. संस्था की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख-पत्र - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)
3. बैंक द्वारा डिस्काउंट किए गए बिल - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)

ग. 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के समक्ष स्रोत पर की गई कटौती की चूकों के संबंध में विवादित मांग- 66,22,829/- रुपए है (पिछले वर्ष 68,32,240/- रुपए)।

घ. (i) सेवा कर - शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)

(ii) निगम कर - शून्य (पिछले वर्ष- शून्य)

ङ. जीवन भारती भवन में टावर 2/लेवल-2 के लिए एलआईसी द्वारा 20.57 लाख रुपए के रखरखाव शुल्क की मांग की गई है। हालांकि, भाविपप्रा को मांग स्वीकार्य नहीं है। तदनुसार इस संबंध में कोई दायित्व सृजित नहीं किया गया है।

च. आदेशों के गैर-निष्पादन, किंतु संस्था द्वारा विवादित, के लिए पार्टियों के दावों के संबंध में - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)।

छ. वेंडरों के साथ अनुबंध करने के संबंध में 57,88,34,752/- रुपए की राशि रोकी गई है (पिछले वर्ष - 57,61,24,829/- रुपए)।

ज. 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 4,79,68,75,502/- रुपए के दावों के लिए भाविपप्रा के विरूद्ध न्यायालयों में लंबित मामलों का विवरण:

(आंकड़ें रुपयों में)

क्र.सं.	मुकदमा दायरकर्ता (मैसर्स)	किस न्यायालय में मामला लंबित	याचिकाकर्ता का वित्तीय दावा	अभ्युक्ति
1	एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड	मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता अधिकरण	151,64,80,518/-	क्र.सं.1 में नीचे दी गई विस्तृत टिप्पणी।
2	एचसीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड		312,44,90,000/-	क्र.सं.1 में नीचे दी गई विस्तृत टिप्पणी।
3	टेली-परफोर्मेंस ग्लोबल सर्विस प्रा. लि. (पूर्व में सेरको बीपीओ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड प्रा. लि.),		5,14,00,000/-	मैसर्स सेरको द्वारा मूल दावा 3.28 करोड़ रुपए और संशोधित दावा 5.14 करोड़ रुपए
4	रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरसीओएम)	दिल्ली उच्च न्यायालय	8,95,00,000/-	मैसर्स आरसीओएम द्वारा 8.95 करोड़ रुपए का दावा
5	मैसर्स आई-एनर्जाइजर आईटी सर्विसेज प्रा. लि.	जिला न्यायालय, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली	44,22,000/-	मैसर्स आई-एनर्जाइजर आईटी सर्विसेज द्वारा 44.22 लाख रुपए का दावा

क्र.सं.	मुकदमा दायरकर्ता (मैसर्स)	किस न्यायालय में मामला लंबित	याचिकाकर्ता का वित्तीय दावा	अभ्युक्ति
6	मुनीष मंगला	सिविल न्यायधीश, सीनियर डिवीजन अंबाला कोर्ट	23,11,840/-	सीएमए/14/2019
7	दलबीर सिंह	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	1,86,420/-	ब्याज और बैंक गारंटी सहित राशि की वापसी का दावा।
8	परसेप्ट एच प्राइवेट लिमिटेड	जिला न्यायालय, साकेत रांची	33,84,724/-	303/2017
9	प्रोमींड सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	उच्च न्यायालय, दिल्ली	45,00,000/-	मध्यस्थता सं. 28/2021
10	संभाजी तुकाराम सुरोशी	सिविल न्यायालय, महाराष्ट्र	2,00,000/-	नुकसान और कमीशन के लिए दावा
		योग	**4,79,68,75,502/-**	

नोटः

क. दो अंतरिम अंतिम पुरस्कारों के बाद, एचसीएल इंफो सिस्टम के दावे अब निम्नानुसार हैंः -

i. 07 अगस्त 2019 से 06 मई 2020 तक विस्तार अवधि के लिए अतिरिक्त लागत और 'स्टेटमेंट ऑफ क्लेम' (एसओसी1) के लिए इस अवधि के दौरान गलत कटौती 44,39,65,967 रुपए (14,41,30,661 रुपए + 29,98 35,306 रुपए,), 12.87% की दर से ब्याज सहित।

ii. बाजार दरों का दावा 07 मई 2020 से 06 अप्रैल 2021 (एसओसी2) अवधि के लिए 96,28,15,178 रुपए के लिए सहमति [(क) 2,11,04,393 रुपए के लिए जीएसटी के लिए गलत कटौती + (ख) 80,33,59,764 रुपए सेवाओं का बाजार दर का अप्रदत्त हिस्सा + (ग) 13,83,51,021 रुपए की गलत कटौती] है जिसमें 10.03% दर से ब्याज शामिल है।

iii. बाजार दरों का दावा 07 मई 2021 से 06 अगस्त 2021अवधि तक के लिए केवल एएमसी (एसओसी3) हेतु 10,96,99,373 रुपए में सहमति है।

iv. दूसरे मध्यस्थता मामले में गलत कटौती के खिलाफ एमएसपी का दावा 12.87% की दर से ब्याज के रूप में 95.46 करोड़ रुपए शामिल है।

v. 151,64,80,518/- रुपए के एससीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड के वित्तीय दावे के खिलाफ, भाविपप्रा ने 55,93,12,102/- रुपए का काउंटर दावा प्रस्तुत किया है।

ख. 312,44,90,000/- रुपए के एससीएल इंफोसिस्टम लिमिटेड के वित्तीय दावे के खिलाफ, भाविपप्रा ने 1,29,66,33,946/- रुपए का काउंटर दावा प्रस्तुत किया है।

ग. देयता पूर्णतः आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के आदेश पर निर्भर है।

घ. उपरोक्त के अलावा, कुछ अन्य मामले भी लंबित हैं, जिनका वित्तीय प्रभाव 'शून्य' है अथवा सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत लेखा में निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों का अनुमानित मूल्य और जिनके लिए (अग्रिमों का निवल) प्रदान नहीं किया गया - 489.97 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 81.90 करोड़ रुपए)।

3. पट्टा बाध्यताएं

3.1 संयंत्र और मशीनरी के लिए वित्तीय पट्टा व्यवस्थाओं के तहत किराए हेतु भावी बाध्यताओं के संबंध में धनराशि - शून्य। (पिछले वर्ष - शून्य)

3.2 प्रौद्योगिकी केंद्र बेंगलुरु, भाविपप्रा ने 24 जून 2011 को बेंगलुरु में प्रौद्योगिकी केंद्र के निर्माण के संबंध में तीस वर्षों की एक अवधि के लिए पट्टा आधार पर 9.87 करोड़ रुपए की लागत पर पट्टा अनुबंध (लीज एग्रीमेंट) के तहत 12372.40 वर्ग मीटर की भूमि का अधिग्रहण किया था। इस संबंध में लेखांकन प्रबंध और मूल्यह्रास नीति नीचे दी गई है: -

i. पट्टे (लीज) की शर्तें - पट्टा अनुबंध को 30 साल पूरे होने के बाद एक अलग विलेखपत्र के जरिए पट्टादाता द्वारा निर्धारित की जाने वाली अगली अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

ii. लेखांकन प्रयोजनार्थ, लीज पर हुई भूमि को अनुसूची-8 अचल परिसंपत्ति में पृथक रूप से दर्शाया गया है।

iii. लीज समझौते के अनुसार संपत्ति की लीज अवधि अर्थात 30 साल को ध्यान में रखते हुए भूमि का परिशोधन किया गया है।

4. कराधान

आधार अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित) की धारा 50क के अनुसार, भाविपप्रा को इसकी सभी प्रकार की आय पर आयकर से छूट प्राप्त है, अतः आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

5. चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

5.1 चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम, कारोबार के सामान्य तरीके में प्राप्त की गयी राशि है, जो तुलन-पत्र में दिखाई गयी कुल राशि के समतुल्य है।

5.2 भाविपप्रा ने आधार सेवा केंद्र (एएसके) के जरिए संपूर्ण भारत में सामान्य लोगों के लिए आधार नामांकन, बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय अद्यतन से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए दो एजेंसियों को नियुक्त किया है। ये एजेंसियां सामान्य जनता से भाविपप्रा की ओर से नकद रूप से शुल्क वसूलती हैं और उसे भाविपप्रा के बैंक खाते में जमा करती हैं।

5.3 मुख्य रूप से अग्रिम तीन श्रेणियों नामतः आधार संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को आईसीटी सहायता, डाक विभाग को आधार पत्र का प्रेषण प्रभार और मीडिया प्रचार अभियान के लिए बीओसी/आकाशवाणी/दूरदर्शन को दिया जाता है। इन अग्रिमों को तुलन-पत्र में ऋण एवं अग्रिम शीर्ष में दर्शाया जाता है तथा एजेंसियों से बिल/उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होते ही, इसे व्यय के रूप में बुक कर लिया जाता है।

6. लेखापरीक्षकों को पारितोषिक

लेखापरीक्षक के रूप में

- कराधान मामलों के लिए - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)
- प्रबंधन सेवा के लिए - शून्य (पिछले वर्ष - शून्य)
- प्रमाणीकरण प्रयोजन के लिए - 6,58,987/- रुपए (पिछले वर्ष - 2,33,000/- रुपए)

अन्य

- जीएसटी लेखापरीक्षा शुल्क - शून्य/- (पिछले वर्ष - 4,09,821/- रुपए)

7. पूर्व अवधि का समायोजन

7.1 1 अप्रैल, 2021 से पूर्व अवधि के लिए प्राप्त उपयोगिता

प्रमाण-पत्रों को पूर्व की अवधि के खर्चों के रूप में बुक किया गया है।

7.2 वित्त वर्ष 2021-22 से पूर्व अवधि से संबंधित सभी व्यय एवं आय को क्रमशः पूर्व अवधि के व्यय और पूर्व अवधि की आय के रूप में बुक किया गया है।

7.3 पूर्व अवधि की सभी मदों को आय एवं व्यय लेखा में अलग से दर्शाया गया है।

8. पिछले वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनःसमूहीकृत और पुनःव्यवस्थित किया गया है।

9. 1 से 26 तक की अनुसूचियां संलग्न हैं, जो 31 मार्च, 2022 के अनुसार तुलन-पत्र, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते के अभिन्न अंश का रूप हैं।

ह0/-	ह0/-	ह0/-
निदेशक (लेखा)	**उपमहानिदेशक**	**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**

11. अनुलग्नक

11.1 अनुलग्नक 1: आधार अधिनियम, 2016

आधार (वित्तीय एवं अन्य सहयिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) विधेयक, 2016 में दिनांक 25 मार्च 2016 को राष्ट्रपति महोदय की सहमति मिलने के उपरांत आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 बन गया और इसे सामान्य जानकारी के लिए विधायी विभाग द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-I दिनांक 26.03.2016 (2016 का अधिनियम संख्या 18; 'आधार अधिनियम, 2016' के रूप में संदर्भित) में प्रकाशित किया गया। आधार अधिनियम, 2016 की धारा 11 से 20, 22 से 23 और 48 से 59 12 जुलाई 2016 तथा धारा 1 से 10 और 24 से 47 को 12 सितंबर 2016 को लागू हुई।

आधार अधिनियम, 2016, में सुशासन, कार्य कौशल, पारदर्शिता एवं उन लक्षित सहयिकियों, लाभों एवं सेवाओं के परिदान के प्रावधान हैं, जिन पर व्यय भारत की समेकित निधि से और राज्य की समेकित निधि से भारत के निवासी व्यक्तियों को उनकी विशिष्ट पहचान संख्या (आधार नंबर) तथा इससे संबंधित मामलों अथवा संयोजित कार्यों के लिए किया जाता है।

आधार अधिनियम, 2016 की कुछ मुख्य विषेशताएं निम्न रूप से सूचीबद्ध की गई हैं:

1. **धारा 1:** आधार का सांविधिक मूलतत्व एवं घोषणा की तिथि से अधिनियम का प्रवर्तन।
2. **धारा 3:** प्रत्येक निवासी आधार पाने का हकदार है। निवासी एक व्यक्ति है जो भारत में तत्काल पूर्ववर्ती एक वर्ष में 182 दिनों या उससे अधिक समय से रह रहा है।
3. **धारा 7:** केंद्र/राज्य के मंत्रालयों/विभागों को, भारत के समेकित कोष से सरकारी हितलाभों, सब्सिडी या सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों की पहचान के संबंध में आधार को आवश्यक बनाना।
4. **धारा 8:** आधार प्रमाणीकरण और आधार धारक की सहमति।
5. **धारा 29:** सूचना साझा करने पर प्रतिबंध:
   क. आधार और पहचान की जानकारी प्राप्त करने के लिए निवासी की सहमति।
   ख. आधार का उपयोग केवल आधार की प्राप्ति या अधिप्रमाणन के समय बताए गए उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
   ग. सहमति के साथ, पात्रता स्थापित करने के लिए आधार को संबंधित एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है।
   घ. कोर बायोमेट्रिक्स कभी भी किसी एजेंसी को नहीं दिया जा सकता है और न ही उसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
   च. आधार को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित, प्रदर्शित या पोस्ट नहीं किया जा सकता है।
6. **धारा 40 और 42:** छद्मरूपण, गैर कानूनी प्रसार/सूचना की सहभागिता के लिए जुमार्ना और/या 3 साल तक की सजा सहित अन्य दंडात्मक कार्यवाही के लिए प्रावधान। व्यक्ति और कंपनी, दोनों के लिए लागू।

आधार अधिनियम, 2016 के बारे में अधिक जानकारी के लिए, भाविपप्रा वेबसाइट पर उपलब्ध निम्नलिखित लिंक का अवलोकन करें :

https://uidai.gov.in/images/targeted_delivery_of_financial_and_other_subsidies_benefits_and_services_13072016.pdf

तत्पश्चात, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में मुख्य डब्ल्यू.पी. (सिविल) क्रमांक 494/2012 में दिए गए दिनांक 26.09.2018 के निर्णय द्वारा आधार की संवैधानिक वैधता को कुछ प्रतिबंधों और परिवर्तनों के साथ बरकरार रखा।

आधार पर दिए गए निर्णय और न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा (सेवानिवृत्त) समिति की सिफारिशों के आधार पर, गोपनीयता

सुनिश्चित करने, व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग को रोकने तथा पात्र व्यक्तियों को सेवाओं और लाभों से वंचित रखने की प्रक्रिया को रोकने के लिए रक्षोपायों को शामिल करने के प्रयोजनार्थ आधार अधिनियम, 2016 में आवश्यक परिवर्तन लाने का निर्णय लिया गया था। इसके अलावा, सिम कार्ड प्राप्त करने और बैंक खाते खोलने के लिए आधार प्रमाणीकरण के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में भी परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता थी। तदनुसार, आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 के माध्यम से आवश्यक संशोधन किए गए। बाद में, राष्ट्रपति द्वारा 02.03.2019 को आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 की संख्या 9) प्रख्यापित किया गया और यह तत्काल प्रवृत्त हुआ। उक्त अध्यादेश को आधार और अन्य विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 14) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो 24 जुलाई 2019 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ। अधिसूचना के बाद आधार और अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धाराएं दिनांक 25.07.2019 से लागू हो गई हैं। यह संशोधित अधिनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सरकार को एक सब्सिडी, हितलाभ या सेवा, जिसके लिए राज्य की समेकित निधि से व्यय हुआ है, या उससे किसी अंश को प्राप्त किया है, की प्राप्ति हेतु एक शर्त के रूप में एक व्यक्ति विशेष की पहचान स्थापित करने के प्रयोजनार्थ आधार अधिप्रमाणन के उपयोग को समर्थ बनाता है।

आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

1. किसी व्यक्ति के वास्तविक आधार नंबर को छुपाने के लिए प्राधिकरण द्वारा सृजित वैकल्पिक नंबर प्रदान करना;
2. अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बच्चों को अपना आधार नंबर रद्द करने का विकल्प देना;
3. अधिप्रमाणन या ऑफलाइन सत्यापन अथवा अन्य विधियों द्वारा प्रत्यक्ष या इलेक्ट्रॉनिक रूप में आधार नंबर का स्वैच्छिक उपयोग प्रदान करना;
4. आधार नंबर का अधिप्रमाणन या ऑफलाइन सत्यापन केवल आधार नंबर धारक की संसूचित सहमति से किया जा सकता है;
5. अधिप्रमाणन करने में असमर्थ होने या मना करने पर सेवाओं के इंकार की रोकथाम;
6. अधिप्रमाणन निष्पादन में सुरक्षा उपाय एवं प्रतिबंध स्थापित करना;
7. ऑफलाइन सत्यापन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करना;
8. अधिप्रमाणन को ऐसे दिशानिर्देश देने हेतु अधिकार प्रदान करना, जो आधार ईकोसिस्टम में किसी संस्था के लिए अनिवार्य समझे जाएं;
9. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण निधि की स्थापना करना;
10. सूचना की सहभागिता पर प्रतिबंधों में संवर्धन करना;
11. सिविल दंडों, इसके अधिनिर्णय और अपील प्रदान करना;
12. आधार अधिनियम की धारा 57 को रद्द करना;
13. तार अधिनियम, 1885 और धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत स्वीकार्य केवाईसी दस्तावेज के रूप में स्वैच्छिक आधार पर प्रमाणन हेतु आधार नंबर के उपयोग की अनुमति देना।
14. यह किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के प्रयोजनार्थ सब्सिडी, लाभ या सेवा की प्राप्ति हेतु एक शर्त के रूप में, जिसके लिए राज्य द्वारा खर्च किया जाता है, या उससे राज्य की समेकित निधि के अंश की प्राप्ति के रूप में राज्य सरकार को आधार अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत समर्थ बनाएगा।

आधार और अन्य कानून (संशोधित) अधिनियम, 2019 के बारे में अधिक जानकारी के लिए भाविपप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध निम्नलिखित लिंक का संदर्भ लिया जा सकता है:

https://uidai.gov.in/images/news/Amendment_Act_2019.pdf

इसके अलावा, संशोधित आधार अधिनियम लिंक https://uidai.gov.in/images/Aadhaar_Act_2016_as_amended.pdf पर उपलब्ध है।

11.2 अनुलग्नक 2: आधार विनियम

निम्नलिखित विनियम और उनके संशोधन को उक्त आधार अधिनियम, 2016 और आधार एवं अन्य कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अनुसरण में अधिसूचित किया जाता है:

तालिका 14 -विनियमों की सूची

क्र.सं.	विनियम	प्रकाशित तिथि
1	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (प्राधिकरण की बैठक में कार्य संचालन) विनियम, 2016 - (2016 की संख्या 1)	14 सितंबर, 2016
2	आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 2)	14 सितंबर, 2016
3	आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 3) [दिनांक 9.11.2021 के आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 (2021 का संख्या 2) द्वारा प्रतिस्थापित]	14 सितंबर, 2016
4	आधार (डेटा सुरक्षा) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 4)	14 सितंबर, 2016
5	आधार (सूचना की सहभाजिता) विनियम, 2016 (2016 की संख्या 5)	14 सितंबर, 2016
6	आधार (नामांकन और अद्यतन) (पहला संशोधन) विनियम, 2017 (2017 की संख्या 1)	15 फरवरी, 2017
7	आधार (नामांकन और अद्यतन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017 (2017 की संख्या 2)	07 जुलाई, 2017
8	आधार (नामांकन और अद्यतन) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2017 (2017 की संख्या 3)	11 जुलाई, 2017
9	आधार (नामांकन और अद्यतन) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 (2017 की संख्या 5)	31 जुलाई, 2017
10	आधार (नामांकन और अद्यतन) (पाचवां संशोधन) विनियम, 2018 (2018 की संख्या 1)	12 जनवरी, 2018
11	आधार (नामांकन और अद्यतन) (छठा संशोधन) विनियम, 2018 (2018 की संख्या 2)	31 जुलाई, 2018
12	आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य निर्धारण) विनियम, 2019 (2019 की संख्या 1) [आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य निर्धारण) विनियम, 2021 (2021 की संख्या 1) दिनांक 14.10.2021 द्वारा प्रतिस्थापित]	07 मार्च, 2019
13	आधार (नामांकन और अद्यतन) (सातवां संशोधन) विनियम, 2019 (2019 की संख्या 2)	09 सितंबर, 2019
14	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) विनियम, 2020 (2020 की संख्या 1)	22 जनवरी, 2020

क्र.सं.	विनियम	प्रकाशित तिथि
15	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2020 (2020 का सं. 2)	22 जनवरी 2020
16	आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (आठवां संशोधन) अधिनयम, 2020 (2020 की संख्या 3)	02 जुलाई, 2020
17	आधार (आधार अधिप्रमाणन सेवाओं का मूल्य निर्धारण) विनियम, 2021 (2021 की संख्या 1)	14 अक्तूबर, 2021
18	आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) विनियम, 2021 (2021 का संख्या 2)	09 नवंबर, 2021
19	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (पहला संशोधन) विनियम, 2021 (2021 की संख्या 3)	28 दिसंबर, 2021
20	आधार (अधिप्रमाणन और ऑफलाइन सत्यापन) (पहला संशोधन) विनियम, 2022 (2022 की संख्या 1)	04 फरवरी, 2022
21	आधार (नामांकन एवं अद्यतन) (नौवां संशोधन) अधिनयम, 2022 (2022 की संख्या 2)	03 मार्च, 2022
22	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 (2022 की संख्या 3)	21 मार्च, 2022

उपर्युक्त विनियम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की दैनिक कार्यप्रणाली में सहायता करते हैं। ये विनियम भाविपप्रा की वेबसाइट www.uidai.gov.in/about-uidai/legal-framework/regulations.html पर उपलब्ध हैं।

11.3 अनुलग्नक 3: सत्यापन हेतु स्वीकार्य समर्थित दस्तावेजों की सूची

नाम और फोटो वाले पहचान दस्तावेजों के स्वीकार्य प्रमाण

1. पासपोर्ट
2. पैन कार्ड
3. राशन/पीडीएस फोटो कार्ड
4. मतदाता पहचान पत्र
5. ड्राइविंग लाइसेंस
6. सरकारी फोटो पहचान पत्र/पीएसयू द्वारा जारी पहचान पत्र
7. मनरेगा जॉब कार्ड
8. मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
9. हथियार लाइसेंस
10. फोटो बैंक एटीएम कार्ड
11. फोटो क्रेडिट कार्ड
12. पेंशनभोगी फोटो कार्ड
13. स्वतंत्रता सेनानी फोटो कार्ड
14. किसान फोटो पासबुक
15. सीजीएचएस/ईसीएचएस फोटो कार्ड
16. डाक विभाग द्वारा जारी नाम और फोटो वाला पता कार्ड
17. नामांकन/अद्यतन के लिए भाविपप्रा के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी फोटो की पहचान संबंधी प्रमाणपत्र
18. संबंधित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों द्वारा जारी दिव्यांगता पहचान पत्र/दिव्यांगता चिकित्सा प्रमाणपत्र
19. राजस्थान सरकार द्वारा जारी जन-आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड
20. नामांकन/अद्यतन के लिए भाविपप्रा के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर मान्यताप्राप्त आश्रय गृह या अनाथालय आदि के अधीक्षक/वार्डन/मैट्रन/संस्थान प्रमुख द्वारा प्रमाणपत्र
21. नामांकन/अद्यतन के लिए भाविपप्रा के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर लेटरहैड पर सांसद या विधायक या सदस्य विधान परिषद या नगरपालिका पार्षद द्वारा जारी फोटो पहचान वाला प्रमाणपत्र
22. नामांकन/अद्यतन के लिए भाविपप्रा के आवेदक के नाम और परिवार के मुखिया के साथ रिश्ते का ब्योरा वाले संबंध दस्तावेज (पीओआर) मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर ग्राम पंचायत प्रमुख या इसके समकक्ष प्राधिकारी(ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) द्वारा जारी फोटो पहचान वाला प्रमाणपत्र
23. नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र अधिसूचना
24. फोटो के साथ विवाह प्रमाणपत्र
25. आरएसबीवाई कार्ड
26. माध्यमिक विद्यालय छोडने की प्रमाणपत्र बुक, जिसमें अभ्यर्थी का फोटो लगा हो
27. फोटोयुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडी जाति का प्रमाणपत्र
28. नाम और फोटो सहित स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/ स्कूल से स्थानांतरण का प्रमाणपत्र (टीसी)
29. नाम और फोटो के साथ स्कूल प्रमुख द्वारा जारी स्कूल अभिलेख का उद्धरण
30. नाम और फोटो वाली बैंक की पासबुक
31. नामांकन/अद्यतन के लिए भाविपप्रा के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर संस्थान प्रमुख से हस्ताक्षरित मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी नाम और फोटो की पहचान वाला प्रमाणपत्र
32. नामांकन/अद्यतन के लिए भाविपप्रा के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा जारी नाम, जन्मतिथि और फोटोयुक्त पहचान प्रमाणपत्र

आवेदक के नाम और परिवार के मुखिया के साथ रिश्ते का ब्योरा वाले संबंध दस्तावेज (पीओआर)

1. पीडीएस कार्ड
2. मनरेगा जॉब कार्ड
3. सीजीएचएस/राज्य सरकार/ईसीएचएस/ईएसआईसी चिकित्सा कार्ड
4. पेंशन कार्ड
5. सेना कैंटीन कार्ड
6. पासपोर्ट
7. जन्म पंजीयक, नगर निगम और तालुक, तहसील आदि जैसे अन्य अधिसूचित स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र
8. केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी परिवार पात्रता का कोई अन्य दस्तावेज
9. सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र
10. डाक विभाग द्वारा जारी नाम और फोटो वाला पता कार्ड
11. राजस्थान सरकार द्वारा जारी जन-आधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड
12. बच्चे के जन्म उपरांत सरकारी अस्पताल द्वारा जारी डिस्चार्ज कार्ड/पर्ची
13. नामांकन/अद्यतन के लिए भाविपप्रा के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर लेटरहैड पर सांसद या विधायक या सदस्य विधान परिषद या नगरपालिका पार्षद द्वारा जारी फोटो पहचान वाला प्रमाणपत्र

14. नामांकन/अद्यतन के लिए भाविपप्रा के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर ग्राम पंचायत प्रमुख या इसके समकक्ष प्राधिकारी(ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) द्वारा जारी फोटो पहचान वाला प्रमाणपत्र

नाम और जन्म तिथि से युक्त जन्म तिथि वाले दस्तावेज

1. जन्म प्रमाणपत्र
2. माध्यमिक विद्यालय छोडने की प्रमाणपत्र बुक/ प्रमाणपत्र
3. पासपोर्ट
4. नामांकन/अद्यतन के लिए भाविपप्रा के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर ग्रुप 'ए' राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्म तिथि का प्रमाणपत्र
5. किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं जारी एक प्रमाणपत्र (नामांकन/ अद्यतन के लिए भाविपप्रा के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर) या पहचान पत्र जो फोटो और जन्मतिथि युक्त हो।
6. मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी जन्मतिथि युक्त फोटो सहित पहचान पत्र
7. पैन कार्ड
8. किसी भी सरकारी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंक-पत्र (मार्कशीट)
9. सरकारी फोटो पहचान पत्र कार्ड/पीएसयू द्वारा जारी जन्म तिथि वाला फोटो पहचान पत्र
10. केंद्र/राज्य पेंशन भुगतान आदेश
11. केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना फोटो कार्ड
12. स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल से स्थानांतरण का प्रमाणपत्र, जिसमें नाम और जन्म-तिथि इंगित हो
13. स्कूल के प्रमुख द्वारा जारी स्कूल अभिलेख का उद्धरण, जिसमें नाम, जन्म तिथि और फोटो निहित हो
14. नामांकन/अद्यतन के लिए भाविपप्रा के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर संस्थान प्रमुख से हस्ताक्षरित मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी नाम, जन्म तिथि और फोटो की पहचान वाला प्रमाणपत्र
15. नामांकन/अद्यतन के लिए भाविपप्रा के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा जारी नाम, जन्मतिथि और फोटोयुक्त पहचान प्रमाणपत्र

नाम और पता वाले पता दस्तावेजों के स्वीकार्य प्रमाण

1. पासपोर्ट
2. बैंक स्टेटमेंट/पासबुक
3. डाक घर खाता विवरण/पासबुक
4. राशन कार्ड
5. मतदाता पहचान पत्र
6. ड्राइविंग लाइसेंस
7. सरकारी फोटो पहचान पत्र/पीएसयू द्वारा जारी पहचान पत्र
8. बिजली का बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)
9. पानी का बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)
10. टेलीफोन लैंडलाइन बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)
11. संपत्ति कर रसीद (1 वर्ष से अधिक पुरानी न हो)
12. क्रेडिट कार्ड विवरण (3 महीने से अधिक पुराना न हो)
13. बीमा पॉलिसी
14. लेटरहैड पर बैंक द्वारा हस्ताक्षरित फोटोयुक्त पत्र
15. लेटरहैड पर पंजीकृत कंपनी द्वारा जारी हस्ताक्षरित फोटोयुक्त पत्र
16. लेटरहैड पर मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी हस्ताक्षरित फोटोयुक्त पत्र या मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी पते सहित फोटोयुक्त पहचान पत्र
17. मनरेगा जॉब कार्ड
18. हथियार लाइसेंस
19. पेंशनभोगी कार्ड
20. स्वतंत्रता सेनानी कार्ड
21. किसान पासबुक
22. सीजीएचएस/ईसीएचएस कार्ड
23. मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी नामांकन/पता अद्यतन के लिए भाविपप्रा के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर सांसद या विधायक या सदस्य विधान परिषद या नगरपालिका पार्षद या राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी फोटो पहचान वाला प्रमाणपत्र
24. नामांकन/अद्यतन के लिए भाविपप्रा के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर ग्राम पंचायत प्रमुख या समकक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी पते का प्रमाणपत्र (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए)
25. आयकर निर्धारण आदेश
26. वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र
27. पंजीकृत बिक्री/पंजीकृत पट्टा/पंजीकृत किराया अनुबंध
28. डाक विभाग द्वारा जारी फोटोयुक्त पता कार्ड
29. राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त जाति और निवास प्रमाणपत्र
30. संबंधित राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों की सरकारों/ प्रशासनों द्वारा जारी दिव्यांगता पहचान पत्र/ दिव्यांगता चिकित्सा प्रमाणपत्र
31. गैस कनेक्शन बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो)
32. विवाहिती का पासपोर्ट

33. माता-पिता का पासपोर्ट (अवयस्क के मामले में)
34. केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी आवास आवंटन पत्र (अधिकतम 3 वर्ष पुराना हो)
35. सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र, जिसमें नाम एवं पते का उल्लेख हो
36. राजस्थान सरकार द्वारा जारी जन-आधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड
37. नामांकन/अद्यतन के लिए भाविपप्रा के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर मान्यताप्राप्त आश्रय गृह या अनाथालय आदि के अधीक्षक/वार्डन/मैट्रन/संस्थान प्रमुख द्वारा जारी प्रमाणपत्र
38. नामांकन/अद्यतन के लिए भाविपप्रा के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर नगरपालिका पार्षद द्वारा जारी फोटोयुक्त पता प्रमाणपत्र
39. मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र
40. फोटोयुक्त एसएसएलसी बुक
41. विद्यालय का पहचान पत्र
42. नाम और पता सहित स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/ स्कूल से स्थानांतरण का प्रमाणपत्र (टीसी)
43. नाम, पता और फोटो के साथ स्कूल प्रमुख द्वारा जारी स्कूल अभिलेख का उद्धरण
44. नामांकन/अद्यतन के लिए भाविपप्रा के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर संस्थान प्रमुख से हस्ताक्षरित मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी नाम, पता और फोटो की पहचान वाला प्रमाणपत्र
45. नामांकन/अद्यतन के लिए भाविपप्रा के मानक प्रमाणपत्र प्रपत्र पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा जारी नाम, जन्मतिथि और फोटोयुक्त पहचान प्रमाणपत्र

- ▶ नामांकन/अद्यतन के लिए मूल दस्तावेज साथ में लायें। फोटोकॉपी की आवश्यकता नहीं है।
- ▶ मूल दस्तावेज स्कैन करने के उपरांत आपको वापस कर दिए जाएंगे।

11.4 अनुलग्नक 4: 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार परिपूर्णता रिपोर्ट

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र- वार परिपूर्णता 31 मार्च, 2022				
क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल आबादी (परियोजित 2022)	समनुदेशित आधार की संख्या (लाइव)	परिपूर्णता % (लाइव)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4,02,000	3,84,582	95.67%
2	आंध्र प्रदेश	5,29,72,000	5,12,75,737	96.80%
3	अरूणाचल प्रदेश	15,48,000	12,27,476	79.29%
4	असम	3,53,78,000	2,89,42,066	81.81%
5	बिहार	12,49,19,000	10,64,45,723	85.21%
6	चंडीगढ़ **	12,19,000	11,40,911	93.59%
7	छत्तीसगढ़	2,98,36,000	2,76,96,719	92.83%
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव **	6,44,174	5,93,532	92.14%
9	दिल्ली	2,09,65,000	2,22,24,996	106.01%
10	गोवा	15,67,000	15,95,153	101.80%
11	गुजरात	7,06,48,000	6,41,73,879	90.84%
12	हरियाणा	2,98,46,000	2,96,79,816	99.44%
13	हिमाचल प्रदेश	74,31,000	76,44,720	102.88%
14	जम्मू कश्मीर	1,35,05,000	1,14,30,573	84.64%
15	झारखंड	3,89,69,000	3,50,56,918	89.96%
16	कर्नाटक	6,72,68,000	6,35,49,124	94.47%
17	केरल	3,56,33,000	3,67,53,178	103.14%
18	लद्दाख	2,99,000	2,32,591	77.79%
19	लक्षद्वीप	68,000	72,794	107.05%
20	मध्य प्रदेश	8,55,48,000	7,59,03,449	88.73%
21	महाराष्ट्र	12,54,11,000	11,58,78,359	92.40%
22	मणिपुर	31,94,000	25,53,719	79.95%
23	मेघालय	33,18,000	19,44,705	58.61%
24	मिजोरम	12,27,000	11,49,120	93.65%
25	नागालैंड	22,13,000	13,12,085	59.29%
26	ओडिशा	4,41,62,000	4,31,65,714	97.74%
27	पुदुचेरी**	13,62,786	12,78,536	93.82%
28	पंजाब	3,05,35,000	3,07,10,830	100.58%
29	राजस्थान	8,01,53,000	7,31,34,501	91.24%
30	सिक्किम	6,83,000	5,71,338	83.65%
31	तमिलनाडु	7,66,31,000	7,31,36,103	95.44%
32	तेलंगाना	3,79,07,000	3,78,90,829	99.96%
33	त्रिपुरा	41,09,000	37,23,604	90.62%
34	उत्तर प्रदेश	23,32,97,000	21,09,19,726	90.41%
35	उत्तराखंड	1,15,18,000	1,13,06,967	98.17%
36	पश्चिम बंगाल	9,86,04,000	9,32,76,611	94.60%
योग		**1,37,29,89,959**	**1,26,79,76,683**	**92.35%**

*आरजीआई डेटा के अनुसार
**दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन के कार्यालय से दिनांक 02 नवंबर 2021 के पत्र सीओएल/आधार-अवेयरनेस/2021-22 के जरिए प्राप्त जनसंख्या की संशोधित सूचना के अनुसार अद्यतित।
**क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ के दिनांक 17.12.2021 के पत्र आरओ-सीएचडी-17020/4/2020-आरओ-सीएचडी के जरिए प्राप्त चंडीगढ़ की संशोधित जनसंख्या सूचना के अनुसार अद्यतित।
**क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु के दिनांक 27.12.2021 के पत्र के जरिए प्राप्त पुदुचेरी जनसंख्या की संशोधित सूचना के अनुसार अद्यतित।

0<5 वर्ष आयु सीमा में आधार परिपूर्णता (31 मार्च, 2022)				
क्र.सं.	राज्य का नाम	आबादी (0<5वर्ष) (परियोजित 2022)	समनुदेशित आधार की संख्या (लाइव)	परिपूर्णता % (लाइव)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	28,938	10,958	37.87%
2	आंध्र प्रदेश	34,61,088	15,01,642	43.39%
3	अरूणाचल प्रदेश	1,11,435	13,787	12.37%
4	असम	30,52,908	4,72,920	15.49%
5	बिहार	1,36,95,287	18,33,916	13.39%
6	चंडीगढ़ **	1,08,736	41,496	38.16%
7	छत्तीसगढ़	27,88,052	8,37,944	30.05%
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव **	73,675	23,972	32.54%
9	दिल्ली	9,57,986	4,79,042	50.01%
10	गोवा	1,12,802	35,993	31.91%
11	गुजरात	58,97,794	20,94,639	35.52%
12	हरियाणा	24,64,980	15,86,564	64.36%
13	हिमाचल प्रदेश	4,67,327	2,88,173	61.66%
14	जम्मू कश्मीर	8,45,070	4,25,570	50.36%
15	झारखंड	37,08,391	6,19,711	16.71%
16	कर्नाटक	46,89,489	15,49,575	33.04%
17	केरल	23,24,393	4,09,994	17.64%
18	लद्दाख	21,524	4,040	18.77%
19	लक्षद्वीप	4,895	2,377	48.57%
20	मध्य प्रदेश	85,31,924	15,10,010	17.70%
21	महाराष्ट्र	85,10,093	24,53,705	28.83%
22	मणिपुर	2,29,924	18,399	8.00%
23	मेघालय	2,38,850	17,189	7.20%
24	मिजोरम	88,327	37,143	42.05%
25	नागालैंड	1,59,305	5,600	3.52%
26	ओडिशा	33,70,846	10,01,955	29.72%
27	पुदुचेरी**	73,906	30,582	41.38%
28	पंजाब	19,64,611	7,32,263	37.27%
29	राजस्थान	77,70,537	16,17,419	20.81%
30	सिक्किम	49,167	1,675	3.41%
31	तमिलनाडु	47,42,171	12,89,589	27.19%
32	तेलंगाना	26,17,568	8,67,669	33.15%
33	त्रिपुरा	2,95,791	47,123	15.93%
34	उत्तर प्रदेश	2,39,89,762	36,05,697	15.03%
35	उत्तराखंड	8,78,072	3,35,193	38.17%
36	पश्चिम बंगाल	63,87,027	6,94,560	10.87%
योग		**11,47,12,650**	**2,64,98,084**	**23.10%**

*आरजीआई डेटा के अनुसार
**दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन के कार्यालय से दिनांक 02 नवंबर 2021 के पत्र सीओएल/आधार-अवेयरनेस/2021-22 के जरिए प्राप्त जनसंख्या की संशोधित सूचना के अनुसार अद्यतित।
**क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ के दिनांक 17.12.2021 के पत्र आरओ-सीएचडी-17020/4/2020-आरओ-सीएचडी के जरिए प्राप्त चंडीगढ़ की संशोधित जनसंख्या सूचना के अनुसार अद्यतित।
**क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु के दिनांक 27.12.2021 के पत्र के जरिए प्राप्त पुदुचेरी जनसंख्या की संशोधित सूचना के अनुसार अद्यतित।

5 <18 वर्ष आयु बैंड में आधार परिपूर्णता 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार				
क्र.सं.	राज्य का नाम	आबादी (5<18वर्ष) (परियोजित 2022)	समनुदेशित आधार की संख्या (लाइव)	परिपूर्णता % (लाइव)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	61,874	73,221	118.34%
2	आंध्र प्रदेश	98,51,405	97,08,761	98.55%
3	अरूणाचल प्रदेश	2,38,259	3,23,660	135.84%
4	असम	84,40,929	66,77,360	79.11%
5	बिहार	3,66,79,092	3,09,43,604	84.36%
6	चंडीगढ़ **	2,59,587	2,43,459	93.79%
7	छत्तीसगढ़	71,69,421	65,14,464	90.86%
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव **	1,54,372	1,34,212	86.94%
9	दिल्ली	37,78,017	49,17,625	130.16%
10	गोवा	2,41,184	2,61,101	108.26%
11	गुजरात	1,52,39,511	1,36,99,594	89.90%
12	हरियाणा	65,46,623	66,66,308	101.83%
13	हिमाचल प्रदेश	14,13,036	14,84,577	105.06%
14	जम्मू कश्मीर	31,83,868	26,50,449	83.25%
15	झारखंड	1,00,75,762	99,39,816	98.65%
16	कर्नाटक	1,33,51,961	1,29,55,698	97.03%
17	केरल	64,92,236	62,33,597	96.02%
18	लद्दाख	46,020	48,476	105.34%
19	लक्षद्वीप	10,466	13,736	131.24%
20	मध्य प्रदेश	2,13,96,110	1,85,22,233	86.57%
21	महाराष्ट्र	2,47,50,222	2,30,20,807	93.01%
22	मणिपुर	4,91,602	6,24,620	127.06%
23	मेघालय	5,10,688	3,92,600	76.88%
24	मिजोरम	1,88,853	2,81,527	149.07%
25	नागालैंड	3,40,612	2,58,846	75.99%
26	ओडिशा	93,30,254	92,58,672	99.23%
27	पुदुचेरी**	2,46,849	2,24,826	91.08%
28	पंजाब	56,85,494	57,82,591	101.71%
29	राजस्थान	2,03,06,923	1,77,27,880	87.30%
30	सिक्किम	1,05,123	90,150	85.76%
31	तमिलनाडु	1,38,24,312	1,27,83,555	92.47%
32	तेलंगाना	73,88,474	75,82,923	102.63%
33	त्रिपुरा	6,32,434	7,48,003	118.27%
34	उत्तर प्रदेश	6,03,57,328	5,42,15,509	89.82%
35	उत्तराखंड	24,92,754	25,82,819	103.61%
36	पश्चिम बंगाल	1,92,11,325	1,78,09,639	92.70%
योग		**31,04,92,981**	**28,53,96,919**	**91.92%**

*आरजीआई डेटा के अनुसार
**दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन के कार्यालय से दिनांक 02 नवंबर 2021 के पत्र सीओएल/आधार-अवेयरनेस/2021-22 के जरिए प्राप्त जनसंख्या की संशोधित सूचना के अनुसार अद्यतित।
**क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ के दिनांक 17.12.2021 के पत्र आरओ-सीएचडी-17020/4/2020-आरओ-सीएचडी के जरिए प्राप्त चंडीगढ़ की संशोधित जनसंख्या सूचना के अनुसार अद्यतित।
**क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु के दिनांक 27.12.2021 के पत्र के जरिए प्राप्त पुदुचेरी जनसंख्या की संशोधित सूचना के अनुसार अद्यतित।

12. लघुरूपण

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
एबीआईएस	स्वचालित बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली
एडीजी	सहायक महानिदेशक
एईए	आधार समर्थित ऐप्लिकेशन
एईपीएस	आधार समर्थित भुगतान प्रणाली
एआई	कृत्रिम आसूचना
एआईआर	आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो)
ए एंड एन	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
एएमसी	वार्षिक अनुरक्षण लागत
एपीबी	आधार भुगतान ब्रिज
एपीआई	एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
एएसए	अधिप्रमाणन सेवा एजेंसी
एएसके	आधार सेवा केंद्र
एटीएम	स्वचालित टेलर मशीन
एयूए	अधिप्रमाणन प्रयोक्ता एजेंसी
एसीपीएल	एक्सेस कंप्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड
एडीवी	आधार डेटा वॉल्ट
एएमएफवाई	एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया
एवीएल	पता सत्यापन पत्र
एएसएल	आधार स्थिति पत्र
बी2सी	व्यवसाय से उपभोक्ता
बीई	बजट अनुमान
भीम	भारत इंटरफेस फॉर मनी
बीआईटी	द्विपक्षीय निवेश संधियाँ
बीओसी	व्यवसाय संचालन समिति
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
बीपीओ	ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्यूनिकेशन
बीएसआई	ब्रिटिश मानक संस्थान
बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड
बीएसपी	बायोमेट्रिक सेवा प्रदाता
बी-टेक	प्रौद्योगिकी स्नातक
बीसी	बैंकिंग संवाददाता

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
बीएसई	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
बीसीएम	व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन
सीएजी	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
सीसीएफ	संपर्क केंद्र फर्म
सीईएलसी	बाल नामांकन लाइट क्लाइंट
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीएफआई	भारत की समेकित निधि
सीजीएचएस	केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना
सीआईसी	केंद्रीय सूचना आयोग
सीआईडीआर	केंद्रीय पहचान डाटा रिपॉजिटरी
सीआईएसएफ	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
सीपीआईओ	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
सीपीडब्ल्यूडी	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
सीआरएम	ग्राहक संबंध प्रबंधन
सीएससी	सामान्य सेवा केंद्र
सीएसएस	कैस्केडिंग स्टाइल शीट
को-विन	कोविड वैक्सीन इंटेलीजेंस वर्क
सीईजी	ई-शासन के लिए केंद्र
सीएसआईआर	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीटीओ	प्रमुख प्रौद्योगिकी अधिकारी
सी-डेक	प्रगत संगणन विकास केंद्र
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीडीजी	उपमहानिदेशक
डीआईटी	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीएमसी	दिल्ली नगर निगम
डीएमएस	दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली
डीओबी	जन्म-तिथि
डीओपी	डाक विभाग
डीओटी	दूरसंचार विभाग
डीपीयू	डाटा प्रोसेसिंग यूनिट
डीआर.	डॉक्टर
डीसी	डेस्क केलकुलेटर
डीडी	उप निदेशक

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
डीजी	महानिदेशक
डीओपीपीडब्ल्यू	पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
ईए	नामांकन एजेंसियां
ईसीएचएस	भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना
ईसीएमपी	नामांकन ग्राहक बहुविध प्लेटफार्म
ईजीओएम	मंत्रियों का अधिकार प्राप्त समूह
ईआईडी	नामांकन पहचान
ईआईएल	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
ईएमडी	जमा बयाना राशि
ईपीएफओ	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीआईसी	मतदाता फोटो पहचान पत्र
ईएसआईसी	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
ईएंडयू	नामांकन और अद्यतन
एफएए	प्रथम अपीलीय प्राधिकरण
एफएक्यू	प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
एफडी	सावधि जमा
एफडीआई	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
एफआईआर	फिंगरप्रिंट इमेज रिकार्ड
एफएमआर	फिंगर मिनुटिया रिकॉर्ड
एफवाई	वित्त वर्ष
एफआरयूआईटीएस	किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली
जी2सी	सरकार-से-उपभोक्ता
जीआईए	सहायता अनुदान
जीआईजीडब्ल्यू	भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश
जीआरसीपी	शासन जोखिम अनुपालन और निष्पादन
जीआरसीपी-एसपी	संचालन, जोखिम, अनुपालन और निष्पादन-सेवा प्रदाता
जीआरआईएचए (गृहा)	समन्वित आवास मूल्यांकन हेतु ग्रीन रेटिंग
जीएसटी	माल और सेवा कर
एचबीए	गृह निर्माण अग्रिम
एचसीएल	हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड
एचओएफ	परिवार मुखिया
एचक्यू	मुख्यालय
एचआर	मानव संसाधन

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
एचटीएमएल	हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज
एचओएनएस.	सम्मान
एचडी	उच्च घनत्व
एचपी	हिमाचल प्रदेश
एचआईपीए	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान
आईएएस	भारतीय प्रशासनिक सेवा
आईबीए	भारतीय बैंक एसोसिएशन
आईसीटी	सूचना व संचार तकनीक
आईडी	पहचान दस्तावेज
आईईसी	सूचना, शिक्षा और संचार
आईएफएससी	भारतीय वित्त व्यवस्था संहिता
आईओएस	आईफोन प्रचालन प्रणाली
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईवीआर	इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस
आईवीआरएस	परस्पर स्वर प्रतिक्रिया प्रणाली
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईपीपीबी	भारतीय डाक भुगतान बैंक
आईटीआई	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
आईपीओएस	भारतीय डाक सेवा
आईआईआईटी	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
आईएसआरओ	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र
आईआईएससी	भारतीय विज्ञान संस्थान
आईएसटीएम	सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान
आईआईपीए	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
आईओटी	इंटरनेट ऑफ थिंग्स
जेएएम	जन-धन आधार और मोबाइल
केएम पोर्टल	ज्ञान और प्रबंधन पोर्टल
केएसआईआईडीसी	कर्नाटक राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम
केयूए	ई-केवाईसी प्रयोक्ता एजेंसी
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानो
केवीए	किलोवॉल्ट अम्पीयर
एलडी	परिनिर्धारित नुकसानी

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
एलआईसी	जीवन बीमा निगम
एलएमएस	लर्निंग प्रबंधन प्रणाली
एलपीजी	रसोई गैस
एलटीसी	छुट्टी यात्रा रियायत
एमईआईटीवाई	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मनरेगा	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमएचए	गृह मंत्रालय
एमएल	मशीन लर्निंग
एमएलए	विधान सभा सदस्य/विधायक
एमएलसी	विधान परिषद सदस्य
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमओडब्लूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एमपी	संसद सदस्य/सांसद
एमटीओ	बहु-कार्य प्रचालक
एमएसडी	माइक्रोसॉफ्ट गतिशीलता
एमएसएपी	प्रबंधित सेवा अनुप्रयोग प्रदाता
एमएसआईपी	प्रबंधित सेवा अवसंरचना प्रदाता
एमएसपी	प्रबंधित सेवा प्रदाता
एमबीए	व्यवसाय प्रशासन निष्णात
एमओएस	राज्य मंत्री
एमडी	प्रबंधक निदेशक
एनएबीएल	राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड
एनसीआर	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनएचए	राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनआईआईएफ	राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि
एनआईएसजी	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गर्वमेंट
एनआईटीआई	नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीआर	राष्ट्रीय जनसंख्या पंजिका
एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनआरडी	अनिवासी जमा
एनआरआई	अनिवासी भारतीय

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
एनइजीडी	राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
नाविक	भारतीय नक्षत्र-मंडल के साथ नौवहन
एनटीआईपीआरआईटी	नेशनल टेलिकम्युनकेशंस इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च, इनोवेशन एंड ट्रेनिंग
ओएसी	आधार आदेश कार्ड
ओएई	अन्य प्रशासनिक व्यय
ओई	कार्यालयी व्यय
ओटीपी	वन टाईम पासवर्ड
ओएस	ऑपरेटिंग सिस्टम
ओएसडी	विशेष कार्य अधिकारी
ओएम	कार्यालय ज्ञापन
ओवीएसई	ऑफलाइन सत्यापन मांगकर्ता संस्थाएं
पहल	प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ
पैन	स्थायी खाता संख्या
पीबीएक्स	निजी शाखा विनिमय
पीडीएफ	पोर्टेबल दस्तावेज फार्मेट
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीएम	प्रधान मंत्री
पीएमसी	परियोजना प्रबंधन परामर्श
पीएमयू	परियोजना प्रबंधन यूनिट
पीओए	पते का प्रमाण
पीओआई	पहचान का प्रमाण
पीओएसएच	यौन उत्पीड़न की रोकथाम
पीओआर	रिश्ते का प्रमाण
पीओएस	बिक्री केंद्र
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पीवीसी	पोलीविनाइल क्लोराइड
पीएच.डी	विद्या वाचस्पति
पीओडीओबी	जन्मतिथि का प्रमाण
पीसीएच	पूर्व सत्यापित हार्डवेयर
पीआईडी	प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव
पीआईएन	डाक सूचक संख्या
क्यूसी	गुणवत्ता जांच

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
क्यूआर	त्वरित प्रतिक्रिया
आरएएस	त्वरित मूल्यांकन व्यवस्था
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरसीओएम	रिलायंस कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
आरडी	पंजीकृत उपकरण
आरई	संशोधित अनुमान
आरएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आरजीआई	भारत के महापंजीयक
आरओ	क्षेत्रीय कार्यालय
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरएसबीवाई	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एसईबीआई	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसआईएम	ग्राहक पहचान मॉड्यूल
एसएलएम	स्ट्रेट लाइन मेथड/सीधी रेखा पद्धति
एसएमएस	लघु संदेश सेवा
एसएसएलसी	माध्यमिक स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
एसएसयूपी	स्व सेवा अद्यतन पोर्टल
एसआरटी	मानक प्रतिक्रिया टेम्पलेट
एसटीक्यूसी	मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाण पत्र
एससी	उच्चतम न्यायालय
एसपीवी	विशेष प्रयोजन वाहन
एसएलवी	विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र
एस.एनओ	क्रमांक नंबर
टीए	यात्रा भत्ता
टीसी	स्थानांतरण प्रमाणपत्र
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
टीईई	विश्वसनीय निष्पादन पर्यावरण
टीएफएन	टॉल फ्री नंबर
टीएसपी	दूरसंचार सेवा प्रदाता
टीएसयू	तकनीकी सहायता यूनिट
टीएसए	एकल कोष खाता
यूआईडी	विशिष्ट पहचान

लघुरूपण	पूर्ण स्वरूप
यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भाविपप्रा)
यूआरएन	अद्यतन अनुरोध संख्या
यूटी	संघ राज्य-क्षेत्र
यूटीआईआईएसएल	यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड
यूएक्स	उपयोगकर्ता अनुभव
यूएसए	संयुक्त राज्य अमेरिका
यूएचडी	अल्ट्रा हाई डेंसिटी
वीआईडी	वर्चुअल आईडी
डब्ल्यू3सी	वर्ल्ड वाइड वेब कंर्सोटियम
एक्सएमएल	एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज
वाईपी	युवा पेशेवर

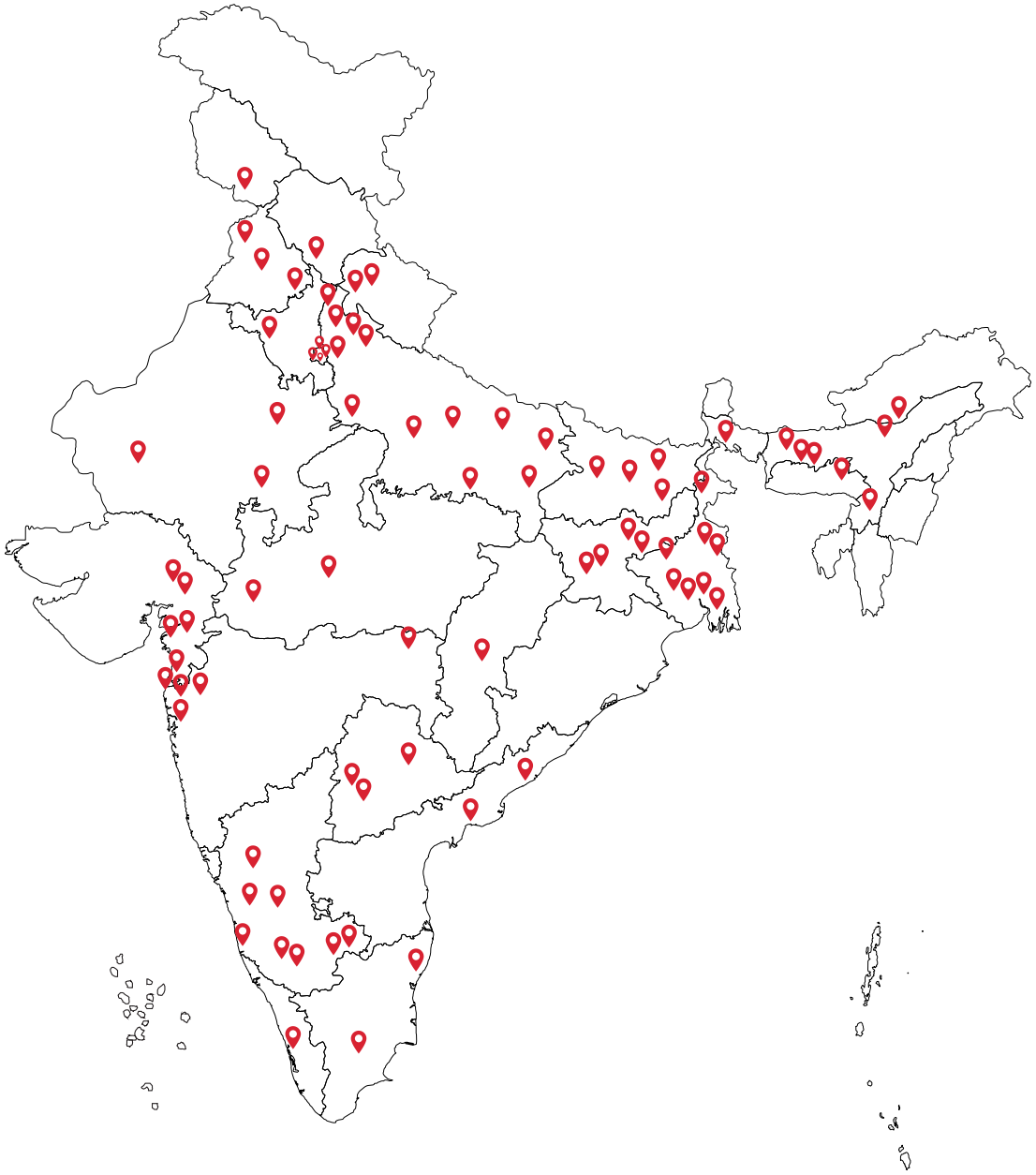

आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

बंगला साहिब रोड, गोल मार्केट,
नई दिल्ली–110001

www.uidai.gov.in

Aadhaar aadhaar_official @UIDAI @UIDAI Aadhaar UIDAI @aadhaar_uidai